

अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका**नवीन सामाजिक शोध**

संस्थापक प्रधान संपादक
स्व. डॉ. जी. पी. सक्सेना

● — ●

प्रधान संपादक
राजेन्द्र सक्सेना

● — ●

प्रबंध सक्सेना
अभिजीत सक्सेना

● — ●

संपादक
श्रीमति सविता सक्सेना

● — ●

उप संपादक
डॉ. संजय अग्रवाल (चिकित्सक)

डॉ. संतोष धुर्वे (समाजशास्त्री)

डॉ. विजय दुबे (वाणिज्य) ग्वा.

● — ●

वरिष्ठ शोध अधिकारी
डॉ. ममता गावशिन्दे

● — ●

शोध अधिकारी
डॉ. अनुपमा सुरेश

डॉ. ममता दुबे (ग्वा.)

● — ●

सलाहकार मंडल
राजेश सक्सेना

● — ●

वर्ष - 9 अंक - 10 (कुल अंक 106) दिसम्बर 2017

R.N.I. M.P.HIN/2009/29572

ISSN-0975-4431

संपादकीय कार्यालय: 25, रूप नगर कॉलोनी, जे.के. रोड

भोपाल-462 023 (म.प्र.) दूरभाष : 09300279796, 09425704990

E-mail : naveensamajikshodh@yahoo.com

website : www.naveensamajikshodh.com

विदेशों में क्षेत्रीय कार्यालय : (विदेशी विषय विशेषज्ञ संपादक)

1. डॉ. राम भारद्वाज चिकित्सक

पो. बॉ. नं. 161, पोस्टल कोड नं. 119, सहम सुल्तानेट ऑफ ओमान

2. प्रो. डॉ. सुधाकर कोटा अर्थशास्त्री

प्रोफेसर इकोनॉमिक्स एण्ड मार्केटिंग, स्काईलाईन युनिवर्सिटी, शारजाह, यूएई

3. कविता शुक्ला असिस्टेंट प्रोफेसर,

111, शेख रशीद बिल्डिंग, शेख जायेद रोड, यूएई, दुबई

4. डॉ. प्रिंस डेविड दंत चिकित्सक

11, अेलब्रेस्ट एवेन्यू, माउंट रास्किल, ओकलेण्ड 1041, न्यूजीलेण्ड

5. श्री सजग चतुर्वेदी

स्टेनफोर्ड, यूनिवर्सिटी, थाईलैण्ड

6. श्रीमति ऋति चतुर्वेदी, कनाडा

7. श्रीमति प्रतिभा, कनाडा

8. डॉ. उमेश रस्तोगी, लंदन

सहयोग राशि : देश में : साधारण अंक 100/- वार्षिक : 1000/-

आजीवन सदस्यता : 10000/-

विदेशों में : साधारण अंक : 18 डॉलर, वार्षिक : 180 डॉलर

सारे भुगतान (मनीऑर्डर/चेक/ड्राफ्ट) नवीन सामाजिक शोध के नाम से लिये जायेंगे।

चेक पे भुगतान करने पर रू. 30/- अतिरिक्त भेजें।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक : राजेन्द्र सक्सेना द्वारा एम.आई. ऑफसेट वर्क्स

91, रशीदिया स्कूल के पास, बरखेड़ी, भोपाल द्वारा मुद्रित एवं 25, रूप नगर कॉलोनी

जे.के. रोड, भोपाल-462 023 (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक - श्रीमति सविता सक्सेना।

सभी लेखों में लेखकों के अपने मौलिक विचार हैं। संपादक अथवा संपादक मंडल का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। हमारा संपादक मंडल पूर्णतः अवैतनिक एवं अध्यावसायिक है। विवाद की स्थिति में सभी विवादों का न्यायक्षेत्र भोपाल रहेगा।

नवीन सामाजिक शोध

इस अंक में

1. स्वच्छ भारत अभियान.....डॉ. डी.एन. यादव - 6
2. **Feminine Crisis in Anita****Dr.Mrs.Pratima Tyagi**-12
3. **OVERVIEW OF PROFIT**.....**Dr. Preeti Shrivastava** -18
4. महिलाओं के अधिकार.....नीलिमा चटर्जी -27
5. सेवा क्षेत्र के कर्मचारियों.....डॉ. ममता कुशगोतिया -33
6. **Women Characters in**.....**Dr Deepa S Kumar** 38
7. **Risk analysis in Capital**.....**Dr.N.C Jain** -43
8. मध्यप्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय.....डॉ. पूजा तिवारी -49
9. **Right to access Internet is an** Yogesh Pandit -59
10. गांधी दर्शन की प्रासंगिकता.....हरीराम -64
11. **A STUDY ON MOTIVATION AND**.....**SHWETA SHUKLA** -69
12. **SWAT Analysis of goods**.....**Dr. Namrata Khandelwal**-79
13. जहाँ कदर चुगताई हालाते.....डा.कु.मुबशिराह अरब-87
- 14.जहाँ कदर चुगताई की कालम.....डा. कु. मुबशिराह अरब -94
15. **Globalisation and its impact**.....**Dr. Deepti Nigam**-99
- 16.**Role of FDI in Economic**.....**Dr. Deepti Nigam**-103
- 17.**Rituals of Kashmiri Pundits**..... **.Shiraz Akhter** -107

सलाहकार मंडल

- **प्रो. डॉ. आई.एस. चौहान** पूर्व कुलपति, बरकतुल्लाह एवं भोज विश्वविद्यालय भोपाल-म.प्र. । फोन: 0755-2424777
- **प्रो. डॉ. विनोद पी. सक्सेना**, पूर्व कुलपति, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर म.प्र. । फोन 0755-2628055
- **प्रो. डॉ. संतोष कुमार श्रीवास्तव**
पूर्व कुलपति डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर-म.प्र.
- **प्रो. डॉ. राजपाल सिंह** सदस्य सलाहकार यूजीसी (उच्च शिक्षा)
भारत सरकार मो. 9425028689
- **वरिष्ठ वकील श्री खलीलउल्लाह खान**, पूर्व चेयरमेन, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग भोपाल-म.प्र. मो. 9826225266
- **डॉ. ललित श्रीवास्तव नेत्र विशेषज्ञ**, अध्यक्ष मध्यप्रदेश डॉक्टर्स एसोसिएशन भोपाल-म.प्र. । मो. 9827007500

संपादक मंडल

- प्रो. संजय एस. अग्रवाल, विभागाध्यक्ष, पीपुल्स मेडीकल कालेज
- प्रो. अलका डेविड, विभागाध्यक्ष गृह विज्ञान शा. सरोजनी नायडू कालेज
- प्रो. अरविंद चौहान, बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल
- प्रो. आर. शंकर, विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र भारतीदर्शन विश्वविद्यालय, तिरुचरापल्ली-तमिलनाडु (620024)
- प्रो. परवेज अहमद अब्बासी, विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र विभाग, बी.एन.एस.जी. विश्वविद्यालय, सूरत, गुजरात।
- प्रो. डॉ. कामिनी जैन, प्राचार्य शास. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पिपरिया।
- प्रो. आभा चौहान, विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र विभाग जम्बु एण्ड कश्मीर .।
- डॉ. वंदना बक्शी, सहायक प्राध्यापक, अंग्रेजी विभाग एक्सीलेस कालेज, कोलार रोड भोपाल।
- डॉ. दिनेश परमार, अनुवांशिकी विभाग, ब.वि. भोपाल।
- डॉ. आरती श्रीवास्तव, सहायक प्राध्यापक, समाजशास्त्र विभाग शासकीय कॉलेज नरसरुल्लागंज।
- डॉ. जितेन्द्र कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, फैकल्टी आफ कामर्स एंड मैनेजमेंट जी.जी.डी.एस.डी. (पीजी) कालेज पलवल।
- डॉ. अनुपमा सुरेश, सहा. प्राध्यापक, भेल कॉलेज, भोपाल।
- डॉ. कायनात तंवर, विक्रम युनिवर्सिटी, उज्जैन।
- डॉ. विपिन व्यास, व्याख्याता, लिमनोलॉजी ब.वि. भोपाल।
- श्री अजय बिसारिया, व्याख्याता, हिन्दी विभाग, अ.मु.वि. अलीगढ़-उ.प्र.।
- डॉ. विश्वनाथ मिश्रा, पूर्व प्राचार्य (समाजशास्त्र) कालीचरन पी.जी. कालेज, लखनऊ।
- इंजि. रोहन गुप्ता, एम-2/5 बी.डी.ए. कालोनी, लालघाटी, भोपाल।

संपादकीय

दिल्ली सरकार ने एक ऐसा सख्त फैसला लिया है, जो सारे देश के लिए मिसाल बन सकता है। निजी अस्पतालों ने अपने आचरण से लोगों के मन में अपने प्रति एक तरह का अविश्वास पैदा कर दिया है। इसलिए ये जनभावना व्यापक है कि उनकी जवाबदेही तय करने का कोई तरीका हो। राष्ट्रीय राजधानी के शालीमार बाग इलाके में स्थित मैक्स अस्पताल का लाइसेंस रद्द कर दिल्ली सरकार ने दिखाया है कि ऐसा करने के प्रावधान मौजूद हैं। जाहिर है, प्रशासन उन्हें लागू करने का साहस अक्सर नहीं दिखा पाता। नतीजतन, ज्यादातर निजी अस्पताल इलाज और सेवा का स्थल होने के बजाय मरीजों से पैसा ऐंठने की जगह बनते चले गए हैं। मैक्स अस्पताल की शालीमार बाग शाखा में हद हो गई, जब प्रीमेच्योर (समय से पूर्व) जन्मे जुड़वां शिशुओं को डॉक्टरों ने मृत बताकर शव उनके माता-पिता को सौंप दिए, जबकि एक शिशु जीवित था। इससे ज्यादा लापरवाही आखिर और क्या हो सकती है

अस्पताल ने दो संबंधित डॉक्टरों को नौकरी से हटाकर सारी जिम्मेदारी उन पर थोपने की कोशिश की। जबकि इस घटना से असल में निजी अस्पतालों की संस्कृति कठघरे में पहुंची। वहां के हालात से परिचित लोग मानते हैं कि निजी अस्पतालों के डॉक्टरों पर मुनाफा कमाकर देने का आज इतना दबाव है कि वे हर मरीज को सिर्फ आमदनी का जरिया मानने लगते हैं। कुछ समय पूर्व हरियाणा के गुरुग्राम में एक अस्पताल ने डेंगू पीड़ित बालिका के इलाज (जिसकी मौत हो गई) के बदले 16 लाख रुपए का बिल थमा दिया था। जांच के लिए बनी सरकारी समिति ने अस्पताल के आचरण को दोषपूर्ण माना। तब हरियाणा सरकार ने कहा कि वह अस्पताल को दी गई जमीन की लीज रद्द करने की संभावनाओं का पता लगा रही है।

स्पष्टतः ऐसे सख्त कदमों की बेहद आवश्यकता है। भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था अधिकाधिक निजी क्षेत्र पर निर्भर होती गई है। अनुमानतः अपने देश में इलाज पर तीन चौथाई खर्च मरीजों को अपनी जेब से करना पड़ता है। यानी लोक स्वास्थ्य व्यवस्था का योगदान काफी सिकुड़ चुका है। ऐसे में जरूरी है कि न सिर्फ निजी अस्पतालों में मौजूद इंतजामों, बल्कि वहां के डॉक्टरों और प्रबंधन के व्यवहार की भी लगातार निगरानी की जाए। इस पर अब खुली बहस हो कि क्या इन अस्पतालों में मरीजों की अनावश्यक जांच कराई जाती है? क्या वहां गैर-जरूरी उपचार (खासकर सर्जरी) किया जाता है? क्या डॉक्टरों का नुस्खा दवा कंपनियों से उनकी मिलीभगत से प्रभावित होता है? एक राय है कि अत्यधिक बिल या इलाज में लापरवाही इन सबका ही परिणाम है। देशभर में अक्सर आती रहती हैं।

स्वच्छ भारत अभियान - एक अध्ययन

डी.एन यादव

असि. प्रोफेसर

समाज शास्त्र विभाग

शा. महाविद्यालय, नसरुल्लागंज

स्वच्छ भारत अभियान क्या है ?

स्वच्छ भारत आंदोलन भारत को स्वच्छ बनाने के लक्ष्य के साथ नई दिल्ली के राजघाट पर 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस अभियान की शुरुआत हुई। इसका लक्ष्य है 2 अक्टूबर 2019 तक हर परिवार को शौचालय सहित स्वच्छता-सुविधा उपलब्ध कराना है, ठोस और द्रव अपशिष्ट निपटान व्यवस्था, गाँव में सफाई और सुरक्षित तथा पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी उपलब्ध हो। ये भारत के राष्ट्रपिता को उनके 150वें जन्मदिवस पर सबसे उपयुक्त श्रद्धांजलि होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इस अभियान को सफल बनाने के लिये प्रधानमंत्री स्वयं अग्रसक्रिय भूमिका निभा रहे हैं; राजघाट पर उन्होंने खुद सड़कों को साफ कर इस मुहिम की शुरुआत की। जबकि, ये पहले ही निर्धारित कर दिया गया है कि ये अभियान केवल सरकार का कर्तव्य नहीं है बल्कि राष्ट्र को स्वच्छ बनाने की जिम्मेदारी इस देश के सभी नागरिकों है।

स्वच्छ भारत अभियान का इतिहास

स्वच्छ भारत आंदोलन की मुहिम आज तक स्वच्छता से संबंधित लिया गया एक बड़ा कदम है। इस अभियान को विश्वस्तर पर प्रसिद्ध करने के लिये तथा आम जनता को इसके प्रति जागरूक करने के लिये स्कूलों तथा कॉलेज के विद्यार्थियों सहित लगभग 3 लाख सरकारी कर्मचारियों ने इसके प्रारंभ होने के दिन इसमें भाग लिया। 1500 लोगों के मौजूदगी में 2 अक्टूबर 2014 को राष्ट्रपति भवन में इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया था। भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने झंडा दिखाकर इस आंदोलन की शुरुआत की। इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिये व्यापार, खेल और फिल्म उद्योग से जुड़े नौ प्रसिद्ध व्यक्तियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामित किया। उन्होंने उन नौ व्यक्तियों से निवेदन भी किया कि वे और नौ व्यक्तियों को इस अभियान से जोड़ें और स्वच्छता के इस आंदोलन को देश के कोने-कोने में रहने वाले हर एक भारतीय तक इसे पहुँचाए।

नरेन्द्र मोदी ने कहा कि इस मुहिम को चुनौती की तरह लेना चाहिये तथा व्यक्तिगत (पेड़ की शाखाओं की तरह) तौर पर दूसरे नौ लोगों को आमंत्रित करना चाहिये जिससे स्वच्छता का ये दृष्टीकोण 2019 तक पूरा हो जाए और इतिहास में उन्होंने महात्मा गाँधी और पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनके जन्मदिन पर श्रद्धांजलि देने के बाद स्वयं वाल्मिकी बस्ती के रास्ते को झाड़ू से साफ किया था। उन्होंने कहा था कि, स्वच्छ भारत अभियान का प्रतीक चिह्न, सिर्फ एक प्रतीक चिह्न नहीं है, इसके माध्यम से गाँधीजी हमें देख रहे हैं और हम सभी को भारत को साफ करना चाहिए। मैं ये दावा नहीं कर रहा कि नवनिर्वाचित सरकार सब कुछ कर रही है। ये मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों या किसी भी जगह, हमें अपने आसपास साफ-सफाई रखने के प्रयास करने चाहिए। स्वच्छता केवल 'सफाई कर्मचारियों' की जिम्मेदारी नहीं है, ये 125 अरब भारतीयों की जिम्मेदारी है। यदि भारतीय मंगल ग्रह पर सबसे कम लागत पर पहुँच सकते हैं, तो क्या हम अपने चारों ओर के वातावरण को भी साफ नहीं कर सकते? ५

स्वच्छ भारत अभियान के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं- व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण कराना, खुले में शौच को खत्म करना, स्वच्छता के लिए लोगों में जागरूकता लाना, आम जनता के बीच में शौचालयों के प्रयोग को बढ़ावा देना, व्यवहारिक बदलाव को बढ़ावा देना, गाँवों को स्वच्छ रखना, ठोस और द्रव्य अपशिष्टों के निराकरण की उचित व्यवस्था, गाँवों में उचित पाइप लाइन की व्यवस्था, पानी की पूर्ति को सुनिश्चित करना आदि। इस मिशन का एकमात्र उद्देश्य अपने देश को हमेशा के लिए स्वच्छ और खुश नागरिकों के साथ साफ और विकसित देश बनाना है।

भारत की स्वच्छता और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, भारत की सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान को 2 अक्टूबर 2014 को (बापू की 145वीं जयंती पर), 2 अक्टूबर 2019 (बापू की 150वीं जयंती) तक पूरा करने के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया। ये अभियान सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को लेकर पूरे भारत में स्वच्छता को बनाये रखने के लिए शुरू किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अभियान को शुरू करते समय कहा था कि, मैं ये दावा नहीं करता कि नव-निर्वाचित सरकार ही सब कुछ कर रही है। सभी सरकारों ने देश में कुछ ना कुछ स्वच्छता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अवश्य किया है; मैं उन सबकी इसके लिए प्रशंसा करता हूँ। स्वच्छ भारत अभियान राजनीति से परे है। ये देशभक्ति से प्रेरित है, न कि राजनीति से। ५

सफाई केवल एक व्यक्ति या स्थान से जुड़ी हुयी नहीं है, अपने साथ ही निकट भविष्य में अपने चारों ओर वास्तव में भारत को स्वच्छ बनाने की सभी की जिम्मेदारी है। ये देश में रहने वाले 12 अरब लोगों की सामूहिक

जिम्मेदारी है। इस अभियान को सफल और प्रभावशाली मिशन बनाने के लिए, भारत के प्रधानमंत्री ने 9 भारतीय व्यक्तियों को अभियान में शामिल करने के उद्देश्य से नामांकित किया ताकि, वो अपने क्षेत्र में इस अभियान को शुरू करके जागरूकता फैला सके और इस श्रृंखला को आगे इसी तरह बढ़ाया जाये जब तक स्वच्छ भारत का संदेश सभी तक न पहुँच जाये।

इस अभियान का उद्देश्य, पूरे देश में खुले में शौच को पूरी तरह से खत्म करके साफ-सफाई और स्वच्छता को बनाये रखना है। भारत में साफ-सफाई और स्वच्छता को बनाये रखने से देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ ही इसके नागरिकों को स्वस्थ और खुश रखने के लिए आर्थिक स्तर में बढ़ावा देने में महान अवसर लायेगा। साफ-सफाई बीमारियों के होने के अवसरों को कम करने के द्वारा सभी को सारे आयामों शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आन्तरिक रूप से खुश और स्वस्थ रखती है।

स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य

2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ भारत के मिशन और दृष्टि को पूरा करने के लिये भारतीय सरकार द्वारा कई सारे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई जो कि महान महात्मा गाँधी का 150वाँ जन्म दिवस होगा। ऐसा अपेक्षित है कि भारतीय रुपये में 62000 करोड़ अनुमानित खर्च है (9.7 ड्र.)। सरकार द्वारा ये घोषणा किया गया है कि ये अभियान राजनीति के उपर है और देशभक्ति से प्रेरित है। स्वच्छ भारत अभियान के निम्न कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य।

भारत में खुले में मलत्याग की व्यवस्था का जड़ से उन्मूलन।

अस्वास्थ्यकर शौचालयों को बहाने वाले शौचालयों में बदलना।

हाथों से मल की सफाई करने की व्यवस्था को हटाना।

लोगों के व्यवहार में बदलाव कर अच्छे स्वास्थ्य के विषय में जागरूक करना।

जन-जागरूकता पैदा करने के लिये सार्वजनिक स्वास्थ्य और साफ-सफाई के कार्यक्रम से लोगों को जोड़ना।

साफ-सफाई से संबंधित सभी व्यवस्था को नियंत्रित, डिजाइन और संचालन करने के लिये शहरी

स्थानीय निकाय को मजबूत बनाना।

पूरी तरह से वैज्ञानिक प्रक्रियाओं से निपटारों का दुबारा प्रयोग और म्यूनिसिपल ठोस अपशिष्ट का पुनर्चक्रण।

सभी संचालनों के लिये पूँजीगत व्यय में निजी क्षेत्रकों को भाग लेने के लिये जरूरी वातावरण और स्वच्छता अभियान से संबंधित खर्च उपलब्ध कराना।

शहरी क्षेत्रों के लिए स्वच्छ भारत मिशन

मिशन का उद्देश्य 1.04 करोड़ परिवारों को लक्षित करते हुए 2.5 लाख समुदायिक शौचालय, 2.6 लाख सार्वजनिक शौचालय, और प्रत्येक शहर में एक टोस अपशिष्ट प्रबंधन की सुविधा प्रदान करना है। इस कार्यक्रम के तहत आवासीय क्षेत्रों में जहाँ व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण करना मुश्किल है वहाँ सामुदायिक शौचालयों का निर्माण करना। पर्यटन स्थलों, बाजारों, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशनों जैसे प्रमुख स्थानों पर भी सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किया जाएगा। यह कार्यक्रम पाँच साल अवधि में 4401 शहरों में लागू किया जाएगा। कार्यक्रम पर खर्च किये जाने वाले ₹62,009 करोड़ रुपये में केंद्र सरकार की तरफ से ₹14,623 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त होने वाले ₹14,623 करोड़ रुपयों में से ₹7,366 करोड़ रुपये टोस अपशिष्ट प्रबंधन पर ₹4,165 करोड़ रुपये व्यक्तिगत घरेलू शौचालय पर ₹1,828 करोड़ रुपये जनजागरूकता पर और समुदाय शौचालय बनवाये जाने पर ₹655 करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे। इस कार्यक्रम खुले में शौच, अस्वच्छ शौचालयों को फ्लश शौचालय में परिवर्तित करने, मैला ढोने की प्रथा का उन्मूलन करने, नगरपालिका टोस अपशिष्ट प्रबंधन और स्वस्थ एवं स्वच्छता से जुड़ी प्रथाओं के संबंध में लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाना आदि शामिल हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वच्छ भारत मिशन

निर्मल भारत अभियान कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के लिए माँग आधारित एवं जन केन्द्रित अभियान है, जिसमें लोगों की स्वच्छता सम्बन्धी आदतों को बेहतर बनाना, स्व सुविधाओं की माँग उत्पन्न करना और स्वच्छता सुविधाओं को उपलब्ध करना, जिससे ग्रामीणों के जीवन स्तर को बेहतर बनाया जा सके। अभियान का उद्देश्य पांच वर्षों में भारत को खुला शौच से मुक्त देश बनाना है। अभियान के तहत देश में लगभग 11 करोड़ 11 लाख शौचालयों के निर्माण के लिए एक लाख चौत्तीस हजार करोड़ रुपए खर्च किये जाएंगे। बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी का उपयोग कर ग्रामीण भारत में कचरे का इस्तेमाल उसे पूँजी का रूप देते हुए जैव उर्वरक और ऊर्जा के विभिन्न रूपों में परिवर्तित करने के लिए किया जाएगा। अभियान को युद्ध स्तर पर प्रारंभ कर ग्रामीण आबादी और स्कूल शिक्षकों और छात्रों के बड़े वर्गों के अलावा प्रत्येक स्तर पर इस प्रयास में देश भर की ग्रामीण पंचायत, पंचायत समिति और बहराइच

को भी इससे जोड़ना है।

अभियान के एक भाग के रूप में प्रत्येक पारिवारिक इकाई के अंतर्गत व्यक्तिगत घरेलू शौचालय की इकाई लागत को 10,000 से बढ़ा कर 12,000 रुपये कर दिया गया है और इसमें हाथ धोने, शौचालय की सफाई एवं भंडारण को भी शामिल किया गया है। इस तरह के शौचालय के लिए सरकार की तरफ से मिलने वाली सहायता 9,000 रुपये और इसमें राज्य सरकार का योगदान 3,000 रुपये होगा। जम्मू एवं कश्मीर एवं उत्तरपूर्व राज्यों एवं विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों को मिलने वाली सहायता 10,800 होगी जिसमें राज्य का योगदान 1,200 रुपये होगा। अन्य स्रोतों से अतिरिक्त योगदान करने की स्वीकार्यता होगी।

स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय अभियान

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन स्वच्छ भारत-स्वच्छ विद्यालय अभियान केन्द्रीय 25 सितंबर, 2014 से 31 अक्टूबर 2014 के बीच केन्द्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयसंगठन में आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान की जाने वाली गतिविधियों में शामिल हैं-

स्कूल कक्षाओं के दौरान प्रतिदिन बच्चों के साथ सफाई और स्वच्छता के विभिन्न पहलुओं पर स्त्रविशेष रूप से महात्मा गांधी की स्वच्छता और अच्छे स्वास्थ्य से जुड़ी शिक्षाओं के संबंध में बात करें।

कक्षा, प्रयोगशाला और पुस्तकालयों आदि की सफाई करना।

स्कूल में स्थापित किसी भी मूर्ति या स्कूल की स्थापना करने वाले व्यक्ति के योगदान के बारे में बात करना

और इस मूर्तियों की सफाई करना।

शौचालयों और पीने के पानी वाले क्षेत्रों की सफाई करना।

रसोई और सामान ग्रह की सफाई करना।

खेल के मैदान की सफाई करना

स्कूल बगीचों का रखरखाव और सफाई करना।

स्कूल भवनों का वार्षिक रखरखाव रंगाई एवं पुताई के साथ।

निबंध, वाद-विवाद, चित्रकला, सफाई और स्वच्छता पर प्रतियोगिताओं का आयोजन।

बाल मंत्रिमंडलों का निगरानी दल बनाना और सफाई अभियान की निगरानी करना।

इसके अलावा फिल्म शो, स्वच्छता पर निबंध / चित्रकारी और अन्य प्रतियोगिताएं, नाटकों आदि के आयोजन द्वारा स्वच्छता एवं अच्छे स्वास्थ्य का संदेश प्रसारित करना। मंत्रालय ने इसके अलावा स्कूल के छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों और समुदाय के सदस्यों को शामिल करते हुए सप्ताह में दो बार आधे घंटे सफाई अभियान शुरू करने का

प्रस्ताव भी रखा है।

सन्दर्भ:-

1. ["MDWS Intensifies Efforts with States to Implement Swachh Bharat Mission"](#), *Business Standard*, 18 March 2016
2. ["Time to clean up your act"](#), *Hindustan Times*
3. ["Nirmal Bharat Abhiyan failed to achieve its desired targets: CAG"](#), *Mint*, 16 December 2015
4. <https://www.indiasmarthelp.in/paise-kamane-ka-tarika/>
5. [IRC:India: Unrealistic approach hampers rural sanitation programme](#), 1 June 2007
6. Institute of Development Studies:[Community-led total sanitation:India](#)
7. Benny George:[Nirmal Gram Puraskar: A Unique Experiment in Incentivising Sanitation Coverage in Rural India](#), International Journal of Rural Studies (IJRS), Vol. 16, No. 1, April 2009
8. [Poo2Loo to break open defecation taboo](#)
9. ["Swachh Bharat Abhiyaan: Government builds 7.1 lakh toilets in January"](#). *timesofindia-economictimes*.
10. ["Swachh Bharat Abhiyaan: PM Modi govt builds 7.1 lakh toilets in January"](#). *Firstpost*.
11. <https://hindi.mapsofindia.com/government-of-india/Swachh-bharat-abhiyan.html>

Feminine Crisis in Anita Desai's Fire on the mountain

Dr.Mrs.Pratima Tyagi

Department of english

B.U .Bhopal

Fire on the Mountain : A Feminist Discourse

Fire on the Mountain is another female-centred narrative that portrays the lives of three women the elderly Nanda Kaul, her great-grand daughter Raka and Nanda Kaul's lifelong friend Ila Das who one by one retreat to Carignano, a small village in the Himalayan hill station of Kasauli, to escape the brutal patriarchal worlds in which they have each lived.

In this novel, “the story element is very thin and there is practically no action except for the tragic end”.¹ Nanda Kaul is the wife of Mr.Kaul, the Vice-Chancellor of the Punjab University. When the novel begins, Nanda Kaul is living in Carignano, far from the madding crowd. She is leading a life of isolation and introspection. She shuns all human company. Even the postman's arrival to deliver the letter is frowned upon by her. But this seeming quietude does not last long. Raka arrives at Carignano to convalesce after her typhoid attack. The novel is shortlisted for England's coveted Booker Prize and it is first of her novels to be published in the United States. It is the most outspoken novel on feminism hitherto written by Anita Desai. In the words of R.K.Gupta:

Anita Desai's Fire on the mountain presents a study of trauma of a housewife, the

trauma that takes refuge in seclusion. The life long faithlessness of Mr Kaul to Nanda Kaul and the hypocritical situation force her to avow this severance. Nanda Kaul has conceded this after passing through mental suffering and bitter experiences of a marital life.²

Marital Incongruity

Life with the Vice-Chancellor had long ordeal with only the duties and responsibilities of Nanda Kaul's position without any love attached to it. She is disillusioned with her selfish, infidel husband, who “treated her simply as some useful object”.³ In the words of Gopal N.R., “She is so busy raising the family and discharging the duties of mother, housewife and hostess that in the evening of her life she is happy in her seclusion even though it is partly voluntary and partly circumstantial.”⁴ Mrs. Desai probes deep into the problematic life of Nanda Kaul, who, besides being the wife of a Vice-Chancellor and leading a luxurious life, is satiated by it. “Outwardly Kauls were an ideal couple to university community but from inside it was all empty, the whole social role and socializing was a mere sham”. Her life with her husband was “lacking in composition and harmony”.⁵

There occurs another failed marital relationship in the novel the relationship between Raka's mother and her excessive drinking and aggressive

father. Desai, through Raka, brings forth the marital violence. Tara, Raka's mother is the helpless victim. She is physically and mentally persecuted by her husband who is an officer in the Indian Foreign Service. It is the utter dependence of woman and her lack of awareness that contribute to battering of women. According to Wilhelm Reich:

a repressive society thus automatically produces repressive people; the only way of breaking through this and setting this conflict the other way is by loosening the character armour and releasing and satisfying the sexual instincts. We always get back there in the end.⁶

Self- Willed Detachment from Society

Nanda Kaul feels empty inside, isolated from other men and women. But she tries to fight the vastness and complexity of problems that confront her by resorting to regression. In order to pacify the trauma of the self that feels abandoned, she tries "reconstructing, block by block, by block, of the castle of childhood."⁷

The final confrontation is with her real life situations. It is the arrival of her great granddaughter Raka that precipitates the intense conflicts. Raka was a natural recluse. It was not imposed on her by anyone (unlike her grandmother). It is this realization that shatters the facade of self-sufficiency and independence of Nanda Kaul. All her defence mechanism crumbles when she experiences Raka's indifference, self-sufficiency and autonomy. It threatens her sense of being. According to Richard:

“the overwhelming threats then recede into our unconsciousness. But through these manoeuvres we deny our own freedom to make choices. We shrink from our responsibilities and reject our own potentialities.”⁸

Thus Nanda Kaul's behaviour, her isolated existence, according to Desai is largely based on her previous experiences and due to the hostile environment. She starts the "disowning process". This disowning process is the disintegration of the pretentious social self when confronted with a crisis. The process gets completed when she takes in the news of Ila Das's murder.

Nanda Kaul embodies the predicament of women who are cast away by their families, who are driven to neurosis due to the sinister effects of pessimistic terror. The intensity of emotions which she experiences contribute to her complete breakdown. The already wounded self fails to surface into the clear light. The tragedy becomes complete when Raka sets the forest on fire. The fire on the mountain symbolizes the inner fire that rages in the heart of lonely, repressed and exploited women who are betrayed by the existing structure. Paul Sharrad observes about the tragedy of Nanda Kaul thus: "When her personal equilibrium is upset, there is nothing for her to fall back on. The gap remaining between transcendent forces and individual cares is so great that only something dramatically tragic can fill it"?

Physical Violence Against Women

Another character who wages her battle alone is Ila Das, a friend of Nanda Kaul. Her life itself was a battle, a battle for survival. She is described as an old animal that has been made to run before the hounds. Her family's decline becomes complete, when her brothers squander the family fortune. Not a penny is given to the two sisters, Ila and Rima. Ila is also given the responsibility of looking after her bedridden mother.

Ila is brutally raped on that particular night, after her visit to Carignano. Preet Singh

rapes her in order to take revenge. He tries to get his seven year old daughter married to a very old man for a quarter of an acre of land. Ila bravely fights against this and foils his plan. Though Ila Das loses her chastity and life in the process of her struggle with such brute forces, her life has nonetheless become meaningful by virtue of the fact that she chooses a cause, fights for it and sacrifices herself in trying to accomplish her task. An examination of the use of symbolism and imagery in the novel proves beyond doubt the novelists existential concern. She portrays a tragic world where woman has no escape in this male dominated patriarchal family system which sanctions security to women who choose living by slave morality losing identity as a person. The situation of Ila's sexual violence, Nanda's death and Raka's plight in the life, bring this into focus. It is a hint at our culture which has permitted woman to be and to remain essentially what is euphemistically feminine. The feminine refers to acceptance of roles which makes woman just a house hold slave, a social ornament or a sexual convenience. What Henric Ibsen, applies to these women very appropriately, "Home is Girl's prison and Women's workshop" .¹⁰ Through this novel, Anita Desai depicts the plight of women in a male dominated patriarchal, matrilineal, father dominated Indian society.

References

1. Indira ,s. Anita Desai as an artist. New Delhi: Creative Book, 1994.p.96.
2. Gupta, R.K., Trauma of A Houseful: Anita Desai's Fire on the Mountain, Critical Responses to Anita Desai, Volume 1,ed., Shubha Tiwari, New Delhi: Atlantic Publishers and Distributers, 2004, p.106.

3. Anita Desai, Fire on the Mountain (New Delhi: Allied Publishers, 1977), p.71.
4. N.R.Gopal ,A Critical Study of the Novels of Anita Desai (New Delhi: Atlantic Publishers and Distributors, 1999)p.37
5. Anita Desai, Fire on the Mountain (New Delhi: Allied Publishers, 1977),p. 25
6. Wilhelm Reich, Psycho-Analysis and Femininity (New York: Pantheon Books, 1974), p.186.
7. Anita Desai, Fire on the Mountain, (New Delhi: Allied, 1977), p.18.
8. Quoted in Richard. M. Ryckman, Theories of Personality (New York: D. Van Nostrand, 1978), p. 367.
9. Paul Sharrad, "Tradition and Tragedy: Anita Desai and R.K. Narayan", The Commonwealth Review, 2, No. 1-2, 1990-91.p. 186
10. Ibsen., Henric. 1981. A Doll's House. Delhi:B.I. Publications. p.28.

“OVERVIEW OF PROFIT ABILITY ANALYSIS OF HEG LTD”

Dr. Preeti Shrivastava
Asst. Professor
AISECT University

Dr. N.C.Jain
Retired Professor
Bhoj Open university, Bhopal

Abstract:

Profitability is the profit earning capacity which is an important factor contributing to the survival of the firms. Existence of the firms depends on the profit earning which is also considered to be the main factor in influencing the reputation of the firm. Every business should earn sufficient profits to survive and grow over a long period of time. It is the index to the economic progress, improved national income and rising standard of living. Profit analysis refers to the techniques used to generate an overall performance evaluation from the financial perspective. This research paper focuses on the profitability of HEG LTD from the FY 2013 to 2017. The research paper based on totally secondary data took from Annual report of HEG LTD. This research shows a good position by analysis of various ratios.

Introduction:

Profitability analysis is the method of used to generate an overall performance evaluation from the financial perspective. It is a level to analysis standard cost variance analysis for manufacturing costs. Every firm is concerned with its profitability one of the most frequently used tools of financial 'ratio analysis' which are used to determine the company's top to bottom line. Profitability analysis is a component of enterprise resource planning (ERP) that allows administrators to forecast the profitability of a proposal or optimize the profitability. Profitability sometimes ups and down by many factors like production, trend analysis, working capital, fund flow etc. cost objects is to profitability analysis can be applied are products and customers. Product profitability analysis (PPA) shows the product revenues, product costs and product profits for each product produced and sold by an organization.

The objective of the HEG Limited, Mandideep was to identify, prioritize, and recommend a set of cost-effective energy conservation schemes, which would reduce the overall consumption of electricity and fuel in the plant, without affecting the production or quality of products. Implementation of the suggested measures had led to reduction in the overall energy bill, thus reducing the cost of production and achieving a net increase in profitability. The following system equipment is compressed air system, water pumping system, transformers, and Thermic fluid heaters etc for using to increase the profitability of the firm. The Company recorded net sales of Rs.869.15 Crore during the financial year 2016-17 as compared to Rs.888.82 Crore in the previous financial year. The Net loss during the financial year 2016-17 was at Rs.50.10 Crore as compared to a net loss of Rs.7.55 Crore in financial year 2015-16 translating to basic earnings per share at Rs.(12.54) for the financial year 2016-17 as against Rs.(1.92) in financial year 2015-16. There are two Associates of the Company namely Bhilwara Info technology Ltd. and Bhilwara Energy Ltd. Bhilwara Info technology Ltd. had a turnover of Rs.40.77 Crore and Net Profit was Rs.3.96 Crore in the financial year 2016-17. Bhilwara Energy Ltd had a consolidated turnover of Rs.383.43 Crore and Net Profit was Rs.14.85 Crore for the financial year 2016-17. This study will helpful for the comparison of the ratio year by year so firm can take a decision for future growth.

Literature Review:

T. Venkatesan*; Dr. S. K. Nagarajan**, did study entitled in “an empirical study of profitability analysis of selected steel companies in India” in the year of 2012. The main objective of this study to found from the growth rate analyses. If the company cannot give concentration to this statement in future the company will become financial crisis and sail has maintained moderate level in the profitability, return from investment and expenses. It is the better position to sustain in market and also it may focus on cutoff growth rate of expense.

Mohan Kumar M S, Safeer Pasha M, & Bhanu Prakash T N studies on the topic of “Profitability analysis of selected cement companies in India” in the year of 2015. The research paper mainly focuses on analyses of profitability of selected cement companies in India during period of 2005 to 2014, the tools used for analysis are mean, standard deviation, co-efficient of variation and compound annual growth rate, the study found that the profitability position of Ambuja cements is satisfactory when compare to other companies.

Apporva Bhatnagar did study on the topic of “A Study on Profitability of HEG Ltd., Bhopal” in the year 2014. The research shows that HEG Ltd. is in sound position by analysis, the data and various profitability ratios from the given period 2005-062012-13.

Anura De Zoysa, Athula S. Manawaduge, Palli Mulla K A Chandrakumara, did study entitled of “Profitability analysis of listed manufacturing companies in Sri Lanka and Malaysia: An empirical investigation” in the year of 2009. The results indicate that during this period Sri Lankan manufacturing companies were considerably more profitable than their counterparts in Malaysia in terms of ROA but less profitable in terms of ROE. It also identifies a relatively weaker position of equity investments in the manufacturing sector of Sri Lankan companies and attributes this to a number of factors, including: a relatively poor equity market, high interest rates, and excessive fear of high risk investment. A similar trend was observed when the profitability and equity of companies were analyzed by industry.

Shri Atal Bihari Vajpayee, Amit Kumar Singh did study in the title of “An analysis of profitability position of private bank in India” in the year of 2015. The Profitability is a measure of efficiency and control it indicates the efficiency or effectiveness with which the operations of the business are carried on. Profitability ratios provide different useful insights into the financial health and performance of a

company. A business that is not profitable cannot survive. Conversely, a business that is highly profitable has the ability to reward its owners with a large return on their investment. Increasing profitability is one of the most important tasks of the business managers. Managers constantly look for ways to change the business to improve profitability. These potential changes can be analyzed with a support of income statement and balance sheet.

John A. Brierley in title of “An examination of the use of profitability analysis in manufacturing industry” in the year of 2016. The aim is to identify those products that contribute to the low profit or loss of a customer. In those operating units preparing only PPA, its function is to identify low profit or unprofitable products. This information is used to assist in determining what action should be taken to Increase the profits of those products. In contrast, customer focused operating units produce only CPA.

Objective of the study:

To analyze the Net Profit ratio, Gross Profit ratio and net asset ratio of HEG LT

To examine the growth and profitability of the firm.

To ascertain the overall earnings performance of the firm.

Scope of the Study:

I did study of leading industry HEG Ltd graphite electrode manufacturer in India. The company engaged in manufacturing graphite electrodes and a captive power generation. This study covers 5 years published data from 2013-2017. This study will help for growth of sales.

Methodology of the study:

This study is descriptive in nature and data has been collected from the official website of NSE and financial report of HEG Ltd. The period of the study covers 5 years data from 2013 to 2017. In this study we applied tools like- Gross Profit ratio, Net profit ratio, and Net profit on Total Assets Ratio.

Limitations of the study:

The data only analyzed of HEG Ltd. Mandidee

Other Graphite factories are not taken into account.

Time and cost analysis study is also limited.

Data analysis and Interpretation:

In this research paper we have done descriptive research and data has been collected from the firm HEG Ltd. For this study we applied ratio like Gross profit ratio and net profit ratio and net profit on total assets ratio. These ratio and interpretation of table explanation are given below:

Gross Profit Ratio:

$$\text{Gross Profit Ratio} = \text{Gross profit} / \text{Net sales} * 100$$

Table No-1.1

Years	Net Sales	Gross profit	Ratio
2012-13	1622.61	824.29	50.80%
2013-14	1466.81	644.88	43.96%
2014-15	1233.07	593.16	48.10%
2015-16	869.50	332.24	38.21%
2016-17	860.04	342.77	39.35%

Sources: Annual report of HEG LTD of 2013-2017.

Interpretation: Gross profit ratio is the ratio of profitability which indicates the ratio of the firm with net sales. In this table (Table no- 1.1) we analysis the Gross profit ratio for the financial year 2013 to 2017. The gross profit ratio for the period of 2012-2013 was Rs 50.80%, 203-2014 was Rs 43.96%, FY 2014-2015 Was Rs. 48.10%, FY 2015-2016 was Rs. 38.21% and FY 2016-2017 was Rs. 39.35% respectively. The ratio some time increased and sometime decreased which shows when the gross profit ratio is high shows the

progress of the firm and when gross profit ratio is less then shows poor growth of the firm.

Net profit ratio

$$\text{Net profit Ratio} = \text{Net Profit} / \text{Net sales} * 100$$

Table No- 1.2

Years	Net Sales	Net profit	Ratio
2012-13	1622.61	105.79	6.51%
2013-14	1466.81	86.62	5.90%
2014-15	1233.07	39.00	3.16%
2015-16	869.50	15.15	1.74%
2016-17	860.04	50.10	5.82%

Sources: Annual report of HEG LTD of 2013-2017.

Interpretation: The net profit ratio is also shows the profitability of the firm. It is the % of profit from operation with net sales. In this table we analysis the net profit from the financial year 2013-2017. The ratio increased and decreased from year by year. The percentage of net profit ratio in the FY 2012-2013 was Rs 6.51%, FY 2013-2014 was Rs. 5.90%, FY 2014-2015 was Rs. 3.16%, FY 2015-2016 was Rs. 1.74% and FY 2016-2017 was Rs. 5.82% respectively. Gradually this table showed the positive result of the firm.

Net profit on Total Assets Ratio:

$$\text{Net profit on Total assets ratio} = \text{Net Profit} / \text{Total Assets} * 100$$

Table no-1.3

Years	Net profit	Total Assets	Ratio
2012-13	105.79	2078.42	5.08%
2013-14	86.62	1757.44	4.92%
2014-15	39.00	1769.01	2.20%
2015-16	15.15	1552.97	0.97%
2016-17	50.10	1419.29	3.52%

Sources: Annual report of HEG LTD of 2013-2017.

Interpretation:

This ratio is representing as a product of the firm margin and the total assets turnover. This table indicates the net profit on total assets ratio from the financial year 2013-2017. The percentage of ratio in the FY 2012-2013 was Rs. 5.08%, FY 2013-2014 was Rs 4.92%, FY 2014-2015 was Rs. 2.20%, FY 2015-2016 was Rs. 0.97% and FY 2016-2017 was Rs. 3.52% respectively. Sometimes ratio has been increased that shows the positive sign of the firm and sometimes ratio has been decreased which shows the poor sign of the firm.

Conclusion:

The overall profit are increasing order but not as compared to sales, total assets and equity. So, the company uses the Hedging concepts for fluctuate the rates which will be appropriate in near future. After the analysis of various data of the HEG Ltd founded that profitability more or less depends upon the better utilization of resources, cut off expenses and quality of management function in the products, customer services and to manpower and goodwill and market share. It is worthwhile to increase production capacity and use advance technology to cut down cost of production and wage cost in order to increase profitability, not only against the investment, but also for investors return point of view performance of HEG Ltd. regarding was good but it was observed that the gross profit, net

Suggestion:

The company's sales were increasing order over the year under study period by ratio analysis. The analysis suggests that there is the potential to increase rates of recycling at a positive net benefit for nearly all waste streams. The contributing factors to the net benefits vary by material, but where they are included (household waste, including organics, end-of-life tyre and used oil), direct consumer benefits, estimated from a willingness to pay study undertaken in parallel with this study, are the most significant contributing factor to total benefits.

Website:

www.moneycontrol.com

www.hegltd.com

www.google.com

www.google scholar.com

Bibliography:

Asha Sharma and R.B. Sharma “Study on A Comparison Financial Performance in Textile Industry”, International Journal on Business Management Economics and Information Technology, Vol-3, No.1, January-June 2011 pp.175-180.

Aubry lyimo, Dr. Reubenij.L Mwamakim bullah kiko F.S. Hamza, “Conformity Enhancement of Treated Wood Poles to Customer's Specifications for Improved Performance and Profitability of a Treatment Plant”, I-Annual Journal of IMS Ghaziabad Vol.7, No.2, July December 2010, pp.19-28.

Apoorva Bhatnagar, Pravin Chaudhary “A Study on Profitability of HEG Ltd., Bhopal”, IRS International Journal of Research in Social & management Science. Volume: 2, Issue: 3 July- September 2014.

Amit Kumar Singh, “An analysis of profitability position of private bank in India” International Journal of Scientific and Research Publications, Volume 5, Issue 5, May 2015 1 ISSN 2250-3153.

Dr.M. Thyigarajan and Mr J.Uday Kumar (2015), “Profitability analysis of select aluminium companies in India” Indian journals of Applied Research vol No 5 issue 4 April 2015 pp: 807 to 809.

Dr. Nabi Rasool, Dr. Prabhakar, D. and Narayana Gowd, T. (2013), “Profitability

performance analysis of Hyderabad industries limited at Hyderabad, India”, International Journal of Current Research Vol. 5, Issue, 5, pp.1229-1231, May, 2013.

Kohli, H.; and Chawla, A.S. (2006), “Profitability Trends in Commercial Banks A Study of Selected Commercial Banks”, Indian Management Studies Journal, October, Vol.11, No.2, pp. 51-70.

Mohan Kumar M S, Safer Pasha M & Bhanu Prakash T N “Profitability analysis of selected cement companies in India” International Journal of Multidisciplinary Research and Modern Education (IJMRME) ISSN (Online): 2454 6119 Volume I, Issue II, 2015

T. VENKATESAN*; DR. S. K. NAGARAJAN***”An empirical study of Profitability analysis of selected steel companies in India” International Journal of Marketing, Financial Services & Management Research Vol.1 Issue 10, October 2012, ISSN 2277 3622.

महिलाओं के अधिकार के अधिकार एक अध्ययन

नीलिमा चटर्जी

समाज शास्त्र विभाग सहायक प्राध्यापक

शा. वीर सावरकर महाविद्यालय, औबेदुल्लागंज

मानवाधिकार का अर्थ

मानवाधिकारों से तात्पर्य मानव के लिए मनुष्य को मानव होने के लिए आवश्यक अधिकारों से होता है अर्थात् मानव अधिकारों से तात्पर्य मानव के उन न्यूनतम अधिकारों से है, जो प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यक रूप से प्राप्त होने चाहिए, क्योंकि वह मानव परिवार का सदस्य है। मानवाधिकार एवं मानव गरिमा की धारणा के मध्य घनिष्ठ संबंध है अर्थात् वे अधिकार जो मानव गरिमा को बनाये रखने के लिए आवश्यक है, उन्हें मानव अधिकार कहा जाता है। इसमें मनुष्य की जाति, लिंग, सामाजिक स्थिति, आर्थिक, राजनैतिक, राष्ट्रीयता एवं व्यवसाय के कारण किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। मानवाधिकारों के कारण ही किसी समाज में रहने वाले पुरुष व महिलाएं अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं तथा सामाजिक एवं आर्थिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति कर सकते हैं।

इतिहास

प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति व्यवहारिक जीवन में पुरुषों की तुलना में हीन रही हैं। परन्तु शास्त्रों में उनका दर्जा उच्च रहा। उदाहरण के तौर पर नाइजेरिया अका संस्कृति में महिला अपने बल पर शिकार करती थी। ईजिप्त में क्लियोपेटरा जैसी प्रसिद्ध महिला शासक एक और उदाहरण के रूप में प्रस्तुत की जाती हैं।

संविधान, कानून और महिलाएं

भारतीय संस्कृति एवं जीवन पद्धति में मानव अधिकारों की प्रतिष्ठा प्राचीन काल से ही संस्थापित है। महाभारत कालीन साहित्य एवं कौटिल्य आदि के समय में महिलाओं पर प्रहार करना, निरापराधियों को सताना, राज्य प्रतिनिधियों को अपमानित करना, वर्जित माना गया था। समाज एवं परिवार में मानव अधिकारों का आदर करना भारतीय परम्पराओं और आस्था का स्थाविक अंग माना गया है। ब्रिटिश गुलामी के दिनों में भारत के कई क्षेत्रों में विशेषकर ग्रामीण इलाकों में सामन्तवादी प्रवृत्ति का बोलबाला था मालिक वर्ग गरीब मजदूरों से कम परिश्रमिक में अधिक कार्य करवाते थे। कभी कभी तो पशुओं से खराब बदतर व्यवहार किया जाता था। किन्तु स्वतंत्रता के बाद कुछ बदलाव आया। भारतीय संविधान के प्रावधानों ने अमानवीय स्थितियों को समाप्त कर सुव्यवस्थिति एवं सामाजिक सुरक्षा कायम करने का प्रयास किया। संविधान में मानव अधिकारों का उल्लेख किया गया है, जो इस प्रकार है-

मानवाधिकारों की प्रकृति

मानव अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जिनका राज्यों द्वारा आदर किया जाना अनिवार्य होता है। साथ ही ये अधिकार ऐसे मापदंड होते हैं जिसके माध्यम से राज्यों के कार्यों का मूल्यांकन किया जाना संभव हो पाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मानव अधिकारों को उपयोग की प्रकृति के आधार पर निम्न प्रकार से विभाजित किया जा सकता है:-

मानवाधिकारों के संरक्षण में राज्य का नकारात्मक रूप: ऐसे अधिकारों से हैं जिनके द्वारा राज्यों को कुछ करने से रोका जाता है। जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को कानून के उलंघन के बिना बंदी नहीं बनाया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को अकारण ही अपने विचार व्यक्त करने से रोका नहीं जा सकता है। व्यक्ति को किसी भी धर्म संप्रदाय के अनुसार आचरण करने से नहीं रोका जा सकता है। यदि इन नकारात्मक अधिकारों की सीमाएं किसी भी देश की सामाजिक-आर्थिक एवं राजनैतिक दशाओं के आधार पर अलग-अलग होता है।

2. मानवाधिकारों को संरक्षण में राज्य का सकारात्मक रूप: मानव अधिकारों के सकारात्मक रूप से तात्पर्य ऐसे अधिकारों से है जिसके अंतर्गत राज्य द्वारा अपने नागरिकों के लिए कुछ सुविधाएं एवं स्वतंत्रता प्रदान करता है अर्थात् अपने यहां इस प्रकार के दशाओं का निर्माण करेगा जिससे प्रत्येक स्वतंत्रता एवं गरिमा के साथ जीवन यापन कर सके। उदाहरणार्थ महिलाओं के लिए समानता एवं संपूर्ण विकास के अवसर प्रदान करना, सरकारों द्वारा गरीबों के खाने एवं रहने का प्रबंधन करना, किसानों के लिए छूट का प्रावधान आदि।

मानवाधिकार की विशेषताएं-

3. सार्वभौमिकता: मानव अधिकारों को सार्वभौमिक इसलिए कहा जाता है, क्योंकि यह अधिकार सभी व्यक्तियों, सभी समयों पर, तथा सभी स्थिति में प्राप्त होत है। इसी के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर के अंतर्गत कहा गया है कि मानव अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जो कि प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होते हैं अर्थात् यह अधिकार किसी एक विशेष एवं राजनैतिक स्थिति में प्रतिबंध नहीं होते हैं।

4. सर्वोच्चता: मानव अधिकारों को सर्वोच्च इसलिए माना जाता है क्योंकि राज्य द्वारा जनहित स्तर पर इन अधिकारों का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता है। विश्व के प्रत्येक देश में इन अधिकारों को संवैधानिक एवं कानूनी आधारों पर संरक्षण प्रदान किया जाना अनिवार्य होता है।

3. व्यवहारिकता: मानव अधिकारों की व्यवहारिकता से तात्पर्य है कि मानव अधिकार सभी व्यक्तियों के लिए होते हैं तथा उन्हें व्यवहारिक तभी माना जा सकता है कि जब वह समाज के प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम इतना अवसर एवं सुविधाएं प्रदान करे जिसमें वे अपना जीवन यापन कर सकें। मानव अधिकार केवल कानून एवं नियमों तक सीमित न रहकर उन्हें व्यवहारिक रूप प्रदान करने के लिए प्रयास किया जाना ही मानव अधिकारों के वास्तविकता को प्रदान करता है।

4. क्रियान्वयन योग्य: मानव अधिकारों का तात्पर्य ऐसे अधिकारों से होता है जो कि वास्तविक रूप से क्रियान्वयन किये जाने योग्य होते हैं। अर्थात् ऐसे अधिकारों को कोई महत्व नहीं होता है। जिन्हें क्रियान्वयन करना संभव नहीं होता लेकिन संरक्षण अधिकारों द्वारा क्रियान्वयन किया जाना संभव होता है।

व्यक्तिगत मानव अधिकारों की अवधारण की उत्पत्ति मानव के स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में जन्म लेने से संबंधित है, जिसके तहत माना जाता है कि व्यक्ति के पास सोचने एवं समझने की शक्ति होती है अर्थात वह बौद्धिक प्राणी है। इस बौद्धिकता के कारण व्यक्ति अपना स्वयं भला-बुरा सोचने एवं नैतिक स्वतंत्रता के रूप में उसे अपने कार्यों के निर्धारण की स्वतंत्रता होनी चाहिए।

महिलाओं के वोट के लिए अभियान कर रही कुछ महिला

महिलाओं के अधिकार, वह अधिकार है जो प्रत्येक महिला या बालिका का विश्वव्यापी समाजों में पहचाना हुआ जन्मसिद्ध अधिकार या हक है। 19वीं सदी में महिला हक संग्राम और 20वीं सदी में फेमिनिस्ट आंदोलन का यह आधार रहा है। कई देशों में यह हक कानूनी तौर पर, अंदरूनी समाज द्वारा या लोगों के व्यवहार में लागू होता है तो कई देशों में यह प्रचलित नहीं है। कई देशों में व्यापक तौर पर मानवाधिकार का दावा निहित इतिहासिक और परम्परागत झुकाव के नाम पर महिलाओं और बालिकाओं का हक पुरुषों और बालकों के पक्ष में दे दिया जाता है। महिलाओं के अधिकार के विषय में कुछ हक अखंडता और स्वायत्तता शारीरिक करने की आजादी, यौन हिंसा से मुक्ति; मत देने की आजादी; सार्वजनिक पद धारण करने की आजादी; कानूनी कारोबार में प्रवेश करने की आजादी; पारिवारिक कानून में बराबर हक; काम करने की आजादी और समान वेतन की प्राप्ति; प्रजनन अधिकारों की स्वतंत्रता; शिक्षा प्राप्ति का अधिकार। महिला अधिकार यह समय %अस्मिता विमर्श% का है। विमर्श सचेत करते हैं अधिकारों और दायित्वों के प्रति। विभिन्न स्तरों पर जारी %स्त्री विमर्श% ने स्त्रियों से जुड़े अनेक सवालों को मुखर और प्रखर किया है। स्त्रियाँ स्वतंत्रता, सम्मान, समता और सहभागिता के लिए निरन्तर संघर्ष कर रही हैं। इस सन्दर्भ में यह जानना जरूरी हो जाता है कि भारत के संविधान ने महिलाओं को कौन-कौन से अधिकार दिए हैं। %महिला सशक्तिकरण% को सच करते हुए कानून ने महिलाओं को क्या-क्या शक्तियाँ प्रदान की हैं। जाहिर है कि इस लोकतंत्र में महिलाएँ यदि अपने अधिकारों को भली प्रकार जान जाएँ तो उनके %अस्तित्व% का संघर्ष सरल और सकारात्मक हो जाएगा। %महिला अधिकार% पुस्तक में ममता मेहरोत्रा ने मानवाधिकार को विश्व पटल पर रखकर स्त्री-प्रश्नों का विवेचन किया है। बीजिंग घोषणा-पत्र, वियना सम्मेलन-1993, भारतीय विधि आयोग की इक्कीसवीं रिपोर्ट के जरिए महिला अधिकारों के प्रति सामाजिक-वैधानिक सतर्कता का जायजा लिया गया है। सती प्रथा, डायन, विज्ञापन, मातृत्व, द्विविवाह, दहेज आदि पक्षों पर तर्कपूर्ण विचार करते हुए लेखिका ने इनके अनेक पक्षों का वर्णन किया है, विशेषतः कानूनी पक्ष का। पुस्तक की भाषा प्रवाहपूर्ण है, इसलिए पठनीयता भरपूर है। सचेत और सशक्त करती एक जरूरी किताब।

स्त्री की समानता के संघर्ष के प्रति दया या सहानुभूति की जरूरत नहीं है बल्कि, यह महसूस करने की जरूरत है कि यह तो उसका अधिकार था जो उसे दिया जाना चाहिए और इसे देने में अगर मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक, सामाजिक या आर्थिक असुविधाएं आये तब भी उसे दिया जाना चाहिए क्योंकि, स्त्री तो सर्जक है, उत्पादक है, श्रमिक है, वह उपभोक्ता नहीं है। स्त्री को सर्जक की बजाय ज्योंही हम उपभोक्ता बनाते हैं तो एक ओर उसकी सामाजिक सीमा बांध देते हैं वहीं दूसरी ओर उसके सारे अधिकार भी छीन लेते हैं। उसे उसकी स्वतंत्र पहचान से भी वंचित कर देते हैं अतः स्त्री समानता के लिए चलाया गया संघर्ष पितृसत्ताक विचारधारा के साथ-साथ उपभोक्तावादी पूंजीवादी

विचारधारा के साथ भी है। स्त्री समानता का संघर्ष सामाजिक-आर्थिक एवं राजनीतिक इन तीनों स्तरों पर एक ही साथ चलना चाहिए। इस क्रम में पुंसवादी विचारधारा द्वारा स्त्रियों में पैदा किया गया विभाजन (दलित महिला, सर्वा महिला, पिछड़ी महिला आदि) टूटेगा साथ ही स्त्रियों में समानता का बोध पैदा होगा। अर्थात् अधिकार मानव होने के कारण उसे जो अधिकार प्राप्त हो वे क्या हैं? कौन उन अधिकारों से उसे वंचित करता आया है? अंततः जीवित रहने का अधिकार, जो अधिकार सर्व वांछित है, अर्थात् सुरक्षा का अधिकार एवं संरक्षण अधिकार। जीवन कल्याण अधिकार। ये मुख्य अधिकार हैं। ये अधिकार कब मिल सकते हैं, इसके लिए वर्तमान तथा आने वाली पीढ़ी दोनों को ही स्वयं आत्म-निरीक्षण करना होगा और उक्त दोनों अधिकार उनके कर्तव्य बोध के संदर्भ में तय किया जाने चाहिए।

संविधान के अनुच्छेद 14 में कानूनी समानता, अनुच्छेद 15 (3) में जाति, धर्म, लिंग एवं जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव न करना, अनुच्छेद 16 (1) में लोक सेवाओं में बिना भेदभाव के अवसर की समानता, अनुच्छेद 19 (1) में समान रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 में स्त्री एवं पुरुष दोनों को प्राण एवं दैहिक स्वाधीनता से वंचित न करना, अनुच्छेद 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार समान रूप से प्राप्त, अनुच्छेद 25-28 में धार्मिक स्वतंत्रता दोनों को समान रूप से प्रदत्त, अनुच्छेद 29-30 में शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 39 (घ) में पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार, अनुच्छेद 40 में पंचायती राज्य संस्थाओं में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से आरक्षण की व्यवस्था, अनुच्छेद 41 में बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और अन्य अनर्ह अभाव की दशाओं में सहायता पाने का अधिकार, अनुच्छेद 42 में महिलाओं हेतु प्रसूति सहायता प्राप्ति की व्यवस्था, अनुच्छेद 47 में पोषाहार, जीवन स्तर एवं लोक स्वास्थ्य में सुधार करना सरकार का दायित्व है, अनुच्छेद 51 (क) (ड) में भारत के सभी लोग ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों, अनुच्छेद 33 (क) में प्रस्तावित 84वें संविधान संशोधन के जरिए लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था, अनुच्छेद 332 (क) में प्रस्तावित 84वें संविधान संशोधन के जरिए राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। गर्भावस्था में ही मादा भ्रूण को नष्ट करने के उद्देश्य से लिंग परीक्षण को रोकने हेतु प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 निर्मित कर क्रियान्वित किया गया। इसका उल्लंघन करने वालों को 10-15 हजार रुपए का जुर्माना तथा 3-5 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। दहेज जैसे सामाजिक अभिशाप से महिला को बचाने के उद्देश्य से 1961 में %दहेज निषेध अधिनियम% बनाकर क्रियान्वित किया गया। वर्ष 1986 में इसे भी संशोधित कर समयानुकूल बनाया गया। विभिन्न संस्थाओं में कार्यरत महिलाओं के स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रसूति अवकाश की विशेष व्यवस्था, संविधान के अनुच्छेद 42 के अनुकूल करने के लिए 1961 में प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम पारित किया गया। इसके तहत पूर्व में 90 दिनों का प्रसूति अवकाश मिलता था। अब 135 दिनों का अवकाश मिलने लगा है।

हर भारतीय महिला को पता होने चाहिए ये 10 कानूनी अधिकार

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम एक आर्थिक और राजनीतिक शक्ति पुंज के रूप में उभर रहे हैं। हमारे संविधान ने हमें जो अधिकार और अवसर दिए हैं उन्हें भी प्रमुखता मिल रही है। आज महिलाएं भी मेहनत कर रही हैं और अपने करियर को लेकर गंभीर हैं। हालांकि, मानसिक, शारीरिक और यौन उत्पीड़न, स्त्री द्वेष और लिंग असमानता इनमें से

ज्यादातर के लिए जीवन का हिस्सा बन गई हैं। ऐसे में महिलाओं को भी भारतीय कानून द्वारा दिए गए अधिकारों के प्रति जागरूकता होनी चाहिए।

1. समान वेतन का अधिकार- समान पारिश्रमिक अधिनियम के अनुसार, अगर बात वेतन या मजदूरी की हो तो लिंग के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जा सकता।

2. काम पर हुए उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार- काम पर हुए यौन उत्पीड़न अधिनियम के अनुसार आपको यौन उत्पीड़न के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का पूरा अधिकार है।

3. नाम न छापने का अधिकार- यौन उत्पीड़न की शिकार महिलाओं को नाम न छापने देने का अधिकार है। अपनी गोपनीयता की रक्षा करने के लिए यौन उत्पीड़न की शिकार हुई महिला अकेले अपना बयान किसी महिला पुलिस अधिकारी की मौजूदगी में या फिर जिलाधिकारी के सामने दर्ज करा सकती है।

4. घरेलू हिंसा के खिलाफ अधिकार- ये अधिनियम मुख्य रूप से पति, पुरुष लिव इन पार्टनर या रिश्तेदारों द्वारा एक पत्नी, एक महिला लिव इन पार्टनर या फिर घर में रह रही किसी भी महिला जैसे मां या बहन पर की गई घरेलू हिंसा से सुरक्षा करने के लिए बनाया गया है। आप या आपकी ओर से कोई भी शिकायत दर्ज करा सकता है।

5. मातृत्व संबंधी लाभ के लिए अधिकार- मातृत्व लाभ कामकाजी महिलाओं के लिए सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि ये उनका अधिकार है। मातृत्व लाभ अधिनियम के तहत एक नई मां के प्रसव के बाद 12 सप्ताह (तीन महीने) तक महिला के वेतन में कोई कटौती नहीं की जाती और वो फिर से काम शुरू कर सकती हैं।

6. कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार- भारत के हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो एक महिला को उसके मूल अधिकार- जीने के अधिकार का अनुभव करने दें। गर्भाधान और प्रसव से पूर्व पहचान करने की तकनीक (लिंग चयन पर रोक) अधिनियम (PCPNDT) कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार देता है।

7. मुफ्त कानूनी मदद के लिए अधिकार- बलात्कार की शिकार हुई किसी भी महिला को मुफ्त कानूनी मदद पाने का पूरा अधिकार है। स्टेशन हाउस आफिसर (S.H) के लिए ये ज़रूरी है कि वो विधिक सेवा प्राधिकरण (Legal Services Authority) को वकील की व्यवस्था करने के लिए सूचित करे।

संदर्भ रात में गिरफ्तार न होने का अधिकार- एक महिला को सूरज डूबने के बाद और सूरज उगने से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, किसी खास मामले में एक प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही ये संभव है।

9. गरिमा और शालीनता के लिए अधिकार- किसी मामले में अगर आरोपी एक महिला है तो, उसपर की जाने वाली कोई भी चिकित्सा जांच प्रक्रिया किसी महिला द्वारा या किसी दूसरी महिला की उपस्थिति में ही की जानी चाहिए।

10. संपत्ति पर अधिकार- हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत नए नियमों के आधार पर पुश्तैनी संपत्ति पर महिला और पुरुष दोनों का बराबर हक है।

भारत में मानवाधिकार आयोग

भारत में मानवाधिकार आयोग का इतिहास लंबा है आधुनिक काल में भारत में मानवाधिकारों के लिए संघर्ष

आजादी से काफी पूर्व ही आरंभ हो गया था। भारत को अंग्रेजों की दासता से मुक्ति मिली तो लोगों ने मानवाधिकारों के लिए कई मांगें सामने रखने लगे, उसके बाद सरकार ने आम जनता के मानवाधिकारों को संरक्षण प्रदान करने के लिए कानून में कई प्रावधान किये। धीरे-धीरे मानवाधिकारों की स्थिति में सुधार होने लगी लेकिन 1975 के आसपास भारत में मानवाधिकारों को गहरा धक्का लगा। 1975 से 1977 के बीच आपातकालीन स्थिति में मानवाधिकारों का बुरी तरह हनन हुआ। 14 वर्ष के करीब 1991 में कांग्रेस सरकार ने अपनी चुनावी घोषणा पत्र परिषद में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन का वायदा मतदाताओं से किया। 1992 में मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की सिफारिश की गई। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना के संदर्भ में विरोध के बावजूद बार बार यह मांग उठती रही कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना जल्द से जल्द की जाय।

संदर्भ-:

- * डॉ. मंजुलता छिल्लर- भारतीय नारी शोषण के बदलते आयाम- अर्जुन पब्लिशिंग हाउस दिल्ली 2010
 - * डॉ. प्रज्ञा शर्मा- भारतीय समाज में नारी- पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर, 2001
 - * रमा शर्मा व एम. के. मिश्रा- महिला विकास- अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली 2010
 - * डॉ. वीरेन्द्र सिंह यादव- नई सहस्राब्दी का महिला सशक्तीकरण- अवधारणा, चिन्तन एवं सरोकार भाग 1 एवं 2, ओमेगा पब्लिकेशन, दिल्ली, 2010
 - * डॉ. बी.एल. फाड़िया: लोक प्रशासन एवं शोध प्रविध- साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा, 2007
- http://www.rachanakar.org/2015/05/blog-post_8v.html
<tp://drishtipatpatrika.blogspot.in/2013/06/blog-post.html>

Isok {ks= ds deZpkfj;ksa dh HkkSfrd dk;Zn'kk IEca/kh fLFkfr dk v/;;u jryke jsyos e.My ds deZpkfj;ksa ds fo'ks"k lnHkZ esa

डॉ. ममता कुशगोतिया

अतिथि विद्वान,

शासकीय हमीदिया वाणिज्य एवं कला महाविद्यालय,

भोपाल, म.प्र.

प्रस्तावना – भारतीय रेल सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार प्रदान करने वाला सबसे बड़ा उद्योग है। केन्द्रीय सरकार के लगभग 48 प्रतिशत कर्मचारी इसमें नियुक्त हैं। भारतीय रेलवे देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत प्रतिष्ठान है। भारतीय रेलवे भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों कृषि, उद्योग, व्यापार, सेवा आदि के विकास में सहयोग करने वाला प्रमुख माध्यम परिवहन है इसके अतिरिक्त भारतीय रेल परिवहन राष्ट्रीय सुरक्षा, शांति व्यवस्था, सांस्कृतिक एवं भौगोलिक एकता स्थापित करने एवं उसे बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। भारतीय रेलवे के 17 क्षेत्रों में एक क्षेत्र 'पश्चिम रेलवे' है। जिसकी स्थापना 15 नवम्बर 1951 को हुई। इसका मुख्यालय मुंबई में है तथा इससे संबंधित मण्डल मुंबई (सेन्ट्रल) रतलाम, राजकोट, अहमदाबाद, भावनगर, वड़ोदरा है। "रतलाम रेलवे मण्डल" रेलवे का बहुत बड़ा जंक्शन है और परिवहन की दृष्टि से यातायात के लिये प्रसिद्ध है। रतलाम रेलवे मण्डल की स्थापना 1 अगस्त 1956 को हुई थी। इस मण्डल में कुल 134 स्टेशन हैं जिसमें 108 ब्लॉक स्टेशन तथा पलैंग स्टेशन 26 हैं इन पर कुल 155 रेलें नियमित दौड़ती हैं। रतलाम रेलवे मण्डल में प्रतिदिन सफर करने वाले यात्रियों की औसत संख्या लगभग 1,41,738 होती है।

fo"k; dk p;u ,oa vko';drk & vkt tc ge vUrjkZ"V ;rk dh
ckr djrs gSa rd de ls de jk"V ds vUnj ds vUrj o nwjh dks rks
leklr djuk cgqr gh vko';d gS vkSj ;g rHkh fd;k tk ldrk gS] tc ns'k
,d gks] ns'k dks ,d djus okys ;krk;kr ds lk/kuksa esa] dk;Zjr
deZpkjh leL;k xzLr u gksA ysfdu orZeku ;qx esa lekt ds fofHkUu
vaxksa esa vkSj vFkZO;oLFkk ds fofHkUu {ks=ksa esa pkgs og
lkoZtfud {ks= gks ;k futh {ks=} izR;sd {ks= esa dk;Zjr

deZpkfj;ksa es vlarks" k c < +rk tk jgk gSA bl leL;k ds funku gsrq fofHkUu izdkj ds deZpkfj;ksa dh vkfFkZd] lkekftd ,oa HkkSfrd fLFkfr ,oa leL;k, tkuuk] mu ij fopkj djuk vkSj muds gy izLr qr djuk vfrvko';d gSA

'kks/k dh ifjdYiuk & izLrqr 'kks/k dk;Z dh ifjdYiuk vxz izdkj gS&

- 1- jryke jsyos e.My ds deZpkfj;ksa dks izklr HkkSfrd dk;Z IEca/kh lqfo/kk, larks" kizn ugha gSA
- 2- jsydfeZ;ksa dks dk;kZy;hu le; esa vusd leL;kvksa dk lkeuk djuk iM +rk gSA

'kks/k ds mn~ns'; & 'kks/k dk;Z ds fy, mn~ns'; dk gksuk vko';d gSA fcuk mn~ns'; 'kks/k dk;Z fn'kkfoghu gSA vius 'kks/k dk;Z dks lgh ,oa mfpr fn'kk iznku djus gsrq fu/kkZfjr mn~ns'; bl izdkj gS&

- 1- jryke jsyos e.My ds deZpkfj;ksa vkSj vf/kdkfj;ksa ds e/; LFkkfir IEca/k dk v/;;u djukA
- 2- jryke jsyos e.My esa dk;Zjr deZpkfj;ksa dh HkkSfrd dk;Zn'kkvksa dk v/;;u djuk
- 3- jsy ea=ky; }kjk deZpkfj;ksa ds fy, cuk;sa x;s vf/kfu;eksa ,oa ?kksf"kr izko/kkuksa dk v/;;u djukA
- 4- jryke jsyos e.My dh xfrfof/k;ksa ds f kUo;u esa deZpkfj;ksa dks vkus okyh dfBukbZ;ksa rFkk lek/kku gsrq vko';d lq>ko izLrqr djukA

v/;;u i)fr % IEcaf/kr 'kks/k i= izkFkfed ,oa f}fr;d leadksa ij vk/kkfjr gS ;g lead jsyos ea=ky; }kjk izdkf'kr lkezxh }kjk fy;s x;s gS izkFkfed lead gsrq lk{kkRdkj iz'ukoyh ,oa losZ{k.k dk mi;ksx fd;k x;k gSA

अध्ययन का क्षेत्र एवं सीमाएँ – प्रस्तुत शोध कार्य “सेवा क्षेत्र के कर्मचारियों की भौतिक

कार्यदशा सम्बंधी स्थिति का अध्ययन” अपनी कुछ विशिष्ट सीमाओं एवं क्षेत्र में बंधा हुआ है। शोध कार्य का सीमा क्षेत्र रतलाम रेलवे मण्डल है। प्रस्तुत शोध कार्य कर्मचारियों की भौतिक कार्यदशा स्थिति के विशेष सन्दर्भ में है

भौतिक कार्यदशा सम्बंधी स्थिति का अध्ययन – कर्मचारियों की भौतिक कार्य सम्बंधी दशाओं से आशय ऐसे वातावरण से होता है जहाँ पर कर्मचारी कार्य करता है और इन कर्मचारियों को भारतीय रेलवे का आधार स्तंभ माना गया है। भारतीय रेलवे एवं रेलवे मण्डल द्वारा जो भी विकासात्मक एवं अन्य नियमित कार्य किये जाते हैं उनका संपूर्ण सफल संचालन कार्मिक प्रबंध पर ही निर्भर करता है। कार्य करने की भौतिक दशाओं का कर्मचारियों की कार्यक्षमता के साथ गहरा सम्बंध होता है। प्रस्तुत अध्ययन में रतलाम रेलवे मण्डल के 500 कर्मचारियों का सर्वेक्षण कर उनकी कार्यदशा सम्बंधी स्थिति का विश्लेषण किया गया। कार्य करने की भौतिक दशाओं में इन सुविधाओं

(1) क्र.	कार्य करने हेतु अनिवार्य सुविधाओं का विवरण	सुविधाएँ			प्रतिशत		
		प्राप्त	अप्राप्त	योग	प्राप्त	अप्राप्त	योग
(1)	क्र. कार्य करने हेतु अनिवार्य सुविधाएँ जैसे पीने के पानी की व्यवस्था, पंखे/कूलर की व्यवस्था आदि।						
(2)	कार्य करने हेतु आरामदायक सुविधाएँ जैसे कैंटीन सुविधा, खेलकूद सुविधा, दयापूर्वक स्थान जैसे हैं जहाँ ये सुविधाएँ भी उपलब्ध नहीं है और कर्मचारी उनके अभाव में किसी तरह अपना पंखे/कूलर की व्यवस्था सर्वेक्षण द्वारा निम्न तालिका में जानकारी प्रदान करती है। जिसका विवरण इस प्रकार है –						
1	नियुक्ति के अर्थ में कर्मचारियों की व्यवस्था	452	48	500	90.4	9.6	100
2	अपना पंखे/कूलर की व्यवस्था सर्वेक्षण द्वारा निम्न तालिका में जानकारी प्रदान करती है। जिसका विवरण इस प्रकार है –	302	198	500	60.4	39.6	100
3	तालिका 1 : कार्यालय में प्राप्त सुविधाओं का विवरण प्रसाधन की व्यवस्था	352	148	500	70.4	29.6	100

स्रोत:- सर्वेक्षण के आधार पर

उपर्युक्त तालिका के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि सर्वेक्षितों में से 90.4 प्रतिशत कर्मचारियों को कार्यालय में पीने के पानी की सुविधा प्राप्त है तथा 9.6 प्रतिशत कर्मचारियों को कार्य करने के दौरान पीने के पानी की सुविधा भी प्राप्त नहीं होती है। 60.4 प्रतिशत कर्मचारियों को पंखे व कूलर की सुविधाएँ प्राप्त है जबकि 39.6 प्रतिशत कर्मचारियों को यह सुविधा प्राप्त नहीं है। जिन कर्मचारियों को ये सुविधाएँ उपलब्ध नहीं है उनमें से अधिकतर गैंग स्टाफ है जिन्हें बाहर कार्य करना पड़ता है। रोड-साइड स्टेशन जहाँ बिजली नहीं है वहाँ पर कार्यरत कर्मचारी भी इन्हीं कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। जहाँ तक प्रसाधनगृह की सुविधा का प्रश्न है, बड़े स्टेशनों पर ही कर्मचारियों के लिए यह सुविधा अलग से प्राप्त है। छोटे स्टेशनों पर तो एक-एक प्रसाधन गृह महिलाओं और पुरुषों के लिए होता है जिसका उपयोग यात्री और कर्मचारी दोनों ही करते हैं। बाहर कार्य करने के दौरान प्रदत्त सुविधाएँ तो किसी भी प्रकार की प्रसाधनगृह की सुविधा उपलब्ध नहीं है और वे साइड के किनारे या पेड़ की आड़ में काम करते हैं कर्मचारी

1	कैन्टीन	78	15.6
2	विद्युत बूंद की सुविधा	123	24.6
4	दयापूर्वक नियुक्ति	109	21.8
5	आर्थिक सहायता	88	17.6
	योग	500	100

स्रोत:— सर्वेक्षण के आधार पर निर्मित

सर्वेक्षित रेल कर्मचारियों में रेलवे द्वारा प्रदान की गई सुविधाओं में से कैन्टीन सुविधा केवल 15.6 प्रतिशत कर्मचारियों को ही उपलब्ध है। रेलवे को-आपरेटिव्ह सोसायटी जिसकी रतलाम मण्डल पर महु, नीमच व रतलाम में शाखाएँ हैं, की सुविधा 20.4 प्रतिशत कर्मचारियों को उपलब्ध है। खेलकूद की सुविधा 24.6 प्रतिशत कर्मचारियों को उपलब्ध है। सर्वेक्षित कर्मचारियों से 21.8 प्रतिशत कर्मचारी ऐसे हैं जिनको दयापूर्वक नियुक्ति मिली है। यह नियुक्ति कार्य के दौरान मृत्यु होने पर कर्मचारी के परिवार के सदस्यों में से किसी को दी जाती है। 17.6 प्रतिशत कर्मचारी ऐसे हैं जिनको रेलवे द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की गई है।

fu"d"kZ & fodflr ns'kksa esa deZpkfj;ksa dh HkkSfrd fLFkfr lEcU/kh fo"k; ij fofHkUu tuZykSa esa 'kks/k i= izdkf'kr gg, gS ysfdu fodkl'khy ns'kksa esa vHkh Hkh bl {ks= esa i;kZlr 'kks/k dk vHkko gS ;gha dkj.k gS fd bl igyw ij ,d cM+s Lrj ij 'kks/k dk;Z dh vko';drk gS rHkh ge deZpkfj;ksa o ns'k nksuksa dk lokZxha.k vkfFkZd fodkl dj ldrs gSaA

कर्मचारियों की कार्यक्षमता बहुत कुछ मशीनों की श्रेष्ठता पर निर्भर करती है वही इससे भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि मशीनों की कार्यक्षमता की श्रेष्ठता एवं कुशलता कर्मचारी वर्ग पर आधारित होती है। अतः कर्मचारियों को समस्त सुख सुविधाएँ मिलनी चाहिए ताकि अधिक लगन व परिश्रम से अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें। यदि कर्मचारियों की सुख सुविधाओं की ओर ध्यान नहीं दिया जाये तो कर्मचारियों की कार्यक्षमता का हास होगा जिससे कर्मचारी अपना कार्य अपनी पूर्ण कार्यकुशलता के साथ नहीं कर पायेंगे। इसलिये कर्मचारियों को संस्था का मजदूर न समझकर संस्था का एक महत्वपूर्ण अंग समझना चाहिये। क्योंकि कर्मचारी किसी भी संस्था की नींव होते हैं। और उनसे अधिक कार्यकुशलता के साथ कार्य करवाने हेतु उन्हें अधिकाधिक आत्मसन्तुष्टि प्रदान करना आवश्यक है अतः संस्था को अपने कर्मचारियों हेतु वे सभी प्रयास किये जाने चाहिये जिससे कर्मचारियों की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक प्रगति में वृद्धि हो एवं कर्मचारी स्वस्थ एवं शान्तिपूर्ण परिस्थितियों में अपना कार्य कर सकें।

Women Characters in select novels of R K Narayan

Dr Deepa S Kumar
Associate Professor (English)
Govt, MLB Girls PG College,
Bhopal.

Abstract:

Women in Indo- Anglian fiction are depicted as systematically and unquestionably marginalised. Women in India are either idealised or denigrated. Women in R K Narayan's novels embody all the virtues expected of Indian womanhood like modesty, purity, delicacy, compliance, reticence, chastity. They are all middle class Indian women. Narayan portrays them within and outside the matrimonial framework. A study of his novels depicts the dichotomy of traditionalism vs modernism consistent and concomitant in a transitional society. The present paper attempts to delineate this conflict as illustrated from the select novels of Narayan like *The Guide*, *The Dark Room*, *Waiting for the Mahatma*, *The English Teacher* etc suggestive of a transitional Indian society.

Introduct

The Indian society dons a traditional patriarchal outlook in most of the Indian writings. Women in Indo- Anglian fiction are depicted as systematically and unquestionably marginalised. Women in India are either idealised or denigrated. Somewhere they are worshipped somewhere enslaved. The *Manusmriti* states In childhood a female must be subjected to her father, in youth to her husband, when her lord is dead to her son; a women must never be independent(Buhler trans. Laws of Manu verse 148)

Women in R K Narayan's novels embody all the virtues expected of Indian womanhood like modesty, purity, delicacy, compliance, reticence, chastity. They are all middle class Indian women. Narayan portrays them within and outside the matrimonial framework.

A study of his novels depicts the dichotomy of traditionalism vs modernism consistent and concomitant in a transitional society. In the *Dark Room* Savitri and Shanta

Bai present two contradictory images of Indian womanhood. They are stereotypical characters diametrically opposite to each other in their roles. Savitri is the traditional housewife, while Shanta Bai is the modern women in search of emancipation. Both fail to achieve an individual identity because of the formidable patriarchal strictures. Lakshmi Holmstorm remarks

In Narayan's own formulation, a middle class woman from an orthodox society is a victim of her circumstance, either, she must live within the society by accepting the norms, or she must leave it altogether, in which case, she can be supported only by her own resources. Shanta Bai and Savitri in fact are seen to balance each other each loving out in one way or another, both are victims. (Holmstorm 107)

Shanta Bai the modern other woman in Ramani's life is forced to surrender her righteous to Ramani. The citizens of Malgudi perceive her as the other woman. Savitri is a traditional woman preoccupied with domestic commitment. She loves an ordered life and tries her best to arrange her family likewise. She is an Indian woman who cannot think of a life beyond marriage. Patriarch authorizes the subjugation of women as expressed through the character of Janamma. Narayan writes Janamma went on in this strain for an hour more, mounting instances of the patience of wives, his own grandmother who slave cheerfully for her husband who had three concubines at home (Holmstorm 33).

Women in the middle class society are constantly oppressed by men. She is assigned a secondary place with no notion of stature and strength. They are victims of circumstances. Narayan discerned that they had the potential to rise above their oppressors. Hence Savitri towards the end of the novel *The Dark Room* is made to take cudgels against her infidel husband by abandoning him, though her maternal instincts forces her to return to her family. Gangu and Janamma are two other representatives of her class. Gangu is an eccentric woman. She is interestingly talkative, religious and not immoral. Her scholarly husband teaches her the value of women's rights which destroys her social inhibition. Janamma on the other hand represents the traditional and orthodox world of Malgudi. She never argues or opposes her husband. Subservience to her husband is her basic duty. Savitri during her crisis seeks Janamma's advice which she was assured of being in keeping with the wifely decorum. Ponni the wife of burglar-cum-blacksmith Mari who rescues Savitri is outspoken

yet sensitive. Ponni loves her husband despite her failure. She epitomizes the concept of women emancipation in the Indian context. She is the dictator of her household. Her husband Mari acquiesces to her commands. She is a better human being to all the upper middle class woman of Malgudi.

In *The English Teacher* Sushila typifies a devoted wife full of love and affection. She is the acknowledged mistress of her house. She is a contented model housewife whose economy drive ensures availability of cash even at the end of the month. In the field of domesticity she shares the similarity with her mother-in-law of remaining tied down to domestic chores only. This pre-disposition stems from the respect and attention they receive from their respective husbands. In the same novel the shrewish wife of the headmaster of the nearby nursery school has an extraordinary snappy relationship with her husband. The very sight of her husband infuriates her. The cantankerous nature of the wife keeps the husband away from home for greater part of the day. Women in the above discussed novels remain completely at the mercy of the patriarchal rulings of their husbands. Women like Shanta Bai and headmaster's wife, who dares to contravene are stigmatised as a prostitute and shrew respectively. They are viewed as rebels by the pundits of Malgudi.

Narayan's vision regarding women emancipation through empowerment gets fulfilled in his novel *Waiting for the Mahatma*. Bharati is a strong character who silently contributes to the ongoing process of the Quit India Movement. She is a political activist. She is a bright and beautiful girl who is a fervent follower of Mahatma Gandhi's philosophy of non-violence. She stands as the harbinger of change in Malgudi when she says 'to wake them up from their age-old stupor' to receive Gandhi, the symbol of nationalist movement. As an orphan and ashramite since childhood Bharti has a widened discernment. She has faced all odds and hardships of political strife, something uncommon and not experienced by the middle class women of Malgudi. She epitomises feminine sensitivity. She assimilates true Gandhian humanism when she assiduously shoulders the assigned task of mothering the orphans of a Delhi refugee camp. She testifies that there is no conflict between emancipation and womanliness. In the same novel Sriram's grandmother typifies the pragmatism of a middle-class Indian housewife equally dynamic and authoritative within the precincts of her house. She strictly conforms to the social conventions. When Sriram

thoughtfully brings for a canvas chair with the money he withdraws the very first day she refuses to accept it saying

It's no use for me. This is some kind of leather, probably cowhide and I can't pollute myself by sitting on it (Bhatnagar ed.295)

Her adherence to Bramanical dogma again surfaces and prevents her from appreciating the greatness of Mahatma Gandhi when Sriram praises Gandhi's sacrifice for the nation. She sees Gandhi as a person who by ignoring caste barriers is portending dangerous social disruption. The idea of inculcating a feeling of brotherhood among the sweepers of Malgudi she thinks is an unpardonable offence. She vehemently opposes Gandhi attempt to do away with caste system. She says it is blasphemous and with inconceivable in Malgudi. Her class-conflict stands in sharp contrast to the nobility of Bharati her granddaughter -in law.

Rosie in *The Guide* belongs to a family of temple dancers. The middle class Brahmin citizens of Malgudi spurned the vocation of dancing by middle class Indian women. Temple dancers known as Devadasis in South India are renowned dancers. Considered as respectable edition of courtesans the mainstream society treats them as pariahs. With some amount of pride Rosie boasts

I belong to a family traditionally dedicated to the temples as dancers ,my mother, my grandmother,and before her, her mother. Even as a young girl, I danced in our village temple. Youknow how our caste is viewed? It's the noblest caste on earth (Srinath ed. 514-15)

But when she lands at Raju's doorstep expecting refuge Raju's mother expresses her predicament

You can't have a dancing girl in your house ...what is the house coming to? (Srinath ed. 564)
.Raju's mother restrains herself from giving shelter to Rosie an outcast because of the social conventions ingrained in her. The old Hindu dogma prevents her from expressing her affection for the girl.

All the women characters of Narayan's novels have a propensity 'to act as crucial markers of change in a modernizing society'. They represent change and offers resistance to change. To gain a point of vintage they relentlessly struggle against a nagging society. Savitri in *The Dark Room* vehemently opposes her wayward husband despite Janamma 's

counsel to her that women ought not to oppose their husband in a codified society. Similarly Rosie renounces her husband Marco when he tries to stifle her dancing dreams. She also repudiates Raju when he exploits her passion for pecuniary gains. Thus women of Narayan's novels are custodian of the values of resilience and fortitude in the face of resistance and opposition.

Works cited

1. Bhatnagar M K (Ed), *Insights into the Novels of RK Narayan, Gandhian Consciousness: A Study in the Novels of RK Narayan*, Atlantic Publishers and Distributers, New Delhi, 2002, p. 295
2. Buhler, George trans., *The Laws of Manu Sacred Books of the East*, Volume 25 2010
3. Holmstrom Lakshmi, *Women as Markers of Social Change: The Dark Room, The Guide and The Painter of Signs*, in *RK Narayan An Anthology of Recent Criticism*, C.N. Srinath (ed) New Orientation Series, Pencraft International, New Delhi, p.107.
4. Ibid.33
5. Srinath C.N.(Ed), *Indianness as a Mode of Perception: A Study of RK Narayan*, in *RK Narayan An Anthology of Recent Criticism*, Pencraft International Delhi, 2000 p.514-15
6. Ibid., p564.

Risk analysis in Capital Budgeting For Long Term Investment decisions

Submitted By-
Dr.N.C Jain
Ex Director
Bhoj University

And

Research Scholar
Minakshi Ingle
BHOPAL, Assistant Professor
IES College, BHOPAL

Abstract:

The investment decisions of a firm are generally known as the capital budgeting, or capital expenditure decisions. Investment decisions includes expansion, acquisition, modernization and replacement of the long term assets. Sale of a division or business divestment is also as an investment decision. To analyse the concept of risk in investment decisions. At the end of this paper we can get answer of so many questions which may arise while thinking of the investments. What are the types of risk associated with it? Should a firm make investment now or should wait and invest later? What is the right time to replace the asset? etc. Probably these are some of the complex investment problems which an investor may face.

We can also understand some commonly used techniques i:e, payback, certainty equivalent and risk adjusted discount rate of risk analysis in capital budgeting.


This study also focus on the relationship between utility theory and capital budgeting decisions and also explain the decision tree approach in sequential investment decisions.

Nature of Risk


Risk associated with an investment is defined as the variability of

returns that may arise in the near future from the investment. Risk exists because of the inability of the decision maker to make perfect forecasts. It is the potential of gaining or losing something of value. Values can be gained or lost when taking risk resulting from a given action or inaction, foreseen or unforeseen.

Total Risk : Systematic risk + unsystematic risk



Non Systematic Risk



Types of Investors:

A risk averse investor will choose among investments with equal rates of return. If we talk technically, the investment with lowest standard deviation. Similarly if investments have equal risk, the investor would prefer the one with higher return.

A risk neutral investor does not consider risk and would always prefer investment with higher returns.

A risk seeking investor likes investments with higher risk perspectives irrespective of the rate of return. In reality most of the investors are risk averse.

Risk analysis

Risk analysis is the process of defining and analyzing the dangers to individuals, businesses and government agencies. It is the systematic study of uncertainties and risks we encounter in business, engineering, public policy and many other areas. Some institutions such as banks and investment management firms are in the business of taking risks every day. Risk analysis

and management is clearly crucial for these institutions.


Risk analysis in capital budgeting

To ascertain the requirement of the long term investments of a company capital budgeting is required. Some examples of long term investments are purchase of new equipments and machinery, new products and new business premises or factory buildings.

The different types of risk that are faced by entrepreneurs regarding capital budgeting are the following:

- Corporate risk
- International risk
- Stand alone risk
- Competitive risk
- Market risk
- Project specific risk
- Industry specific risk

Techniques of risk analysis in capital budgeting:



uncertainty of the future, if an entrepreneur wants to know about the feasibility of a project in variable quantities for example investments or sales changes from the anticipated value it is a useful method.

2. Break even analysis: Discounted Cash Flow Break even point is different from accounting break even point. Accounting break even point is estimated as fixed costs divided by the contribution.

3. Simulation analysis : The Monte carlo simulation consider the interactions among variables and probabilities of the change in variables. It involves the following three steps.

1. You should identify variables that influence cash inflows and outflows.
2. Specify the formulae that relate variables.
3. Third indicate the probability distribution for each variable.
4. Fourth develop a computer programme that randomly selects one value from probability distribution of each variable and uses these values to calculate the projects NPV.

4. Scenario Analysis : To examine the risk of investment is to analyse the impact of alternative combinations of variables, called scenarios, on the projects NPV (or IRR).

5. Decision Tree analysis:

It is an analytical technique to handle the sequential decisions

6. Hillier model : Independent cash flows over time .The mathematical formulation to determine the expected values of the probability distribution of NPV.

Risk Analysis In Practice:

Most companies in India account for Risk while evaluating their capital expenditure decisions. The following factors are considered to influence the riskiness of investment projects:

- Price of raw material and other inputs
- Price of the product
- Product demand
- Government policies
- Technological changes

Project life
Inflation

Conclusion

Risk analysis by using the above techniques is a useful tools to extend the depth of capital budgeting and enhancing the investment decision. The deterministic approach has the advantage of simplicity and easy to applied but it has inability to deal with uncertainties, excluding inaccuracies of input data. Risk analysis supports the investment decision by giving the investor a measure of the variance associated with an investment appraisal return estimate.

Risk analysis also must amplify the predictive ability of sound models of reality. The accuracy of its predictions therefore can only be as good as the predictive capacity of the model employed.

मध्यप्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का क्रियान्वयन, मूल्यांकन एवं प्रभाव'

डॉ. पूजा तिवारी

अतिथि विद्वान (वाणिज्य संकाय)

Email-pooja26981@gmail.com

सरोजिनी नायडू शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
भोपाल

सारांश

महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना ग्रामीण विकास और रोजगार के दोहरे लक्ष्य को प्राप्त करता है। योजना का उद्देश्य अकुशल मानव श्रम करने के इच्छुक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वर्ष में 100 दिवस का विधिमान्य सुनिश्चित रोजगार उपलब्ध कराना है तथा गरीबी उन्मूलन की दिशा में इस अभिनव प्रयास के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी सार्वजनिक परिसंपत्तियों का निर्माण एवं सृजन करना है ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अधिक सशक्त एवं गतिशील बनाया जा सके। मनरेगा न केवल रोजगार उपलब्ध कराने हेतु एक कानून है बल्कि इसके तहत जल संरक्षण और संचयन, वनीकरण, ग्रामीण संपर्क तंत्र, बाढ़ नियंत्रण जैसे कार्य किये जाते हैं। ग्रामीणों के कल्याण एवं रोजगार सृजन की सरकार द्वारा अब तक चलाई गई योजनाओं में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना सबसे महत्वपूर्ण, महत्वाकांक्षी एवं बहुउद्देशीय योजना है। योजना के क्रियान्वयन का दायित्व ग्राम पंचायतों को सौंपा गया है प्रस्तुत शोध पत्र में मनरेगा व उसके अधीन चलाई जा रही योजना के कार्यान्वयन एवं योजना की प्रगति में व्याप्त समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है। वर्ष 2013-14 से लेकर 20 नवम्बर 2017 तक लाभान्वितों की स्थिति को तालिका के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। मनरेगा के अंतर्गत जॉब कार्ड धारक परिवारों की संख्या, रोजगार प्राप्त परिवारों की संख्या, 100 दिवस पूर्ण करने वाले परिवारों की संख्या, व्यय राशि आदि का अध्ययन किया गया है। तथा योजना की प्रगति हेतु सुझाव प्रस्तुत किये गये हैं।

प्रस्तावना

श्राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है जिसे 25

अगस्त 2005 को विधान द्वारा अधिनियमित किया गया। शुरू में इसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कहा जाता था लेकिन 2 अक्टूबर 2009 को इसका पुनः नामकरण किया गया और अब इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के नाम से जाना जाता है। यह योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के उन व्यस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है जो प्रतिदिन 220 रुपये की सांविधिक न्यूनतम मजदूरी पर सार्वजनिक कार्य संबंधित अकुशल मजदूरी करने के लिए तैयार हैं। गरीबी उन्मूलन के लिए भारत सरकार ने विभिन्न योजनाओं के साथ प्रयोग किया है उनमें से सबसे प्रमुख योजना है मनरेगा। इसके अंतर्गत कार्यों की पहचान करने एवं उनका क्रियान्वयन करने का दायित्व ग्राम पंचायतों को सौंपा गया है। यह कानून 02 फरवरी 2006 को कार्यान्वित किया गया। प्रथम चरण में यह योजना भारत के 200 जिलों में उपलब्ध कराई गई थी। वर्ष 2007-08 में इस योजना का विस्तार 330 अतिरिक्त जिलों में किया गया। 01 अप्रैल 2008 से इसे देश के शेष ग्रामीण क्षेत्रों में लागू कर सरकार ने सराहनीय कार्य किया है। इसके तहत ग्रामीणों को रोजगार मिला है। मध्यप्रदेश में मनरेगा के प्रथम चरण में 18 जिलों को ही शामिल किया गया। ये 18 जिले सबसे पिछड़े एवं आदिवासी बाहुल्य जिले हैं। वर्ष 2007-08 में द्वितीय चरण में मध्यप्रदेश के 31 जिलों को शामिल किया गया। वर्ष 2008-09 में तीसरे चरण में मध्यप्रदेश के समस्त जिलों में यह योजना कार्यान्वित हो गई है।

अध्ययन का उद्देश्य

➤ महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम व उसके अधीन चलाई जा रही योजना के कार्यान्वयन का अध्ययन

- मनरेगा के फलस्वरूप ग्रामीण समाज के किन वर्गों को कितना लाभ पहुँचा है।
- योजना की प्रगति में व्याप्त समस्याओं का अध्ययन
- योजना की प्रगति हेतु सुझाव

शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध पत्र द्वितीयक समंको के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। मध्यप्रदेश के ग्रामीण परिवेश में व्याप्त बेरोजगारी के अध्ययन हेतु ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का अध्ययन करते हुए मनरेगा के कार्यान्वयन व योजना की उपादेयता पर प्रकाश डाला गया है। ग्रामीण रोजगार हेतु चलाई गई विभिन्न योजनाओं के अध्ययन हेतु विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा प्रकाशित पत्र पत्रिकाओं, पंचवर्षीय योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट, आर्थिक समीक्षाओं, प्रगति प्रतिवेदनों, समाचार पत्र पत्रिकाओं, पुस्तकों एवं विगत शोधकार्यों को आधार बनाया गया है।

योजना का कार्यान्वयन

योजना के अधीन परिवार के व्यस्क को ग्राम पंचायत में पंजीकरण कराना होगा। पंचायत द्वारा एक

जॉब कार्ड बनाया जायेगा जो अगले 5 वर्ष तक वैध होगा। पंजीकरण के बाद यदि आवेदन करने पर 15 दिन तक ग्राम पंचायत द्वारा रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जायेगा तो उसे बेरोजगारी भत्ता मिल सकेगा। समग्र रूप से केंद्र शासन द्वारा योजना लागत का 90 प्रतिशत खर्च एवं राज्य शासन द्वारा 10 प्रतिशत खर्च वहन किया जाता है। बेरोजगारी भत्ते के भुगतान की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। प्रत्येक कार्य में मजदूरी एवं सामग्री में 60:40 का अनुपात अनिवार्य है। अकुशल श्रम के लिए आवश्यक संपूर्ण मजदूरी राशि का भुगतान केंद्र शासन के द्वारा किया जाता है और सामग्री मद का 75 प्रतिशत केंद्र शासन एवं 25 प्रतिशत राज्य शासन वहन करती है। इस योजना में यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि पंजीकृत एवं कार्य के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों में से कम से कम एक तिहाई महिलाएँ रोजगार के द्वारा लाभांविता हों। आम तौर पर ग्रामीणों को दिया जाने वाला काम गांव के 5 कि.मी. के दायरे में उपलब्ध कराया जाएगा। उससे अधिक दूरी होने पर 10 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त मजदूरी दी जाएगी। शिकायतों का निराकरण ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत स्तर पर किया जाता है।

महात्माँ गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष 100 दिन की रोजगार गारंटी

ग्रामीण परिवारों का पंजीकरण पंचायत स्तर पर

पंजीकृत परिवार का महत्वपूर्ण दस्तावेज जॉब कार्ड

कार्य के लिये आवेदन स्वयं करना होगा

महिलाओं को विशेष प्राथमिकता

समयबद्ध रोजगार आबंटन

रोजगार न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता का भुगतान

न्यूनतम मजदूरी की गारंटी

कार्यस्थल पर मजदूरों के लिये कल्याणकारी सुविधाएं

मजदूरी के भुगतान की व्यवस्था

सभी इच्छुक व्यक्तियों को रोजगार की उपलब्धता

5 किमी के अंदर रोजगार की उपलब्धता

कार्यों का चयन, परियोजना प्रस्ताव तथा क्रियान्वयन

ठेकेदारी व मशीनों पर पूर्ण प्रतिबंध

सोशल ऑडिट (अपना पैसा अपना हिसाब)

शिकायत प्रक्रिया एवं उचित कार्यवाही

तालिका 1.1
भौतिक उपलब्धि

(राशि लाख रू. में)

जारी किये गये जॉब कार्ड की कुल संख्या	64.96
क्रियाशील जॉब कार्ड की कुल संख्या	45.74
श्रमिकों की कुल संख्या	159.67
कार्यरत श्रमिकों की कुल संख्या	88.34
अनुसूचित जाति का प्रतिशत	16.76
अनुसूचित जन जाति का प्रतिशत	34.39

स्रोत: ग्रामीण विकास विभाग, म0प्र0 पंचायत एवं ग्रामीण विकास

तालिका 1.1 से स्पष्ट होता है कि मनरेगा के तहत कुल 64.96 लाख जॉब कार्ड जारी किये गये। उनमें से 45.74 लाख जॉब कार्ड क्रियाशील हैं। श्रमिकों की कुल संख्या 159.67 लाख है परंतु इनमें से कार्यरत श्रमिक 88.34 लाख हैं। इनमें अनुसूचित जाति एवं जन जाति का प्रतिशत क्रमशः 16.76 एवं 34.39 है।

तालिका 1.2 सृजित मानव दिवस की प्रगति (राशि लाख रूप में)

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
श्रमबजट स्वीकृत	1821.2	1452.83	1766.87	1427.27	1550
कुल सृजित मानव दिव	1229.37	1175.4	1237.42	1130.41	1095.84
कुल श्रम बजट का प्रतिशत	67.5	80.9	70.03	79.2	70.7
सृजित मानव दिवस में अनुसूचित जाति का प्रतिशत	17.21	15.97	16.29	16.13	16.81
सृजित मानव दिवस में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत	32.74	28.71	34.18	35.55	31.36
कुल मानव दिवस में से महिलाओं द्वारा सृजित मानव दिवस का प्रतिशत	42.65	43.21	43.15	35.55	31.36

स्रोत: ग्रामीण विकास विभाग, म0प्र0 पंचायत एवं ग्रामीण विकास

तालिका 1.2 से स्पष्ट है कि वर्ष 2013-14 में सर्वाधिक श्रम बजट 1821.2 लाख रुपये स्वीकृत किये गये। वर्ष 2015-16 में सर्वाधिक कुल मानव दिवस 1766.87 लाख सृजित हुये, जिनमें अनुसूचित जाति का सर्वाधिक 17.21: वर्ष 2013-14 में रहा। अनुसूचित जाति का सर्वाधिक प्रतिशत वर्ष 2016-17 में 35.55: रहा। महिलाओं द्वारा सृजित मानव दिवस में प्रारंभ में लगभग समान वृद्धि रही लेकिन बाद में कमी नजर आई है।

तालिका 1.3
रोजगार प्राप्त लाभान्वितों की स्थिति

वर्ष	100 दिवस का कार्य पूर्ण करने वाले परिवारों की संख्या	विकलांग लाभान्वितों की संख्या
2013-14	175642	31872
2014-15	158776	38632
2015-16	225502	44703
2016-17	140994	49425
2017-18	15739	47623

स्रोत: ग्रामीण विकास विभाग, म0प्र0 पंचायत एवं ग्रामीण विकास
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना(म0प्र0)की प्रगति
तालिका 1.4

वर्ष	कुल उपलब्धता	मजदूरी पर व्यय	सामग्री पर व्यय	पूर्ण कार्यों की संख्या
2013-14	245349.45	165695.13	76722.93	292030
2014-15	269399.54	180994.65	89680.09	399852
2015-16	259293.82	146007.51	80413.08	231492
2016-17	366402.76	218835.61	113804.43	319853
2017-18	393022.7	186650.03	105545.62	168364

योजना के क्रियान्वयन संबंधी समस्याएँ

■ मनरेगा की उपयोजनाओं संबंधी कार्य जैसे कपिलधारा आदि के संबंध में हितग्राहियों का कार्य समय पर पूर्ण नहीं होता है तथा भुगतान भी नहीं किया जाता है।

- रिकार्डों का उचित संधारण न होना।
- योजना का पैसा दूसरे मद में खर्च करना।
- अस्वीकार्य कार्यों को हाथ में लेना।

- खरीदी की रसीदों को सार्वजनिक नहीं करना ।
 - सामाजिक अंकेक्षण नहीं करना ।
 - गांव में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के अनुरूप कार्य योजना नहीं बनती ।
 - सामग्री एवं श्रम में अधिनियम के अनुसार निश्चित अनुपात का ध्यान नहीं रखा जाता ।
 - वोटर सूची के आधार पर जॉब कार्ड जारी होने के कारण राशि का आबंटन ज्यादा हुआ है परन्तु कार्य की प्रगति एवं निर्माण कार्य की गुणवत्ता अत्यन्त खराब रही ।
- मजदूरी / बेरोजगारी भत्ता / मस्टररोल एवं अन्य सुविधाओं संबंधी समस्याएँ
- काम मांगने पर समय पर काम नहीं मिलना, आवेदन की पावती नहीं देना ।
 - मौखिक काम मांगने पर उसका रिकार्ड नहीं रखना, बेरोजगारी भत्ता नहीं देना एवं समय पर भुगतान नहीं करना ।
 - 5 कि.मी. के अन्दर काम मिलने की शर्त का भी पालन नहीं होती है ।
 - काम का आवेदन देने के 15 दिन के भीतर काम मिलना अनिवार्य होता है । परन्तु आवेदन देने के बाद भी काम नहीं मिलता है ।
 - निर्धारित समयावधि में भुगतान न होने पर मजदूरी मुआवजा अधिनियम 1936 के अंतर्गत मुआवजा राशि भी नहीं दी जाती ।
 - कार्य स्थल पर मस्टररोल नहीं रखा जाता या मस्टर रोल में गलत प्रविष्टियां होती है, कहीं-कहीं कच्चा मस्टररोल का प्रयोग किया जाता है साथ ही मस्टर रोल में
 - उपस्थित श्रमिकों के हस्ताक्षर भी नहीं पाये जाते हैं ।
 - कार्य स्थल पर सुविधायें न देना, बच्चों हेतु झूलाघर की व्यवस्था न करना साफ पीने के पानी की उपयुक्त व्यवस्था न होना और काम के दौरान आराम हेतु छायादार स्थान भी नहीं होता है ।
- पारदर्शिता निगरानी व भ्रष्टाचार सम्बंधी समस्याएँ
- इतनी कामयाब योजना के बावजूद भी मनरेगा भ्रष्टाचार का एक बड़ा केन्द्र बन चुका है । 100 दिनों के बदले 70-80 दिन का ही काम दिया जाता है । फर्जी मस्टर रोल की शिकायतें भी सामने आई हैं और हितग्राहियों को पूरा-पूरा पैसा भी नहीं दिया जाता है । तो कभी मृत आदमी के नाम पर पैसा निकालने की शिकायतें अक्सर सुनाई देती हैं । मनरेगा से सम्बंधित कैंग की रिपोर्ट में वर्ष 2013 के बजट के अनुसार 33,000 करोड़ रुपये की इस वार्षिक योजना पर भ्रष्टाचार से संबंधित तथ्यों को बताया गया है जो इस प्रकार हैं-
- 47 हजार 687 से अधिक मामलों में लाभार्थियों को न तो रोजगार मिला और है न ही बेरोजगारी भत्ता ।
 - 3 राज्यों में लाभार्थियों को रोजगार दिया गया लेकिन मजदूरी नहीं ।
 - कहीं मजदूरी मिली भी तो काफी देर से ।
 - मनरेगा के तहत किये गये काम 5 वर्षों में भी आधे-अधूरे रहे हैं ।
 - निर्माणकार्य की गुणवत्ता भी अत्यन्त खराब रही ।
 - मनरेगा के तहत आवंटित धन का 60: मजदूरी और 40: निर्माण सामग्री पर खर्च करने के नियम का पालन नहीं हुआ ।
 - केंद्र के स्तर पर निधियों के आबंटन में भी खामियां पाई गई ।

- वर्ष 2011 में जारी हुए 1960.45 करोड़ रुपये का हिसाब ही नहीं मिला।
- निगरानी के कामों में भी जमकर ढिलाई बरती गई।
- भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में केन्द्र ने कार्यवाही नहीं की बल्कि उल्टे भ्रष्टाचार करने वालों को बचाया गया।

योजना के क्रियान्वयन संबंधी सुझाव

- मनरेगा की अनेक योजनाओं जैसे कपिलधारा, भूमिशिल्प योजना, नंदन फलोद्यान, आदि संबंधी जो काम अधूरे हैं उन्हें शीघ्र पूरा कराया जाए।
- गांव में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का भरपूर उपयोग किया जाए इसके लिए मनरेगा क मीनाक्षी योजना, रेशम, सहस्रधारा, शैलपर्ण आदि के काम को प्राथमिकता से सम्पन्न कराया जाए।
- योजना संबंधी समस्त रिकार्डों का उचित संधारण हो।
- सामग्री एवं श्रम संबंधी निश्चित अनुपात का ध्यान रखा जाए।
- कम वर्षा वाले क्षेत्रों में मनरेगा के अंतर्गत तालाबों और जलाशयों में बड़े पैमाने पर जल संरक्षण एवं संचयन को प्राथमिकता दी जाए।

मजदूरी / बेरोजगारी भत्ता मस्टररोल एवं अन्य सुविधाओं संबंधी सुझाव

- काम चाहने वाले प्रत्येक व्यक्ति से नियमानुसार आवेदन लिया जाये व उसकी पावती दी जाये।
- आवेदन देने के बाद निर्धारित समयावधि में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने की जिम्मेदारी जनपद स्तर पर कार्यक्रम अधिकारी की सुनिश्चित की जाए।
- मजदूरी / बेरोजगारी भत्ते का भुगतान समयानुसार सुनिश्चित किये जाने की व्यवस्था हो।
- निर्धारित समयावधि में मजदूरी भुगतान न होने पर मुआवजा के प्रावधान को जबावदेहिता के साथ लागू किया जाए।
- प्रत्येक ग्राम पंचायत में जॉब कार्ड , बहीखाता होना चाहिए जिससे जॉब कार्ड की स्थिति की पूर्ण जानकारी हो सके। साथ ही जाबकार्ड की दो प्रतियां बनाई जाए जिससे एक मजदूर के पास हो तथा दूसरा कार्यस्थल पर। जिससे जॉबकार्ड के साथ होने वाली हेरा-फेरी को रोका जा सके।
- 6 वर्ष तक के बच्चों को झूलाघर की सुविधाएँ करने हेतु उन्हें ऑगनवाड़ी से जोड़ा जाए तथा एक ऑगनबाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय रोजगार गारंटी योजना मद से निकाला जाए।
- योजना के अंतर्गत आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं और कार्य के दौरान आराम करने हेतु उचित छाया की व्यवस्था होनी चाहिए।

पारदर्शिता, निगरानी व भ्रष्टाचार संबंधी सुझाव

- मनरेगा में लोकपाल की नियुक्ति के पीछे यह मंशा है कि रोजगार गारंटी कानून में जो गारंटी दी गई है उसे पारदर्शी तरीके से कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार क्रियान्वयन कराया जा सके। इसके

क्रियान्वयन संबंधी जो भी शिकायतें हैं उनका निराकरण मनरेगा के तहत नियुक्त लोकपाल करेंगे।

- मनरेगा को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी मिशन का सृजन किया जाए।
- रोजगार गारंटी योजना में यदि पारदर्शी तरीके से कार्य किया जाए और मांग के आधार पर काम, समय पर मजदूरी का भुगतान, बेरोजगारी भत्ता एवं मुआवजा मिलने के साथ –साथ सामाजिक अंकुश पर जोड़ दिया जाए तो शायद परिस्थितियां कुछ बदली हुईं नजर आयेंगी।
- पंचायतों के प्रतिनिधियों एवं ग्राम सभा के लोगो को अपने कार्य एवं दायित्वों के प्रति संवेदित एवं जागरूक होना चाहिए।

निष्कर्ष

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का लक्ष्य किसी भी परिवार को आय की गारंटी देना है जो गड़बड़ों की खुदाई करने उन्हें भरने, सड़को का निर्माण करने आदि जैसे कार्य किये जाते हैं। मनरेगा अपने आप में एक प्रकार की अनोखी योजना है जो प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष 100 दिन की रोजगार की गारंटी देती है। रोजगार न मिलने पर बेरोजगारी भुत्ता का भुगतान किया जाता है। महिलाओं को विशेष प्राथमिकता दी गयी है। ठेकेदारी व मशीनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।

संदर्भ सूची

शासकीय प्रतिवेदन एवं अन्य प्रकाशन	प्रकाशक
राष्ट्रिय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम मध्यप्रदेश	महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान मध्यप्रदेश जबलपुर
राष्ट्रिय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005	भारत का राजपत्र
राष्ट्रिय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम मध्यप्रदेश लेखा परीक्षा एवं मॉनीटरिंग मैन्युअल	मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मस्टर रोल की निगरानी	महात्मागांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, मध्यप्रदेश जबलपुर
पत्र पत्रिकाएं	
भारतीय अर्थव्यवस्था	प्रतियोगिता साहित्य
ग्रामीण भारत	ग्रामीण विकास विभाग की मासिक पत्रिका
कुरुक्षेत्र	ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषिभवन नई दिल्ली,
योजना	प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
समाचार पत्र	
दैनिक भास्कर	भोपाल
दैनिक जागरण	भोपाल

स्माचार पत्र
दैनिक भास्कर
दैनिक जागरण

भोपाल
भोपाल

INTERNET WEBSITES

www.mgnrega.nic.in
[www.microfinance gateway.org.](http://www.microfinance gateway.org)
www.financialexpress.com
www.economist.com

Right to access Internet is an essential part of Freedom of expression.

Author
Yogesh Pandit
Faculty, Dept. of Law,
Atal Bihari Vajpayee Hindi Vishwavidyalaya,
Bhopal

Co-Author
Dr. Sunil Pandey
Faculty, Dept. of Law,
Atal Bihari Vajpayee Hindi Vishwavidyalaya,
Bhopal

Keywords Right to Internet access, Internet, fundamental right, legal, virtual World

Right to Internet access, also known as the **right to broadband or freedom to connect**, is of the view that all people must be able to access the Internet in order to exercise and enjoy their rights to freedom of expression and the state is having a responsibility to ensure that Internet access is broadly available, and that the state may not unreasonably restrict an individual's access to the Internet.

For the first time ever in the history of judiciary Supreme Court of India has declared that Internet access is a basic fundamental right for all Indians; and this right cannot be curtailed and blocked unreasonably.

Not only that, the Honorable Bench described Internet as a “virtual world” and a “world which is invisible in a way,” As per the bench, if any entity tries to curtail this right, then it will be illegal.

This Paper throws light on importance of right to Internet access as an essential part of freedom of expression.

The bench led by Justice Dipak Misra held that Right to Internet Access is a part of Fundamental Right of Expression. As per their statements related to an on-going case, the bench said that every Indian citizen has “the right to be informed and the right to know and the feeling of protection of expansive connectivity”

Not only that, the Bench also described Internet as a “virtual world” and a “world which is invisible in a way,”. As per the bench, if any entity tries to curtail this right, then it will be illegal.

In 2015, UN had declared Internet Access as a Human Right, and last month, Kerala became the first Indian state to declare the Internet as a basic right for every citizen.

Limits of Right to Internet Access

However, the Right of Internet Access is permissible, until and unless it doesn't 'encroaches into the boundary of illegality'.

The bench was hearing arguments related to the on-going case of pre-natal sex determination advertisements, which appear on search engines in India. As per our constitution, sex determination is banned in India, and any online advertisement which promotes such services are illegal.

As per the Bench, The Right of Internet Access stops when this right is abused to access such content and ads because it directly violates Section 22 (prohibition of advertisement relating to pre-natal determination of sex) under the Pre-conception and Pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) (PCPNDT) Act of 1994.

The Bench said, “To elaborate, if somebody intends to search for 'medical tourism in India', he is entitled to search as long as the content does not frustrate or defeat the restriction postulated under Section 22 of the Act,”

Search Engines Assure 'No Sex Determination Ads'

During the arguments, Google, Microsoft and Yahoo have assured Supreme Court that no sex determination advertisements would appear on their platform.

To stop such content, a nodal officer would be appointed for each state, who will continuously monitor such content; and in case any content does appear by mistake, it would be notified to the search engines, and would be pulled down within 36 hours.

Last year itself, all three search engines had assured blocking of such sex determination ads, after Supreme Court scolded them.

Interesting, Govt has said that such checks to monitor violation of Section 22 should only be applied to paid advertisements or content published in the form of indirect advertisements.

Citizens have the right to access the Internet to gain information, wisdom and knowledge and their right cannot be curtailed unless it encroaches into the boundary of illegality, the Supreme Court observed on Thursday. Calling the Internet a “virtual world” and a “world which is invisible in a way,” the Supreme Court observed that the fundamental right of expression includes “the right to be informed and the right to know and the feeling of protection of expansive connectivity” the Internet offers on the click of a button. The court clarified that a general prohibition on all online content about pre-natal sex determination will curtail the fundamental right to know of a genuine information-seeker.

Section 22

A three-judge Bench led by Justice Dipak Misra held the prohibition should kick in only if the content found online is violative of Section 22 (prohibition of advertisement relating to pre-natal determination of sex) under the Pre-conception and Pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) (PCPNDT) Act of 1994.

“To elaborate, if somebody intends to search for 'medical tourism in India', he is entitled to search as long as the content does not frustrate or defeat the restriction postulated under Section 22 of the Act,” Justice Misra dictated for the Bench in the order.

The Bench was hearing a petition filed by Sabu Mathew George for strict adherence by search engines to Section 22. The Centre, represented by Solicitor-General Ranjit Kumar, said the prohibition under Section 22 should be only on paid ads for sex determination or online advertisements masquerading as information.

Assurance to SC

The three Internet search engines Microsoft, Google India and Yahoo! India gave their assurances to the Supreme Court that they would neither advertise nor sponsor advertisements violative of the PNPCDT Act.

The trio said they had already appointed 'in-house' experts to spot illegal content and pull them down. Mr. Kumar said nodal officers had been appointed at State levels to keep tabs on the Net for offensive material contravening Section 22 of the Act.

In case the nodal officers detect illegal online content, they would communicate with the search engine's experts, which would take it off within the next 36 hours of receiving the information. These experts would then follow it up by providing the nodal officers concerned with an action taken

report.

Right to freedom of speech

The right to Internet access is closely linked to the right of freedom of speech which can be seen to encompass freedom of expression as well. Two key facets of the Internet are highlighted by Stephanie Borg Psaila - the Internet's content and the Internet's infrastructure. The infrastructure is necessary in order to deliver the service to the masses but requires extensive positive action. The content loaded onto the Internet however is seen as something that should be available to all, with few or no restrictions; limits on content have been viewed as the key breach of human rights, namely the right to freedom of speech.

The Internet's power is said to lie in its removal of a government's control of information. Online on the Internet, any individuals can publish anything, which allows citizens to circumvent the government's official information sources. This has threatened governing regimes and lead to many censoring or cutting Internet service in times of crisis.

China and Iran are currently the two world's largest censorship users. Both nations use extensive firewall systems to block any information from the Internet which they perceive to be offensive or threatening to their regimes. If a citizen of these nations is caught dissenting from the nation using the Internet then they may face severe penalties, even the removal of civil liberties.

In contrast to this, censorship which has been initiated by the United States is focused more on the protection of intellectual property. While the right to proportion of one's individual ideas is recognized, there is widespread fear that wide-ranging powers awarded in anti-piracy laws will lead to the abuse of freedom of expression and censorship

The removal or censorship of Internet in turn could be seen as a breach of the human right of freedom of speech.

One such particular incident was in Egypt, where the government of Hosni Mubarak shut down the Internet a number of times during the 2011 uprising in an attempt to suppress the protests, which happened during the Arab Spring. Even though services were only cut off for a few days, this stifled

Egyptians' ability to access basic services such as ambulances which has been blamed by some for escalating the death toll of protesters. In response to this, Google and Twitter developed a voice mail service for Egyptians to leave messages which in turn were posted onto Twitter.

In the report to the OSCE on Internet access as a fundamental human right, Professor Yaman Akdenian states that the right to freedom of expression must be universal including the technology which will enable it. Restrictions on this right and any mediums required to fulfill it should only be permitted if they comply with international norms and are balanced against the public interest. Furthermore, the author noted that new technologies which arise in aiding the freedom of expression will require new approaches. Thus rules governing the use of non-digital media cannot be assumed to apply to digital media too. Furthermore, it was also noted in the paper presented to the OSCE that extra measures should be taken to ensure vulnerable groups such as children have access to Internet and literacy programs

References -

1. *Klang, Mathias; Murray, Andrew (2005). Human Rights in the Digital Age. Routledge. p. 1.*
2. "Internet access is 'a fundamental right'", *BBC News*, 8 March 2010
3. https://en.wikipedia.org/wiki/Right_to_Internet_access
4. <Http://trak.in/tags/business/2017/04/14/right-internet-access-fundamental-right-every-indian-cannot-allowed-curtail-supreme-court/>

गांधी दर्शन की प्रासंगिकता, वर्तमान दौर में

श्री हरीराम

स.प्राध्यापक राजनीति विज्ञान

आचार्य नरेन्द्र देव पी.जी. कालेज

गोण्डा उ.प्र

प्रस्तावना

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का व्यक्तित्व और कृतित्व आदर्शवादी रहा है। उनका आचरण प्रयोजनवादी विचारधारा से ओतप्रोत था। संसार के अधिकांश लोग उन्हें महान राजनीतिज्ञ एवं समाज सुधारक के रूप में जानते हैं। पर उनका यह मानना था कि सामाजिक उन्नति हेतु शिक्षा का एक मत्वपूर्ण योगदान होता है।

अतः गांधीजी का शिक्षा के क्षेत्र में भी विशेष योगदान रहा है। उनका मूलमंत्र था - %शोषण-विहीन समाज की स्थापना करना%। उसके लिए सभी को शिक्षित होना चाहिए। क्योंकि शिक्षा के अभाव में एक स्वस्थ समाज का निर्माण असंभव है। अतः गांधीजी ने जो शिक्षा के उद्देश्यों एवं सिद्धांतों की व्याख्या की तथा प्रारंभिक शिक्षा योजना उनके शिक्षादर्शन का मूर्त रूप है। अतएव उनका शिक्षादर्शन उनको एक शिक्षाशास्त्री के रूप में भी समाज के सामने प्रस्तुत करता है। उनका शिक्षा के प्रति जो योगदान था वह अद्वितीय था। उनका मानना था कि मेरे प्रिय भारत में बच्चों को 3 ll की शिक्षा अर्थात् **head hand heart** की शिक्षा दी जावे। शिक्षा उन्हें स्वावलंबी बनाये और वे देश को मतबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकें।

वैश्विक स्तर पर व्याप्त हिंसा, मतभेद, बेरोजगारी, महंगाई तथा तनावपूर्ण वातावरण में आज बार-बार यह प्रश्न उठाया जा रहा है कि गांधी के सत्य व अहिंसा पर आधारित दर्शन और विचारों की आज कितनी प्रासंगिकता महसूस की जा रही है। यूं तो गांधीवाद का विरोध करने वालों ने जिनमें दुर्भाग्यवश और किसी देश के लोग नहीं बल्कि अधिकांशतय-केवल भारतवासी ही शामिल हैं, ने गांधी के विचारों की प्रासंगिकता को तब भी महसूस नहीं किया था जबकि वे जीवित थे। गांधी से असहमति के इसी उन्माद ने उनकी हत्या तो कर दी परन्तु आज गांधी के विचारों से मतभेद रखने वाली उन्हीं शक्तियों को भली-भांति यह महसूस होने लगा है कि गांधी अपने विरोधियों के लिए दरअसल जीते जी उतने हानिकारक नहीं थे जितना कि हत्या के बाद साबित हो रहे हैं। और इसकी वजह केवल यही है कि जैसे-जैसे विश्व हिंसा, आर्थिक मंदी, भूख, बेरोजगारी और नफरत जैसे तमाम हालात में उलझता जा रहा है, वैसे-वैसे दुनिया को न केवल गांधी के दर्शन याद आ रहे हैं बल्कि गांधीदर्शन को आत्मसात करने की आवश्यकता भी बड़ी शिद्दत से महसूस की जाने लगी है। गांधी आज क्यों याद आ रहे हैं और गांधीवाद की प्रासंगिकता क्यों महसूस की जा रही है,

इसके लिए हमें इतिहास की हाल की कुछ घटनाओं पर नजर डालनी होगी।

अमेरिका पर 9/11 को हुए आतंकवादी हमले ने दुनिया की राजनीति का रुख ही बदलकर रख दिया। 9/11 के आतंकी आक्रमण के बाद तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश द्वितीय ने कुछ ऐसा ही किया। अमेरिका पर हुए आतंकी हमले को अमेरिकी स्वाभिमान पर हमला मानते हुए राष्ट्रपति बुश ने आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर डाली। उनकी इस घोषणा के बाद तथा राष्ट्रपति बुश के आक्रामक तेवर को समझने के बाद दुनिया दो भागों में विभाजित हो गई। स्वयं जॉर्ज बुश ने भी उस समय यही कहा कि दुनिया के देशों के समक्ष इस समय केवल दो ही रास्ते हैं। या तो वे मेरे साथ हैं या उनके (आतंकवाद) साथ। तीसरा कोई रास्ता नहीं है। जाहिर है शांतिप्रिय संसार की मनोकामना करने वाले विश्व के अधिकांश देश अमेरिका पर आए संकट के अवसर की इस गंभीरता को समझते हुए राष्ट्रपति बुश के इस आह्वान पर अमेरिका के साथ हो लिए। परन्तु दुनिया के शांतिप्रिय देशों द्वारा अमेरिका का साथ दिए जाने का मकसद मात्र %आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध% की राष्ट्रपति बुश की घोषणा का समर्थन करना था। आतंकवाद से पीड़ित एवं प्रभावित कई देश दरअसल यह चाहते थे कि केवल आतंकवाद के ही विरुद्ध अमेरिकी नेतृत्व में एक विश्वव्यापी निर्णायक जंग लड़ी जाए। कई दशकों से आतंकवाद का दंश झेल रहे देशों को आतंकी घटनाओं से छुटकारा मिले तथा दुनिया शांति व अमन चैन से रह सके और यह सब पूरी ईमानदारी व पारदर्शिता के साथ हो।

परन्तु दुनिया की उपरोक्त सभी कल्पनाएं तथा मनोकामनाएं धरी की धरी रह गईं। आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध की राष्ट्रपति बुश की घोषणा के बाद बुश के पूरे शासनकाल के दौरान दुनिया के किसी भी देश से आतंकवाद का सफाया नहीं हो सका। अफगानिस्तान, इराक, इस्त्राइल-फलीस्तीन में हिंसा आज भी जारी है और अलकायदा जैसे आतंकी संगठन पहले से और मजबूत हुए हैं।

आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध के भयावह परिणाम इसके नाम पर विभिन्न देशों में लाखों लोगों की होने वाली मौतें, आतंकवाद के नाम पर होने वाले अरबों डॉलर के खर्च, लाखों बेगुनाहों साथ-साथ हजारों अमेरिकी व उसके सहयोगी देशों के सैनिकों की मौतों तथा इन सबके बीच विश्व में छाई भारी आर्थिक मंदी, बेरोजगारी एवं मानवाधिकारों के हनन के परिणामस्वरूप उपजने वाले विश्वव्यापी असंतोष के बीच अमेरिका में 2009 में हुए राष्ट्रपति के चुनाव में सत्य, अहिंसा तथा शांति की बात करने वाले पहले अश्वेत अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में ओबामा ने राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की। अमेरिकी राजनीति में आए इस क्रांतिकारी परिवर्तन के पीछे आखिर क्या रहस्य था। महाबली, सर्वशक्तिमान तथा ऐसी और न जाने कितनी उपाधियों से पुकारे जाने वाले अमेरिका की जनता आखिर जॉर्ज बुश के तथाकथित %आतंकवाद विरोधी युद्ध% से ऊब कर क्योंकि शांति की बात करने वाले ओबामा के समर्थन में एकमत हो गई? इसी ऐतिहासिक परिवर्तन ने एक बार फिर यह प्रश्न अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर खड़ा कर दिया है कि कहीं आज के हिंसापूर्ण वातावरण में महात्मा गांधी के आदर्शों की पुनः प्रासंगिकता तो महसूस नहीं की जा रही है? जहां तक ओबामा

का प्रश्न है तो ओबामा का जीवन महात्मा गांधी के आदर्शों से प्रेरित रहा है। राष्ट्रपति चुनाव के समय ओबामा ने अपने सीनेट कार्यालय में महात्मा गांधी की वह तस्वीर लगा रखी थी जिसमें गांधी शांति का संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं। ओबामा महात्मा गांधी के उस महान दर्शन के कायल हैं जिसके तहत गांधीजी ने विश्व समाज को किसी की दमनकारी नीतियों का विरोध शांतिपूर्ण तरीके से करने हेतु प्रेरित किया था। ओबामा यह स्वीकार करते हैं कि उन्होंने सदैव गांधीजी को अपने आदर्श एवं प्रेरणा के रूप में देखा व समझा है। अपने कार्यालय में गांधी के चित्र लगाने के विषय में ओबामा .फरमाते हैं कि मेरे सीनेट द.फतर में गांधीजी की तस्वीर इसलिए लगी हुई है ताकि मैं यह याद रख सकूँ कि वास्तविक परिणाम सिर्फ वाशिंगटन से नहीं बल्कि जनता के बीच से आएंगे।

दरअसल सर्वधर्म सम्भाव की जीती जागती तस्वीर समझे जाने वाले गांधी जी मानते थे कि हिंसा की बात चाहे किसी भी स्तर पर क्यों न की जाए, परन्तु वास्तविकता यही है कि हिंसा किसी भी समस्या का सम्पूर्ण एवं स्थायी समाधान कतई नहीं है। जिस प्रकार आज के दौर में आतंकवाद व हिंसा विश्व स्तर पर अपने चरम पर दिखाई दे रही है तथा चारों ओर गांधी के आदर्शों की प्रासंगिकता की चर्चा छिड़ी हुई है, ठीक उसी प्रकार गांधीजी भी अहिंसा की बात उस समय करते थे जबकि हिंसा अपने चरम पर होती थी।

अहिंसा से हिंसा को पराजित करने की सारी दुनिया को सीख देने वाले गांधीजी स्वयं गीता से प्रेरणा लेते थे। हालांकि वे गीता को एक अध्यात्मिक ग्रन्थ स्वीकार करते थे। परन्तु श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए संदेश में कर्म के सिद्धान्त का जो उल्लेख किया गया है, उससे वे अत्यधिक प्रभावित थे। गांधीजी जिस ढंग से गीता के इस अति प्रचलित वाक्यडक -%कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर% की व्याख्या करते थे, वास्तव में आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इसी व्याख्या की प्रासंगिकता महसूस की जा रही है।

आज राजनीति में सक्रिय लोग अधिकांशतया सत्ता को हासिल करने के लक्ष्य को केंद्र में रखकर अपनी राजनैतिक बिसात बिछाते हैं। बजाए इसके कि यही तथाकथित राजनेता समाज सेवा के माध्यम से विकास एवं प्रगति के नाम पर जनकल्याण से जुड़े मुद्दों के आधार पर अशिक्षा व बेरोजगारी दूर करने के नाम पर, स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने, सड़क बिजली व पानी जैसी मनुष्य की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के नाम पर मतदाताओं के बीच जाकर उनसे समर्थन की दरकार करें तथा अपने किए गए कार्यों के नाम पर जनसमर्थन जुटाने की कोशिशें करें। ठीक इसके विपरीत अब बिना कर्म किए ही फल प्राप्त करने अर्थात् राजसत्ता को दबोचने का प्रयास किया जाने लगा है। इस %शॉर्टकट% अपनाने का दुष्परिणाम यही है कि आज पूरे भारत में साम्प्रदायिकता फल फूल रही है। दुनिया के अन्य कई देश भी इस समय साम्प्रदायिकता तथा जातिवाद की पीड़ा से प्रभावित हैं। सत्ता जैसे फल को यथाशीघ्र एवं अवश्यम्भावी रूप से हासिल करने के लिए कहीं साम्प्रदायिक दंगे करवा दिए जाते हैं तो कहीं भाषा, जाति, वर्ग भेद की लकीरें खींच दी जाती हैं। अब तो भारत के एक राज्य विशेष के कुछ संकीर्ण मानसिकता के लोग पूरे उत्तर भारतीयों के विरुद्ध नफरत के बीज बो रहे हैं। दरअसल यह इनके द्वारा किया जाने वाला कर्म नहीं है। बल्कि राज सत्ता रूपी फल फल को प्राप्त करने हेतु इनकी स्थिति एक विषयान्ध जैसी हो चुकी है। और एक विषयान्ध व्यक्ति नीतियों, सिद्धान्तों यहां तक कि मानवता को ही त्याग देता है तथा केवल लक्ष्य को अर्जित करने के लिए निमन् से निमन् स्तर तक के

.फैसले लेने में नहीं हिचकिचाता।

आज दुनिया के किसी भी देश में शांति मार्च का निकलना हो अथवा अत्याचार व हिंसा का विरोध किया जाना हो, या हिंसा का जवाब अहिंसा से दिया जाना हो, ऐसे सभी अवसरों पर पूरी दुनिया को गांधीजी की याद आज भी आती है और हमेशा आती रहेगी। अतः यह कहने में कोई हर्ज नहीं कि गांधीजी, उनके विचार, उनके दर्शन तथा उनके सिद्धान्त कल भी प्रासंगिक थे, आज भी हैं तथा रहती दुनिया तक सदैव प्रासंगिक रहेंगे।

महात्मा गांधी के ये 15 विचार बताते हैं कि उनका जीवन ही एक संदेश है

2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में जन्मे मोहनदास करमचंद गांधी एक ऐसी शख्सियत थे, जिन्होंने भारत को आज़ाद कराने के साथ-साथ भारतीयों को अहिंसा के मार्ग पर चलना सिखाया. 'हिंद स्वराज' से लेकर 'सत्य के मेरे प्रयोग' जैसी महत्वपूर्ण कृतियों में अपने जीवन की समझ को बयां करने वाले बापू की इन रचनाओं को सिर्फ़ भारत के ही नहीं दुनिया भर के लोग पढ़ते हैं. बापू की रचनाओं को पढ़ने के बाद आप इस बात से बिलकुल इत्तेफ़ाक रखेंगे कि उनका जीवन ही एक संदेश है.

भले ही आज बापू के विचार लोगों के साथ न हों लेकिन भारत की मुद्रा पर उनकी तस्वीर होने की वजह से लोग कम से कम उनके बारे में जानते तो हैं. अगर आप सही में बापू को जानना व समझना चाहते हैं तो उनके विचारों को अपने जीवन में उतारिए, जिसे लोगों ने गांधीगिरी का नाम दिया है. महात्मा गांधी की बातें भले ही छोटी हों लेकिन उनकी सीख बेहद बड़ी है!

1. माफ़ करना सीखो
2. सफलता के लिए अभ्यास ज़रूरी है
3. समाज को बदलने से पहले खुद को बदलो
4. अपने विश्वास को मरने मत दो
5. सभी धर्मों की इज़्ज़त करो
6. पापी से प्रेम करो
7. हमेशा सत्य की राह पर चलो
8. लोगों के कपड़ों को नहीं उनके चरित्र को देखो
9. मौन अपनाओ
10. इस संदेश को अपने जीवन में उतारो
11. ये अनुमति आप किसे देते हैं, ये आप पर निर्भर करता है
12. अपने विचारों को कुरीतियों से ऊपर उठाओ
13. किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में सोचो

14. अपने क्रोध पर विजय पाओ

15. कायरता छोड़ो

महात्मा गांधी की तस्वीर लगाने या उन्हें सिर्फ 2 अक्टूबर के दिन याद करने की जगह उनके इन विचारों को अपने जीवन में उतारिए और इन्हें अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए. शायद तभी आप जान पाएंगे की बापू के सपनों का भारत कैसा था !

महात्मा गांधी और भारतीय शिक्षा

गाँधीजी भारतीय शिक्षा को द ब्यूटीफुल ट्री (The beautiful tree) कहा करते थे। इसके पीछे कारण यह था कि गाँधी ने भारत की शिक्षा के बारे में जो कुछ पढ़ा था, उससे पाया था कि भारत में शिक्षा सरकारों के बजाय समाज के अधीन थी।

स्व. डॉ? धर्मपाल प्रसिद्ध गाँधीवादी चिन्तक रहे हैं। उन्होंने भारतीय ज्ञान, विज्ञान, समाज, राजनीति और शिक्षा को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण शोध किया है। गाँधी के वाक्य %द ब्यूटीफुल ट्री% को जस का तस लेकर डॉ? धर्मपाल ने अपना शोध शुरू किया और अँगरेजों और उससे पूर्व के समस्त दस्तावेज खंगाले। जो कुछ भारत में मिला उन्हें संग्रहालयों और ग्रंथालयों से लिया और जो जानकारी भारत से बाहर ईस्ट इंडिया कंपनी और यहाँ तक कि सर टामस रो से लेकर अँगरेजों के भारत छोड़ने तक की, इंग्लैंड में उपलब्ध थी, उसे वहाँ जाकर खोजा। धर्मपालजी ने अँगरेजकालीन घटनाओं का जो ऐतिहासिक अन्वेषण कर यह साबित किया कि जिस प्रकार उन लोगों ने न केवल हमारे अर्थशास्त्र और कुटीर उद्योग को समाप्त कर हमारे पूरे अर्थतंत्र को डस लिया, बल्कि भारत का सांस्कृतिक, साहित्यिक, नैतिक और आध्यात्मिक विखंडन भी किया जिससे भारत अपना भारतपन ही भूल गया और अँगरेजी शिक्षा से आच्छन्न यहाँ के कुछ बड़े घरानों के लोग भारत भाग्य विधाता बन गए।

सन्दर्भ:-

<https://navbharattimes.indiatimes.com/-/articleshow/6642666.cms>

<https://www.jansatta.com/politics/mahatma-gandhi-khadi/83426/>

<https://www.gazabpost.com/mahtma-gandhi-ke-anmol-vichar/>

(1) लाला रमन बिहारी, शिक्षा के दार्शनिक और समाजशास्त्रीय सिद्धांत, रस्तोगी पब्लिकेशन, मेरठ।

(2) पचौरी डॉ? गिरीश, उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक, लायल बुक डिपो, मेरठ।

(3) पाण्डेय डॉ? रामशकल, शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय पृष्ठभूमि, विनोद पुस्तक मन्दिर।

A STUDY ON MOTIVATION AND JOB SATISFACTION AND ITS IMPACT ON EMPLOYEE PRODUCTIVITY IN BHEL

**Dr. SHWETA SHUKLA,
Assistant Professor
Department of Management
Maharana Pratap Institute of Management**

ABSTRACT:

In this study two HRM practices were studied and their impact on the productivity of the workers of BHEL was studied. The survey of 300 respondents was done. It was observed that both motivation and job satisfaction played an important role in increasing the productivity of the employees of BHEL, Bhopal.

INTRODUCTION:

Since the beginning of time, leaders have risen to take charge of societies and make decisions. These decisions often meant the difference between having food and going hungry, having shelter or being homeless, and sometimes the difference between life and death. As society progressed, there have been great technological advances which have brought convenience to our lives. Despite having advancements, the basic needs for humans still remain the same. A question often asked by managers is, "How do we motivate our employees" Effectively motivating employees to achieve a desired outcome is one of the most important functions of a manager. There is evidence to show organizations are facing challenges retaining employees due to limited opportunities for advancement and the current competitive labour market. It does not appear things will get any better in the future.

The general purpose of this study is to determine the satisfaction level of the employees and helps organizations to know about the factors that influence employee

satisfaction. In this world, most of the organizations conduct surveys and interviews to know about the satisfaction level of employees. Job satisfaction is enjoyable emotional state ensuing from appraisal of one's job and job experience. Employee satisfaction or job satisfaction is, quite simply, how content or satisfied employees are with their jobs. Satisfaction is an essential aim for any organization to reach. When the satisfaction level of employees increases, then this will result in more returns to the organization. The dissatisfaction of the employees has adverse effects on efficiency and effectiveness of the organization. So studying job satisfaction is one of the most significant areas of organizations setup. Job satisfaction is a concept that has often been discussed, studied and described. There are several theories regarding the causal link between the yield behavior and motivations. For example, it may well be considered a result of the behavior of the cycle, it can be considered as a cause of behavior, or it can be considered as part of the regulatory system, including the conclusion of the results leads to a decision whether the modifications. The definitions of job satisfaction are influenced by fundamental theories influence. Some definitions are distinct approach, job satisfaction is considered as being composed of satisfaction with various features of the work and the workplace. In this approach, job satisfaction valued at the sum of satisfaction reported by many different characteristics of work and the workplace. Such an assessment provides a perfect picture of the overall employee satisfaction

LITERATURE REVIEW:

Motivation can be categorized into four types extrinsic motivation, intrinsic motivation introjected motivation, and identified motivation. Social and environmental factors can affect intrinsic motivation when individuals meet specific conditions that are enforced to express their feelings **Ryan & Deci, 2000**[1]. For instance, intrinsic motivation could be steadily advanced by satisfying different needs of employees. **Roca & Gagné, 2008; Ryan & Deci, 2000** [2]. Different qualities such as (i). creativity, (ii). self-regulation, and (iii). flexibility are associated with employee's attitudes and hence affects the quality of their work in the workplace (**Deci & Ryan, 1985** [3]). However, intrinsic motivation can be depleted by continuous environmental or social forces. (**Deci & Ryan, 1985** [4]).


According to (Robbins et al 2003 [5]), individuals with high job satisfaction will display a positive attitude towards their job, and the individual who are dissatisfied will have a negative attitude about the job. (Sempane, Rieger and Roodt 2002 [6] states that job satisfaction is an individual's personal assessment of conditions prevalent in the job Sempane, Rieger and Roodt, 2002 [7]. Although there are many definitions put in different ways most of these definitions say the same thing, that job satisfaction is a crucial part of the employees psyche and behaviours. Smith et al . 1969 [8] supported this orientation when they defined job satisfaction as “the feelings a worker has about his job which are associated with perceived difference between what is expected as a fair and reasonable return and what is experienced, in relation to the alternatives available in a given situation.”. Consistent with the same line of thinking, Seybolt 1976 [9] defined job satisfaction as “the global feeling about the job or a related constellation of attitudes about various aspects or facts of the job.”. Finally, Locke 1976 [10] defined it in the same manner by defining it as “a pleasurable or positive emotional state resulting from the appraisal of one’s job or job experience.”.

DATA ANALYSIS:

A. DEMOGRAPHIC DATA:

I. GENDER DISTRIBUTION


GENDER	FREQUENCY	PERCENTAGE
MALE	192	64
FEMALE	108	36
TOTAL	300	100



From the population size of 300, there were 108 females with 192 males. This data gives us the impression that generally due to the nature of work performed at BHEL, Bhopal women employees work in units which does not require heavy physical work.

II. PROFESSIONAL QUALIFICATION


QUALIFICATION	FREQUENCY	PERCENT
BACHLOR	85	28.3
MASTER	52	17.3
OTHER	163	54.3
TOTAL	300	100



Since most of the employees working there are labor category, hence belongs to the group marked as “others”. This group makes most of the employees qualification working at BHEL, Bhopal (54.3%). Besides this many interns and trainees also work in BHEL who were also the respondents of this study and so they contribute to the “Bachelors” (28.33%) group. While some employees holds masters degree, most of them had done MBA.

III. AGE GROUP:


AGE-GROUP	FREQUENCY	PERCENT
20-25	63	21.0
25-35	138	46.0
35-45	67	22.3
45 ABOVE	32	10.6
TOTAL	300	100



Most of the employees fall under the category of age group 20-25 and 25-35. Hence, indicating the inclination of BHEL management towards young and dynamic employees. However, most the respondents who were 45 and above in age were experienced employees holding important positions at BHEL, Bhopal.

IV. YEARS OF SERVICE AT BHEL:

YEARS	FREQUENCY	PERCENT
0-10	117	39.0
10-20	195	65.0
20 AND MORE	78	26.0



Majority of the employees were experienced with 47.76% employees having an experience of more than 10 years.

HYPOTHESIS TESTING:

H₀: There is no correlation between Motivation and Productivity at BHEL, Bhopal

H_A: There exist a positive relation between Motivation and Productivity at BHEL, Bhopal.

Correlations

Correlations

		Productivity	Motivation
Productivity	Pearson Correlation	1	.616*
	Sig. (1-tailed)		.022
	N	11	11
Motivation	Pearson Correlation	.616*	1
	Sig. (1-tailed)	.022	
	N	11	12

*. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).

H₀: There is no correlation between Job Satisfaction and Productivity at BHEL, Bhopal

H_A: There exist a positive relation between Motivation and Productivity at BHEL, Bhopal.

Correlati

Correlations

		Productivity	JobSatisfaction
Productivity	Pearson Correlation	1	.937**
	Sig. (1-tailed)		.000
	N	11	11
JobSatisfaction	Pearson Correlation	.937**	1
	Sig. (1-tailed)	.000	
	N	11	11

** Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

RESULT :

Motivation seems to have a **fairly positive impact** on the productivity of the employees with its $r=0.616$. This value holds true for greater part of the population as the value of p is significantly low ($p=0.022$) at 0.05 level of significance. As in case of II hypothesis, it can be concluded from the table above that there is a **strong positive correlation between job satisfaction and productivity with $r=0.937$. The data is highly significant for the whole population with the value of $p=0.000$ ($\alpha=0.01$).**

TABLE AND CONTENTS:

QUESTION	SCALE				
	1	2	3	4	5
The mission or purpose of BHEL makes me feel my job is important	22	20	33	120	105
The quantity of my work is enough to keep me busy but not too much to over-burden me.	20	5	123	58	94
There is sufficient variety at work to maintain my interest.	64	6	58	32	140
I perform the tasks that are expected of me as part of my job.	18	31	87	58	106
I have all the materials and equipment I need to do my best every day.	22	56	62	70	90
The salary increments given to employees who do their jobs very well motivates them.	24	28	50	97	101
I am satisfied with the lunch break, rest breaks and leaves given in the organization.	20	33	20	99	128
Good physical working conditions are provided in the organization.	83	86	60	36	35
The employees in BHEL feel secured in their	20	42	67	82	89
I am satisfied with the support from the HR department	26	32	43	92	107
I find opportunities for advancement in BHEL	12	12	24	124	128
How satisfied are you with your opportunity to get a better job in BHEL	74	56	49	76	45
How satisfied are you with the information you receive from management on what's going on in BHEL.	116	71	46	38	29

Questions	Scale				
	1	2	3	4	5
Does your co-workers' respect for your opinions	15	28	42	107	108
employees spend all their time just working at BHEL	34	27	88	70	81
Do you have trust in the Head of the sector	29	15	117	29	110
Is your opinion heard in decision making	18	95	102	58	27
Are you satisfied with internal transfer policy	72	71	68	12	77
Are you happy with the way company policies are put into practice.	19	12	76	89	104
Do you have the freedom to use your own judgment..	42	50	87	61	60
Do you think you get paid as per your work	102	93	42	28	35
The feeling of accomplishment I get from the job	32	13	88	90	77
How satisfied are you in general with the HRM and the communication between employees in the BHEL.	65	82	55	72	26
How much does the BHEL as a work Environment meet your expectations	26	32	57	89	96

Questions	Scale				
	1	2	3	4	5
I am willing to make greater effort than expected to bring profit to the company	10	16	21	120	133
I usually defend BHEL, as a great place to work	13	28	35	94	130
I can work in any unit within BHEL	14	19	71	90	106
My loyalty depends on how BHEL management treats me.	88	17	78	28	89
I believe the productivity of any employee depends on how satisfied he feels with the job	100	71	60	24	45
I feel I perform better than other employees	62	51	50	46	91
My performance is related to my salary	36	54	82	76	52
In the course of my working tenure at BHEL, I have done full justice with my performance.	165	70	20	25	20
Employees performance is affected by HRM practices of any company	22	56	62	70	90
BHEL modifies its HRM policies regularly to enhance its employees productivity	41	51	71	65	72
Company's productivity and its employees performance are closely linked	18	31	87	58	106

REFERENCES:

- 1). Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. *American Psychologist*, 55(1), 6878
- 2). Roca, J. C., & Gagné, M. (2008). Understanding e-learning continuance intention in the workplace: A self-determination theory perspective. *Computers in Human Behavior*, 24(4), 15851604
- 3). Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985). *Intrinsic motivation and self-determination in human behavior*. New York: Plenum.
- 4). Deci, E., Koestner, R., & Ryan, R. M. (2001). Extrinsic rewards and intrinsic motivation in education: Reconsidered once again. *Review of Educational Research*, 71(1), 127
- 5). Robbins, S.P. Odendaal. A. and Roodt .G. (2003). *Organisational behaviour, 9thed*, Cape Town: Prentice-Hall International
- 6). Sempame, M.E, Rieger, H.S. and Roodt, G. (2002). *Job satisfaction in relation to organizational culture*. SA Journal of industrial psychology
- 7). Vroom, V.H (1964). *Work and Motivation*. New York: Wiley.
- 8). Smith, P.C., L.M. Kendall, and C.L. Hulin (1969). *The Measurement of Satisfaction in Work and Retirement*. Chicago: Rand McNally.
- 9). Seybolt, J.W (1976). *Work Satisfaction as a Function of the Person-Environment Interaction*.

SWAT Analysis of goods and service TAX(GST) in India

Author:

Dr. Namrata Khandelwal

Assistant Professor of Commerce

Shri Vaishnav College of Commerce, Indore

Abstract - The Indian economy one of the fast growing economy is witnessing a yet another reform in the field of indirect taxation. The system of indirect tax suffered from defects such as double taxation effects, lack of uniformity in rates and administration. So to remove cascading effect of taxes and provide a common nation-wide market for goods and services, Goods and Services Tax (GST) was introduced in India on 1 July, 2017. Under the indirect tax reform both Central and State Governments will have concurrent taxation power to levy tax on supply of goods and services. This paper analyses the Historical background of GST, GST model in India, Advantages and Need of GST and it also gives SWOT analysis of GST in India.

Key Words: GST, GST Model, Need of GST and SWOT Analysis.

Introduction - Goods and Service Tax (GST) is a comprehensive value added tax. Through a tax credit mechanism, GST would be collected on value added goods and services at each stage of sale or purchase in the supply chain. GST paid on the procurement of goods and services can be set off against that payable on supply of goods or services. It originated in France in 1954 and today it has spread to over 140 countries. The taxable event for the GST will be the supply of goods and the supply of services. The current taxable events such as manufacture, sale of goods, rendering of services will not be relevant for GST. GST is of two types: (a) Single GST and (b) Dual GST. Many countries have unified GST.

However, in countries like Brazil and Canada there is a dual system wherein GST is levied by both federal and state governments. In India due to federal structure there shall be dual GST system where tax is imposed by central and state both.

The Empowered Committee of State Finance Ministers had constituted a Joint Working Group in 2007 to lay down the roadmap for the implementation of the GST. Speaking separately at The Economic Times Global Business Summit, Jaitley said he hoped that Congress will see the benefits of Goods and Services Tax and help in passage of the Constitution Amendment that will enable the rollout of the indirect tax reform and this reform will boost our economy and tax burden will be removed.

GST Modal in India - The propose GST stands for "Goods and Services Tax", and is proposed to be a comprehensive indirect tax levy on manufacture, sale and consumption of goods as well as services at the national level. It will replace all indirect taxes levied on goods and services by the Indian Central and State governments. GST is the only indirect tax that directly affects all sectors and sections of our economy. Ignorance of law is no excuse but is liable to penal provisions, hence why not start learning GST and avoid the cost of ignorance.

GST is a value added tax, levied at all points in the supply chain with credit allowed for any tax paid on inputs acquired for use in making the supply. It would apply to both goods and services in a comprehensive manner with exemptions restricted to a minimum. Various important provisions of GST modal in India is follows as under;

GST Law:

- One CGST law applicable all over India.
 - Separate SGST law for every state with common provisions for various essential items.

GST Structure:


- Dual structure - Concurrent power to union and state to levy and collect goods and service tax.
 - World-wide Unified structure.

GST Cover:

- Sale of goods / Provision of services, concept replaced by 'Supply of goods or of Services or both'.

- Stock transfer / Goods sent for Job Work is also covered.
- GST not Cover:
- Alcoholic Liquor (supply for human consumption) Provincial Excise Duty levied.
 - Tobacco and Tobacco Products / Petroleum and Petroleum Products in addition Central Excise Duty levied.
 - Tax on Electricity.
 - Taxes on Immovable Property / Real Estate.

Indirect Tax Structure after GST:



Advantages of GST-

- More efficient Tax System
- Neutral in its application
- Distributional attraction
- Lower Tax Rates over years
- Eliminating Classification dispute
- Elimination of multiple taxes

Elimination of cascading effects

Need for GST in India-

For integrated Indirect Tax Structure.

For decreasing number of taxes, complexities, compliances and litigations.

For imposition of Destination based tax.

For both goods and service should share tax burden, fair and equitable tax system.

Removing cascading effect of taxes, i.e. no tax on tax.

One standard tax rate across the country with minimal exemptions and very few items of reduced rates.

For widening of tax base.

For minimizing tax gap.

For self policing mechanism to minimize tax evasion.

For effective grievance redressal mechanism.


Technology is used to facilitate ease of compliance.

For tax system should be fair and equitable and should build on sound economic principles.

For robust monitoring mechanism.

SWOT analysis of Goods and Service Tax in India

Strengths: The strengths in the SWOT analysis are its resources and capabilities that can be used for developing a competitive advantage over others. Some of the Strength of GST is as follows:



The GST is applicable on all goods and services except some exempted products mentioned in the exemption list of the Act.

GST subsumed taxes like Central Excise Duty (1944), Central Sales Tax (1956) Service Tax (1994) and a host of state levied taxes including Value Added Tax (VAT).

GST drop out the cascading effects of tax on production and distribution of goods and services.

Better Compliance and online submission of details would result in less paper work.

This would eventually lead to more tax revenue.

GST is a dual taxation system. It is charged intra-State by Central and State governments. It is called CGST (Central Goods and Service Tax) and SGST (State Goods and Service Tax) thereby eliminating loss of revenue of states and Central Government.

It would cut back the put down dependency of taxes on production further as distribution of products and services.

It would reciprocate fight and therefore the result total gross domestic product would increase.

Weaknesses: The absence of certain strengths is a weakness as per SWOT Analysis.



The dual model of GST results in complicated billing and reconciliation.

The system is fully technology driven, but India is a developing country where people are not habitual of technology.

GST is a subsumed of various States and Central taxes but many more are left like electricity, alcohol, tobacco etc., at the discretion of State Government.

The States would possibly misuse the facility to extend the speed consistent with they would like, though they will organize it as per availableness of funds.

GST for States and Central looks to be isolated, additional on the idea of Geographic's and also the locations.

The goal control at ground level for traders and repair suppliers. It will costlier than government's revenue.

Opportunities: The external environmental analysis may reveal certain new opportunities for profit and growth. Some opportunities include:

The rates of tax are set at ground level which will help States and Unions to collect more revenue. This will result in Growth of Revenue for State and Central Government.

GST will reduce average tax burden of consumers. They will be certain about their taxes which will reduce evasion of taxes.

GST can provide the opportunity of Corruption Free Indian Revenue Services. This may help in uprooting the Black money economy and bringing all under traders and Service providers under the Tax regime.

Low prices of manufactured products.

Increase in GDP.

Increase in export due to price competitiveness.

GST can cut back tax of shoppers, which can cut back rejection of taxes.

GST is “One purpose Single Taxation System”, it is assist to businessman, price reduction in supplying an ampersand; provide chain purpose of read.

The dealing prices and wastages of scare resources would are reduced as a result of at a one stop registration and other people will do transactions from one window.

Threats: Changes in the external environmental also may present threats to the system. Some of such threats include:

The mechanism of GST is still complicated; it cannot completely eliminate black money and tax evasion.

Initial Burden on Consumers due to a temporary increase of cost of goods and services.

GSTC (Goods and Service Tax Council) will set the benchmark for resolving the dispute on recommendations of GSTC. It means GSTC will lay down the criteria for GSTC itself. It is against the principle of natural justice.

GST is not a guarantee in itself that it would not be influenced by political parties and politicians will not use it as a win-loss game.

GST is unfriendly thereupon banking sector, as a result of the products price would become cheaper once GST and it helps in promoting export.

Though Central government being secure for compensation as non-benefitted States as an amount of five years. So, it should have chance that everyone States wouldn't implement GST in effective manner to induce compensation.

GST is not a guarantee to influence by political parties and advantages of them.

Conclusion- The introduction of GST is a historical reform in Indian taxation system. It consolidates comprehensive Central and State taxes and allow set-off of prior-stage taxes. It will tone down the cascading affect and pave the way of growth.

It may be as an efficient tool to collects a lot of revenue by taxes. In 2015-16, the total gathering of gross domestic product was 947508.12 crore rupees that is anticipated to extend 1054101.22 crore rupee in 2016-17. So, GST would facilitate the government and shopkeepers to seek out their revenue and expenditures. But little doubt that, GST would gift Asian nation in a very topnotch category taxation system which could grab the opportunities and international eyes for investment. It brings Asian nation a lot of competitive and promotes the export. However this is often all depend on timely implementation. There are such a big amount of weaknesses and threats of GST which can be overcome by specializing in strengths and opportunities. There must set totally different dispute settlement body on conflict and suggestions of GSTC (Goods and Service Tax Council).

Therefore if the GST is properly implemented, it could be one of the greatest reforms in

the scope of Indirect tax in India. Thus GST with a slogan of “One Nation One tax” or “Good and Simple Tax” will see leaps in Indian Economy.

References -

<http://www.indiataxes.com/Information/VAT/Introduction.htm>

http://www.taxmanagementindia.com/wnew/detail_rss_feed.asp?ID=1226

<https://wisdomessence.wordpress.com/2017/08/28/swot-analysis-of-gst-act-in-india/>

<https://www.quora.com>

<https://www.scribd.com/document/363730534/GST-One-Nation-One-Market-and-One-Tax-SWOT-ANALYSIS>

One-Tax-SWOT-ANALYSIS

Khan, M., & Shadab, N., Goods and Services Tax (GST) in India: prospect for states. Budgetary Research Review, 4(1), 3864.n.d

The Empowered Committee Of State Finance Ministers (2009), First Discussion Paper On Goods and Services Tax In India, November 10, 2009.

Vasanthagopal, R., GST in India: A Big Leap in the Indirect Taxation System. International Journal of Trade, Economics and Finance, 2(2), 144147, 2011.

www.goodsandservicetax.com

www.luvkushfinserve.com/Home/read.../2531c5ac391944c71535b0b12467da01.pdf

जहाँ क़दर चुग़ताई हालाते जिन्दगी और शख़्सियत

डा.कु.मुबशिशरह अरब अंसारी
अध्यापक

मिर्जा जहाँ क़दर चुग़ताई का ताल्लुक मुग़लिया ख़ानदान से था उनके वालिद अबु मुज्जफ़र मोहम्मद यासिन बेग के वालिद मिर्जा मोहम्मद बेग अपने चार बेटों के साथ सन 1857 के ग़दर में दिल्ली छोड़कर ग्वालियर आये थे और शायद सिंधिया की फौज में पनाह ली थी। फिर कुछ हालात से मज़बूर होकर यासिन मिर्जा ग्वालियर से अपने चाचा जहाँ अहमद बेग के साथ भोपाल आ गये और फरमा रवायेवक्त सुल्तान जहाँ बेगम की मुलाज़मत इख़्तियार कर ली।

जहाँ क़दर चुग़ताई की पैदाईश 8 जुलाई सन 1922 को हुई। जहाँ क़दर चुग़ताई का पूरा नाम अबु मुज्जफ़र जहाँ क़दर चुग़ताई क़मर था।

जहाँ क़दर चुग़ताई की बहन शाहरुख़ सुलताना ने मुझे बताया कि उनके वालिद न सिर्फ़ मज़हबी माहौल में इस्लामी एहकामात की तकमिल ही करते थे बल्कि दूसरे लोगों को भी ख़ुदा के राह पर चलने की तल्क़ीन और रहबरी करते थे। 9 वर्ष की उम्र में जहाँ क़दर चुग़ताई ने पहला रोज़ा रखा था जिसमें अजीजों अक़रिब व अहबाब ने उस वक़्त के हिसाब से धूम-धाम से रोज़ा कुशाई की तकरीब मुनाक़िद की थी इस तरह घर स्कूल और क़ुरब व जवार के माहौल में जहाँ क़दर चुग़ताई को इस मज़हब के रंग में ऐसा रंगा कि वो रंग ग्वालियर के माहौल में मज़ीद ग़हरा हो गया। और 1943-44 में तो उनके वालिद को ऐसा लगने लगा कि उनका बेटा दुनिया से बेज़ार होकर कोई ऐसी राह न इख़्तियार कर लें कि वो सूफ़ी बनकर किसी ख़ानका का दरबान बन जाये। लेकिन रफ़ता-रफ़ता वो शदीद क़ैफ़ियत् तो कम होती ही गई लेकिन ऐसा लगता है कि कोई सूफ़ी संत जहाँ क़दर चुग़ताई के अंदर घर बनाकर बैठ चुका था। फिर से सियासत के थपेड़े इक्तेसादी हालात की मार और शहर ब शहर का सफ़र आदमी के बहुत मुत्तासिर करता है जो शायद जहाँ क़दर चुग़ताई के साथ भी हुआ लेकिन जहाँ क़दर चुग़ताई का दिलो-दिमाग़ इस्लामी अकाईद और दूसरी बुनियादी पाबंदियों की

जंजीरो से खुद को आज़ाद कराने में बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हो सका।

जहाँ कदर चुगताई चूँकि बहुत अरमानों के बाद पैदा हुए थे और वाल्देन की पहली औलाद थे लिहाज़ा वाल्देन ने गुर्बत के बावजूद भी बहुत नाज़ोनाम से पाला। उनकी तीन छोटी बहन गुलरुख सुलताना, शाहरुख सुलताना, और महारुख सुलताना थीं। ये छोटा सा घराना शहर में समाजी कामों के लिये इसलिये मशहूर था कि यासिन मिर्जा मोहल्ले में आपसी मेल-मिलाप तावीज गण्डों की बदौलत उस वक्त के लोगों में बहुत मशहूर और मक़बूल थे। एक वजह यासिन जहाँ की शोहरत की यह भी थी कि वो सरकारी मुलाज़िम होने के बावजूद आजादी की तहरीक में कूद पड़े। और गांधी जी की आवाज़ पर अपनी विलायती पोशाक जलाकर खादी के कपड़े पहन लिये थे। ये उस दौर में बहुत ज़रूतमंदाना काम था और इस तहर एक सच्चे और असली मुजाहिदे आजादी के बेटे होने का जहाँ कदर चुगताई को शरफ हासिल हुआ था।

जहाँ कदर चुगताई का बचपन मोहल्ले के बच्चे और बच्चियों के दरमियान गुज़रा जहाँ ईसाई सिख और हिन्दू बच्चे साथ खेला करते थे। और स्कूल में उन्हीं बच्चों से दोस्ताना रहा बचपन के भाई चारे का जमाना जहाँ कदर चुगताई के ज़हन में ऐसी दाग़बेल डाल गया जिसका असर उनकी जिंदगी में मरते दम तक ज्यो का त्यों कायम रहा।

उनकी जेहनी और तालिमी तरबियत में बहुत बड़ा हाथ उनके वाल्देन का रहा था इस छोटे से घराने में जहाँ कदर चुगताई की बचपन में कुछ इस तरह से देखभाल हुई कि वो अपनी जिंदगी के सफर में भटक न सके।

जहाँ कदर चुगताई की इबतेदाई तालीम शहाँजहानी मॉडल स्कूल, रफिकिया स्कूल ब्रिजिसिया स्कूल, जहाँगिरिया स्कूल और अलेकजेन्डर स्कूल में हुई।

1919 के बाद हिन्दुस्तान में आजादी की तेहरिक में तेजी आ गई थी उसका असर भोपाल पर भी पड़ा। सियासी ज़माते मुख्तलिफ़ नामों से उठ खड़ी हुई और ये सिलसिला चलता ही रहा। ये बात जहाँ कदर चुगताई देख चुके थे कि उनके वालिद दिवान सिंह मकतूह “अखबार रियासत विकली” और शौक़त अली के हफ़्ताबार अखबार “ताक़त” में सियासी आर्टिकल लिखा करते थे। उनके बचपन का वो ख्याल जहाँ कदर चुगताई को इस तरह सहाफ़त में ले आया। इस तरह से वो सियासत और अदब में शामिल हो गये।

सन् 1935 का ज़माना भोपाल में बड़ी सियासी हलचल का दौर था एक तरफ

सियासी जमाते गुलामी की जड़ों को उखाड़ कर फेंकने की कोशिश कर रही थी। देसी रियासतों की मसनदें हिल रही थीं जिनका असर ज़िन्दगी के हर शौबे पर पड़ रहा था। इन तमाम सियासी हलचलों में एक तहरिक सबसे ज्यादा उछल कूछ मचा रही थी और वो थी रियासत भोपाल में जिसने एक मुक़ामी आन्दोलन की शक्ल इख्तेयार कर ली जिसमें सबसे आगे खान शाकिर अली खान थे जिन्होंने भोपाल फॉर भोपालिज़ का नारा दिया। और इस हलचल के दौरान शहर भोपाल अख़बारों का अखाड़ा बन गया। उस वक्त जहाँ कदर चुग़ताई आठवीं दरजे के तालिबे इल्म होंगे वो भी इस मुक़ामी तहरीक में शामिल हो गये।

सियासत में काम करते रहने का मौका भोपाल में उन्हें ज्यादा न मिल सका। उनके वालिद को जुरमे सियासत की सजा मुलाज़िमत से अलहेदगी की सूरत में मिली। और जहाँ कदर चुग़ताई और उनके छोटे खानदान को भोपाल छोड़कर जबलपुर जाना पड़ा। वो जबलपुर के क़ियाम के दौरान अदबी महफ़िलों और सियासी जलसों में बराबर शिरकत करते रहे क्योंकि उस ज़माने में जबलपुर में भी अच्छा अदबी माहौल था। उर्दू के अख़बार और बच्चों के रिसालें भी छपा करते थे वहाँ भी भोपाल की तरह सियासी जमातें थी जिनमें आजादी की लगन के साथ हुसूले आज़ादी के तरीकों पर अन्दरूनी रकाबतें भी थी।

जबलपुर अगरचे भोपाल से मुख़तलिफ़ जगह थी लेकिन वहाँ उर्दू लिखने पढ़ने के लिये उर्दू का अच्छा ख़ासा माहौल था वहाँ मशहूर शायर भी थे, उर्दू के अख़बार रिसाले भी निकलते थे, उर्दू की महफ़िलें भी थी मुख़तलिफ़ अंजुमनें भी थी जो समाजी कामों में दिलों जान से लगी रहती थी। सियासी पार्टियां भी थी मुस्लिम लीग का असर भी था कांग्रेस भी कारफरमा थी और दूसरी दाये बायें किस्म की पार्टियाँ भी थी और शहर में सियासी और अदबी माहौल तक़रीबन भोपाल की ही तरह गर्म था। जहाँ कदर चुग़ताई भी भोपाल से जाकर इस अदबी और सियासी माहौल में गुम हो गईं लेकिन हालात ने जहाँ कदर चुग़ताई को यहाँ भी चैन से नहीं रहने दिया। और जबलपुर भी उनके वालिद के क़ियाम के लिये नामुनासिब जगह हो गई तो उस ख़ानदान ने जबलपुर को भी ख़ैरबाद कह दिया। और फिर इस ख़ानदान को जबलपुर से ग्वालियर आना पड़ा। ग्वालियर भोपाल और जबलपुर से बिल्कुल मुख़तलिफ़ जगह थी। चुनावे भोपाल से छोड़ी हुई जन्नत ग्वालियर में पाई हुई जन्नत इस ऐतबार से बहुत मुख़तलिफ़ थी कि वो जन्नत जो सन् 1936 में जहाँ कदर चुग़ताई ने छोड़ी उसका माहौल उसकी तहज़ीब उसकी ज़बान ग्वालियर से बिल्कुल अलग थी।

यह महज इत्तेफ़ाक था कि ग्वालियर के जिस स्कूल में उन्हें दाखिला मिला वहां उर्दू पढ़ाने का भी इंतेजाम था लेकिन स्कूल से कालेज तक हिन्दी, मराठी और अंग्रेज़ी ज़बान का बोलबाला था चुनाचे उनकी मादरी ज़बान उर्दू, हिन्दी ज़बान से मुतासिर हुये बगैर ना रह सकी। जगदम्बा प्रसाद त्यागी, नरेन्द्र चंचल, और अटल बिहारी वाजपेई (साबिक वज़ीरे आजाम-ए-हिन्द) उनके साथ हिन्दी में गीत लिख रहे थे तो जहाँ कदर चुगताई भी हिन्दी में गीत लिखने लगे और फिर लिखते ही रहे।

नसर में उनका सबसे पहला मज़मून 1940 में “मेरा कमरा” विक्टोरिया कालेज हाई स्कूल मैगज़ीन में शाय़ा हुआ। जो मुताहिदा हिन्दूस्तान की सिफारिश करता था हो सकता है कि उस्ताद की इस हिम्मत अफ़जाई का यही नतिजा हो कि जहाँ कदर चुगताई ने तंज़-उ-मिज़ाह में जो क़लम उठाया तो ऐसा उठाया कि वो चलता ही रहा। 1942 में हुजुराते पायगा मीडिल स्कूल लश्कर ग्वालियर में बच्चों के लिये “हिन्दुस्तान” नाम का ड्रामा लिखा जिसमें हिमालय, गंगा, जमुना, सिंध, बेहरेहिंद वगैरा किरदार थे इस तरह इस जुगुराफियाई ड्रामे ने उनकी ड्रामा निगारी की बुनियाद रख दी। और अगले साल 1943 में विक्टोरिया कालेज के Little theatre के स्टेज पर ‘मिलाप’ नाम का हिन्दू-मुस्लिम एकता की Theme पर ड्रामा लिखा और स्टेज किया जो बहुत पसंद किया गया और इस ड्रामे के सात गाने भी जहाँ कदर चुगताई ने ही लिखे। जिसमें मुहीउद्दीन ने म्यूजिक दिया जो बाद में मुहीउद्दीन राज रतन के नाम से फिल्म इन्डस्ट्री में म्यूजिक डायरेक्टर बन गये। ये ड्रामा 1944 में लश्कर ग्वालियर के टाउन हाल में टिकिट से भी खेला गया।

जब जहाँ कदर चुगताई कालेज के तालिबेईल्म थे तो उन्होंने मशहूर ड्रामा ‘ख़ूबसूरत बला’ में कालेज के स्टेज पर जनाना रोल भी अदा किया। ऐसा लगता है कि जहाँ कदर चुगताई की उम्र का वो हिस्सा जो 1935 से 1946 का है वहीं ज़माना उनकी तालिम और अदबी सरगरमियों का भी है।

1946 से जहाँ कदर चुगताई का कलम तेज़ रफ्तारी से चल पड़ा लेकिन एक बात यहां ये भी देखने में आई कि उन्होंने अपने असली नाम को छुपाकर तंज़िया और मज़ाहिया मज़ामिन लिखे जो अखबार ‘नदीम’ और भोपाल के दूसरे रोजनामों और हफ्तरोज़ा अखबारों में शाय़ा हुये।

जहाँ कदर चुगताई एक दिलनवाज शरि़सयत थे मेहमूदुल हुसैनी शाहाब एडिटर रोज़नामा ‘अल हमरा’ और रोज़नामा ‘नदीम’ जहाँ कदर चुगताई की शरि़सयत को अपनी किताब ‘शरि़सयात’ में इस तरह पेश करते हैं “बड़ी-बड़ी आबदार आँखे, तीखे

नकुश, मुस्कराता हुआ चेहरा, पान की ज़्यादती से होठों पर धड़ी जमी हुई, सेहतमंद और जवान उल उम्र फैशनेबल आदमी, दाड़ी मुझे से बेनियाज़, राजधानी के अदबी हलकों में काफी मशहूर थे हैं जनाब जहाँ कदर चुगताई, अल्लामा-मदहोश की नकाब चेहरे पर डाले थे। ख़य्याम की महफिल में उनकी शौख तहरिरो से अखबारबिन तबके के ज़हन में अल्लमा की ऐसी तस्वीर थी की कोई बड़े मियाँ होंगे। जौफ पीरी से खमीदा क़मर रेशेदार आसाब और झुर्रिया पड़ा हुआ चेहरा निगाहों में घूमा करता था। लेकिन नकाब कशाई के बाद ये गलत फहमी बाकी नहीं रहीं। रस्में नकाब कशाई मुझे इसलिये अदा करनी पड़ी थी कि बाज़ नकली मदहोश पैदा हो गये थे जो ब्लेक मेल करने लगे थे ये नौबत इसलिये इस लिहाज़ से बहुत साजगार रही कि इसके बाद ही मैंने सावानेही खाकों का सिलसिला शुरू कर दिया।” (शख्सियात्, (खाके) सयैद मेहमूदउल हुसैनी पेज 165)

जहाँ कदर चुगताई की शख्सियत मीर के इन अशआर जैसी है -

सारे आलम पर हूँ मैं छाया हुआ।
 मुसतनद है मेरा फरमाया हुआ।
 पत्ता-पत्ता बूटा-बूटा हाल हमारा जाने है।
 जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है।
 कहीं कहीं वो मुझे इकबाल का ये शेर भी लगे है -
 हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है।
 बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दिदावर पैदा।

जहाँ कदर चुगताई का जिन मशहूर हस्तियों से करीबी ताउल्लुक रहा उनमें है प्रोफेसर मुजीब, एहसान दानिश, मज़ाज लखनवी, जोश मलीह आबादी, फैज़ अहमद फैज़, सागर निज़ामी, जाँ निसार अख्तर, हज़रत नियाज़ फतेहपुरी, फिराक़ गोरखपुरी, डा. शंकरदयाल शर्मा, अटल बिहारी वाजपेयी, ख्वाजा अहमद फारुखी, प्रो. बागची, प्रो. अबु मोहम्मद सैहर, शैरी भोपाली, बासित भोपाली, अख्तर सईद खां, निदा फ़ाजली, अजीम उल्लाह खां, मनोहर आशि, शरीफ़ अली, गांधीजी, जिन्ना, बहादुर यार जंग, अरुणा आसिफ अली, शिवमंगल सिंह सुमन, जग मंगल त्यागी, सी.एस. कदम, बच्चन, जावेद अख्तर, प्रो. डा. ज्ञानचंद, जोय अंसारी, अख्तरुलइमान, सलाम मछली शहरी, युसूफ़ कैसर, ज़की वारसि, शकिल बदायुनी, अनवर प्रताप गड़ी शकिल बदायुनी वगैरहा।

जहाँ कदर चुगताई अगरचे सैफिया कॉलेज में मारुफ उर्दू के लेक्चरर थे जहाँ कदर चुगताई ने स्कूल में 63 साल की उम्र तक टीचर के फराईज अंजाम दिये और बेहतरीन टीचर होने का एजाज और इनाम हासिल किये। सैफिया में सर्विस के दौरान उनको बेस्ट टीचर का इनाम एक जलसे में नवाब हमीदुल्ला खाँ की बेगम मेमूना सुल्तान के हाथों दिया गया। और सैफिया हायर सेकेण्ड्री स्कूल में जहाँ कदर चुगताई को दो मर्तबा शाल भी पेश किये गये। टी.एम. कान्वेंट स्कूल ने शॉल दिये और सिपासनामा दिया और फैन्स क्लब की जानिब से उनको टीचर्स डे पर बेहतरीन टीचर का कौमी गीतनिगार का सिपासनामा पेश किया गया।

अभयनेम कला परिषद की जानिब से बेस्ट टीचर की ट्राफी दी गई। नईम कौसर साहब की नज़र में जहाँ कदर चुगताई हकीकत में फने तदरीस में इन्कलाब लाये और इस तरह अपने तलाबा को अवतार तो नहीं बना सके लेकिन चारा साज़ जरूर बना दिया। अपने दौरानेमुलाजमत में वो ऐसे शज़र सायादार थे। जिसके साया तले नौनिहाल मुस्तकबिल की तामिर की समाअत हासिल करते थे, जेहन और दिमाग को शफ़कत और मोहब्बत की शबनम से नम करते थे और इम्तेहानो की आग सी धूप से मेहफूज़ रहते। नये जहाँ की तलाश किया करते थे।

जहाँ कदर चुगताई ने सिकन्दर और अर्जुन की तखलीक नहीं की लेकिन ये कहने पर फर्क महसूस होता है कि उन्होंने ऐसे पीकर तराशे जो जंग भूख इस्तेहसाल जहालत और फिरकापरस्ती को औकाबी नज़रो से ताक़ते रहते हैं। बहैसियत एक टीचर उनका ये सफ़र 1944 से शुरू होकर जिन्दगी भर रहा।

जहाँ कदर चुगताई 64 साल की उम्र में मुलाजमत से रिटायर हो गये थे लेकिन दर्स व तदरीस का सिलसिला आखरी सांस तक जारी रहा। इसी तरह इल्मोअदब से उनकी दिलचस्पी भी आखरी उम्र तक बरकरार रही। जहाँ कदर चुगताई बुनियादी तौर पर फ़नकार थे और बड़े फ़नकारों की सी बेनयाजी उनके मिज़ाज का खासा हिस्सा थी जिसकी बिन्हा पर उन्होंने फ़नकाराना सलाहियतों पर न तो फ़र्क किया ना तो उनकी नमोदोनुमाईश की फ़िर्क की गालिबन यही वजन जिसके बिना पर उनकी बेहिसाब तखलीकात जो मुकामी व बेरुनी जराईद में बिखरी हुई है उनमें चंद को छोड़कर किताबी शक़ल में सामने नहीं आ सकी।

जहाँ कदर चुगताई की बेनियाजी के बारे में डा. हामीद रिज़वी ने लिखा है “ऐसा लगता है कि बेनियाजी जहाँ कदर चुगताई के मिज़ाज में दाखिल हो गई थी जिसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने अदबी कामों को इस तरह समेटकर नहीं रखा जिस तरह

रखना चाहिये था वो लंदन और फ्रांस तक हो आये लेकिन पास वाले अहबाब भी ये बात नहीं जानते थे कि जहाँ कदर चुगताई हिन्दुस्तान के बाहर भी सैर कर आये हैं। वो लिखते रहे और दूसरे छापते रहे।

जहाँ कदर चुगताई की मतबुआ कुतुब में नक्शेकलम उनके मजामीन का इन्तेखाब है जो उनके स्कूल के पुराने साथी सयैद जाहिद अली ने शाया करवाया। दूसरी किताब 250 सफात पर मुशतामिल “ख्याम की महफिल” है और तीसरी “वतन के गीत” हिन्दी में शाया हुई है।

जहाँ कदर चुगताई की फनकारी और अदबी खिदमात के सिलसिले में मकामी अदबी अंजुमनों के अलावा मध्यप्रदेश कला परिषद ने सम्मान और मध्यप्रदेश उर्दू अकादमी ने 1996 का मोहम्मद युसूफ केसर इनाम तफवीज़ किया था। भोपाल में अचानक 28 सितम्बर 2001 को हरकते क़लब बंद हो जाने से उनकी बफ़ात हो गई। उनकी बफ़ात पर भोपाल की इल्मी और अदबी हल्के में मातम छा गया।

उनके वफ़ात पर सदाएउर्दू के शुमारा अक्टूबर 2001 में ताज़ियत करते हुये मुदीर ने लिखा है। भोपाल में “नवाब सुल्तान जहाँ बेगम साहिबा के दौरे हुकुमत में इल्मोअदब की तूफानी हवायें अपने साथ तरह-तरह की खुशबुएँ भी लाई उन्हीं में एक खुशब-ए-दस्तेगोभी थी जो बमुश्किल मोहम्मद मिर्जा साहब हमें नसीब हुई जहाँ कदर चुगताई उन्हीं मिर्जा साहब के फरज़ीनद अरज़ूमंद है जो निस्फ़ सदी से भी ज़ाइद से उर्दू वालों के दिलों पर राज कर रहे हैं।”

संदर्भ ग्रंथ -

1. शख़ियात (खाके)-सयैद मेहमूदुल हुसैनी
2. सर नविशत - मास्टर फारूख
3. मैगज़िन शगूफ़ा हैदराबाद 1986
4. म.प्र. में उर्दू जबानोअदब - डा. सलीम हामिद रिज़वी

जहाँ कदर चुगताई की कालम नवीसी

डा. कु. मुबशिशरह अरब अंसारी
अध्यापक

जहाँ कदर चुगताई की कलम की असली धार और खुद उनकी बागो बहार शरूसीयत “अल्लमा मदहोश” के रूप में रोज़नामा “नदीम” के कालमों में नमुदार हुई। रोज़नामा नदीम में मुस्तकिल कालम “ख्य्याम की महफ़िल” जहाँ कदर चुगताई के फ़िक व शउर की ग़हराई, कौमी और समाजी मसाइल से आगाही, खुशफिकी और खुशमिजाजी का बेहतरीन नमूना है- इस महफ़िल में जहाँ कदर चुगताई का मुनफरीद अहंग है जहाँ वो माशरती, सियासी, समाजी मसाइल के पेचोख़म खोलते है- “ख्य्याम की महफ़िल” जहाँ एक दर्सगाह है वहीं वो किसी हास्पिटल का आपरेशन थेयेटर भी नज़र आती है।

हाँलाकी अदब की हैसियत मुस्तकिल और दायमी होती है और साहफत की महज हंगामी, दोनो में मवाद और मौजू तक ही फ़र्क नहीं होता बल्कि नुमाया शनाख़्त तरीका ए इज़हार है जो अदब को अदब और सहाफत को सहाफत का जामा पहनाता है। सहाफत में जो भी मसला मुंतख़िब किया जाता है वो शऊरी तौर पर एक ख़ास मक़सद के तहत होता है इस तरह तखलीख़ कार सहाफती जुमबिशो यानि सख़ुन हाये गुफ्तुनी को दिलचस्पी के दायरे में घेरता हुआ नाज़िर तक पहुँचता है और अदीब को अपनी तखलीख़ तेहरीर करते वक्त नाज़रिन के वजूद का एहसास तक नहीं होता। जहाँ कदर चुगताई ने शहर के नाज़रिन के मिजाज को पेशे नज़र रखते हुए मुतासीर करने का फन बड़ी होशियारी के साथ ज़ेहिन में मुकीद कर लिया था। सहाफत में उनका मिजाज सिर्फ़ इन हंगामी नहमवारियों से तेहरिक लेता है जो किसी ख़ास वाक्या की मिन्नतकश होती है यही वजह है कि उनमें वक्ती असर अंग्रेज़ी और तासूर होता है लेकिन जहाँ कदर चुगताई की पेशकश का अंदाज़ अदिबाना है साहफियाना नहीं इसलिए

उनकी सहाफी कालम नवीसी को मुस्तकील मज़ाहिया हैसियत नहीं दी जा सकती। इसके बावजूद के इसमें नाज़रिन के लिये बेइम्तेहा दिलचस्पी का मवाद होता था उन्हें क्योंकि मजाह का फितरी ज़ोक व बुदुयत हुआ था और फिर वो बाद में भी अपनी मज़ाहनिगारी के तखलिकी अमल में मसरूफ रहे, इसलिये उनकी कालम नवीसी के तहत जितनी भी तहरीरे है वो फरामोश नहीं की जा सकती। हकीकत में वो अपने दौर में पकाही कालम लिखने में काफी दस्तरस रखते थे और कामयाबी के साथ उसमें मज़ाह पैदा करते रहे। “रूमांस ऑफ जर्नलिज्म” (रजनी बनर्जी) फ़काही कालम निगारी के बारे में दरजाज़ेल इशारात है।

1. कोशिश करो की तुम संजिदा बात का कोई छूपा हुआ मज़हक पहलू दरयाफ्त कर सको।
2. अगर तुम्हें कोई ऐसा पहलू मिल जाये। तो नाज़िर के सामने उसे अचानक पेश करो।
3. बात के बयान में एक लम्हें से ज्यादा वक्त सर्फ मत करो।
4. फौरन अपने अस्ल मौजू की तरफ लौट जाओ।
5. मुनासिब तबसिरा करने की आदत डालो।
6. मुनासिब और दिलचस्प तशबिहात पैदा करो।

“ख़य्याम की महफिल के मुताले के बाद ये बात वाज़ेह होती है कि उन्होंने ये महफिल सजाने में इन नुकात का पूरी तरह फायदा उठाया। ये नहीं कहा जा सकता कि जहाँ कदर चुग़ताई ने कभी रजनी बैनर्जी की किताब का मुताला किया होगा। लेकिन जहाँ कदर चुग़ताई के 6 दहाईयों तक जारी तखलिकी सफ़र को नज़र में रखते हुये कहा जा सकता है कि वो फितरी तौर पर कालम नवीसी पर भरपूर गिरिफ्त रखते थे। अदबी और साहफती मज़ाह दोनो इस्लूब से वो पूरी तरह फ़नकाराना अंदाज में वाकिफ़ थे। इसीलिये मौजू और मसाईल का इंतेखाब और उनकी पेशकश का अंदाज इतना माहिराना होता था। कि सिर्फ कारेईन बल्कि सरकारी हुक्काम भी इसके रद्देअमल को महसूस करते थे जहाँ कदर चुग़ताई ना सिर्फ संजिदा मसाईल से क़ारी को ज़हनी और दिमागी, शादाबी के मवाके देते थे बल्कि मुस्कुराहटों के सहारे कुछ न कुछ पैगाम भी दिया करते थे यही वजह है कि कालम नवीसी एक हंगामी कैफीयत की मालिक है। लेकिन आज भी इसमें पोशिदा पैगाम समाज की रग-रग में हलचल सी पैदा कर देते हैं। लुत्फ की बात यह है कि इस तरह की इन तेहरिरो में अखबार की पालिसी के अस्यात से मुब्बरा है।

जहाँ कदर चुगताई के फ़काहियाँ कालमों में माआशरे के उतार चढ़ाव पर ज्यादा जोर दिया गया है। इक्तेसादी नाहमवारियों और समाज के बेऐतेदालियों को भी उन्होंने अपने मज़ाह का असास बनाया है। ख़ूबी यह भी है कि उनमें मुबालगा और लफ़्जी बाज़ीगरी नहीं की गई और इसी बुनियाद पर उनका कालम “ख़य्याद की महफिल” बड़ी दिलचस्पी से पढ़ा जाता था शोखियों से भरपूर ख़य्याम की महफिल के चंद नमूने दर्ज किये जाते हैं।

मनुस्त्रिकलमियाँ

खुदा खुश रखे अपने मिनुस्त्रिकलमियाँ को जिन्होंने खने मदारिस की सड़कें हमारे चलने के लिये बनवाई। और मुम्बनई के तर्ज की रोशनी से इन सड़कों को केहकश० कद दिया गोया पहले हमें दिन में तारे नज़र आते थे अब रात में सूरज नज़र आता है।

.....और फिर ये ग़रीबों के झोपड़े पलक झपकाने में जादू के महल की तरह उड़ जाऐगें सारा शहर सरसब्ज शादाब हो जायेगा। इन मकानों की जगह जो फूल खिलेगें उनको देखकर लोग कहेगें।

में नुमाया हो गये,

ख़ाक में कैसे मकान होंगे पनाह हो

गये। जरा सोचिये तो जब आपके नोटिस से शहर के मकान पोते जा सकते हैं क्याज वो ही मकान तोड़े नहीं जा सकते। पब्लिक ताआवुनम का मतलब वरना क्यों होगा।

हुक्मत पर हुक्मे चलाओ तुम्हें डर किसका है,
ये गली शहर, ये बाजार, ये घर किसका है।

दर्देन इंकलाब

यूरोप के मुमालिक में दो मौसम होते हैं एक ख़ज़ा एक बहार मगर ताजुब की बात है हिन्दुकस्तोन के शायर वर्षों से बाहर के गीत गाते चले आए हैं। और हिन्दु स्तागन में बाहर का मौसम रजिस्टमर्ड नहीं हुआ है। यहां के मौसम में जाड़ा, गर्मी और बरसात और शायद इसलिए उर्दू शायरी पर एक बड़ा एतराज लादा गया है। इसमें कोयल की कु-कु नहीं पपीहे की पुकार नहीं मगर हमको इससे भी बहस नहीं हमारे ख़्यौल में हिन्दुस्ता न के मौसम में मौसम-ए-मलेरिया, मौसम-ए-चेचक और हैजा इन तीनों मौसमों में इन तीनों अमराज को खुशामद कहा जाता है। दर्ज बाला इक्तेसबाज पर गौर करने के बाद एक फिर सहाफती मज़ाह के बारे में राजनी बेनर्जी के इशारात पर ध्या न देना जरूरी है। जहां कदर चुगताई ने सर्जीदा इशारों के बयान बड़े मुनासिब और दिलचस्प ढंग से पेश किये हैं। चाहे अमेरिका का रोकिट हो, इंग्लैंड

और मिश्र की जंग, फ्रांसिस मज़ालिम का जिक्र, मसनूई चांद की तरकीहन, जमूरियत की तारीफ, रूस का रोकिट, कुर्सी और महबूबा का ईशिक शबबरात के हलवे का जायका, होली के खाने-पीने का ब्यासन जहां क़दर चुगताई में इनमें कोई भी हंगामी या वक्लती मसले को उजागर किया हो। उनमें बड़े फनकाराना ढंग से और अदबी चाशनी के साथ इतनी दिलचस्पीह पैदा की है कि वो सहाफत से हटकर एक पायदार हिस्सा बनने के लायक हैं। मसाईलये हाजिरा पर जहां क़दर चुगताई ने अपनी शउर व ईदराक से क़ारी के दिमाग में शौक की लहरें उजागर की हैं। ख़ईयाम की महफिल पढ़ने के बाद यह बात भी साफ होती है कि जहां क़दर चुगताई के सहाफती मिज़ाज के मौजूआत कुछ इस किस्मभ के हैं और अंदाजे पेशकश में ऐसी निखरी हुई कैफियत मौजूद है कि उनकी हर्दें अदबी मज़ाह से जा मिलती है। और इसी वजह से नाजरीन का एक बड़ा तबक़ा उनकी इस शाऊरी काविशों को बड़ी आसानी से समझ लेता था। जहां क़दर चुगताई के फककाही क०लम अवध पंच के हंगामी मौजूआत से अलग हैं। हालांकि इनमें किरदार निगारी नहीं है। लेकिन वो माशरे के किसी भी मसले को बोलता हुआ और जीता जागता बना देते थे। जहां क़दर चुगताई ने जब क०लम नवीसी शुरु की उस वक़्त सियासी और समाजी बेदारी पनप रही थी ईखतेदार भी उन हाथों में था जिन्हें इंतजामिया का माकूल तजुर्बा नहीं था और मामलात बजाये विकार के साध्य सुलझाने और अवाम को फ़ायदा पहुंचाने के कई फैसले मुआसरे के लिये तकलीफें साबित होते थे और जहां क़दर चुगताई बड़ी बेबाकी से इन उलझनों का ताना-बाना बुनते थे और वो अपने लतीफ तंश और दिलचस्पक रज्मब से समाज के आसाब में हरातर पैदा करते थे। सियासी और समाजी मसाईल में बदलते हुए हालात की वजह से बेशुमार उलझनें पैदा हो रही थीं और ऐसे में जहां क़दर चुगताई ने हालात पर बड़ी होशमंदी से मज़ाह की चाशनी और नमकीनी का मुलअम्मा चढ़ाया और सियासी वाकयात और तहरीकात पर भी असरअंदाज हुए। समाज और माशरे की ईजतमाई बैचने को वो अपनी अदराक की पुख्त गी से बखूबी पहचान लिया करते थे इसी वजह से ख़ईयाम की महफिल के मजामीन ज्यातदा से ज्यादा अफ़राद पर असरअंदाज होते थे और जहां क़दर चुगताई के दिल और कलम से निकली हुई बात दूर-दूर तक पहुंचती थी। जहां क़दर चुगताई ने सियासी कशमकश का एक तवील दौर देखा बकेदूर बदलते हुए वाकयात और मसारे और नत नई सीयासी कलाबाजियों का बारीकी से मुताला किया था वो अपनी बात कहने में शिद्दत पैदा करने के लिए मुबालगा और मबाजना से परहेज़ करते थे बकिअपनी अपने ज़राफ़त के तरकश के तीर से सियासी

और समाजी जिंदगी कि हर नाहमवारी को निशाना बना लेते थे उनके अंदाज-ए-बयां और उसलूब में ज़राफ़त के अनासिर हल्की -हल्की लहरों का रूप इख़तेयार करते हैं जो उस दौर की संजीदगी को कम करके क़ारेईन के थके हुए दिलों और दिमाग़ को फुरसत के चंद खुशगवार लम्हाख़त मुहैया कर देते थे जहां क़दर चुगताई ने अवामी जिंदगी के तल्ख़च हक़ायक़ को बड़ी ख़ूबी और ज़ुरत से बेनकाब किया है।

संदर्भ ग्रंथ -

1. सर नविशत - मास्टर फारुख
2. मैगज़िन शगूफ़ा हैदराबाद 1986
3. म.प्र. में उर्दू जबानोअदब - डा. सलीम हामिद रिज़वी
4. उर्दू अदब की तरक्की में भोपाल का हिस्सा - डा. सलीम हामिद रिज़वी

"Globalisation and its impact on Indian society An Outlook"

Presented By :-

Dr. Deepti Nigam

Department of Economics

Govt. College Polay Kalan

Dist. Shajapur

Abstract-

Indian society is drastically changing after globalisation. economic policy have a direct impact in shaping the structural framework of economy. it also played an important role in determination of level of income , saving, and investment in the society.this paper examine and analysis that indian society is drastically changing after globalisation . it studying the impact of globalisation on various aspects of life in india.

introduction-

At the time of independence the big question facing the policy maker was to decide the role of government and private sector in economic development of the india.the developing countries like india can progress only if they have only a good industrial sector and developed technology.The new economic policy (NEP) was announced in july 1991.it consisted of wide range of economic reforms.the main aim of policy was to create a more competitive environment in the economy and remove the barriers to entry and growth of industries.Globlisation is the supporting pillar on which the structure of new economic policy of our government has been erected and implemented since 1991.globlisation has brought to borderless economy formation mainly due to liberal economic policies and opening up of domestic economy.the new economic policy prepared a specified list of high technology and high investment in which automatic permission will be available for foreign direct investment up to 51% of foreign

equity. it helps the greater access to global markets and advanced technology .outsourcing is one of the important outcome of the globalisation process.it has intensified in recent times because of the growth of fast modes of communication particularly the growth of information technology. indian society is drastically changing after globalisation .Economic policy have a direct impact in shaping the structural framework of economy.it also played an important role in determination of level of income , saving and investment in the society. these paper analyse that indian society is drastically changing after globalisation and it has brought a lot of change in the indian society.but it will be difficult for india to adopt with global changes without dealing with domestic problems like control of terrorism, providing employment to rural people and work for the rural people, empowering women and providing reasonable price and market facilities for the farmers.

now a days globalisation is being talked everywhere by everyone, lots of discussion is going on and international , NGO'S, government official and different national and international organisation are studying the impact of globalisation on various aspects of life in india.

conclusion- Globalisation is the process of rapid integration of countries. this is happening through greater foreign trade and foreign investment. MNC's are playing a major role in globalisation process. technology particularly iT has played a big role in organising production across the countries. wTO has put pressure on developing countries to liberalise trade and investment .Fair globalisation would create better opportunities and share for all.

Objective of the study-1. To study and understand the present socio-economic status of indian society.2. To study the impact of globalisation on socio-economic status of indian society.3. To examine and study the change in the situation of indian society.

Hypothesis--1. The process of globalisation is presumed to affect of the social status of indian society.

2. The phenomenon of globalisation is likely to be associated with level of education and income of the society.3.The impact of globalisation is likely to

vary with the occupation of the society.4. impact of globalisation is likely to affect the life of indian society.

Bibliography

1. Jidal jyoti-(2013) "globalisation its socio- economic impact in india" international journal of emerging research in management .volume 2 issue-12 .chandigarh.

issn:2278-9359.2. bal krishna chandrashakheran(2015)-"impact of globalisation on developing countries and india. 'Arts and social science journal 'new Delhi.

iSSN:2151-6200

3. pieterse jan n(2008)."globalisation and culture ;global melange "2nd edition.new delhi. isbn no.- 13:973-07424.goyal k.a. dr. and joshi vijay(2010)" mergers in banking industries of india" Asian journal of business and management science.vol.1 no.2 (157-165)iSSN:2454-4574.5.chetan bhagat-(2011) "globalisation and its impact on modern india"Ashvamegh the literary flight . mumbai

ISSN NO. 2047-25286.Noa vaisman(2005) "science technology and human values "journal of the society for social studies of science.vol. 43 no.1, seg publication. new delhiISSN NO. 0162-2439

7.brain wynne(2007), "performing and obscuring a political conceptual category mistake". East asian science, technology and society. ASAM

iSSN- 12280-0078.mukharji sanjeeb (2016),"The state of the science of politics in contemporary india"vol.51 issue no.51 .Economic and political weekly , new delhi

ISSN -2349-8846

9.GUHA Rameshchandra (2014),'Ideology trades in indian environment ' Economic and political weekly .vol.23 no.49 , new delhi

ISSN-2349-8846

10.Naidu gurappa (2006),"globalisation and its impact on indian

society"the indian journal of political science, vol. 6 no. 1 kolkatta
ISSN. 2454-1365

11. Sing rajendra (2015),'Impact of new economic policy on indian
economy " Imperial journal of interdiscilnary research . bangluru
ISSN.2454-13864

Role of FDI in Economic development-an outlook

Presented By :-

Dr. Deepti Nigam

Department of Economics

Govt. College Polay Kalan

Dist. Shajapur (MP)

Abstract-

Foreign direct investment (FDI) has a major role to play in the economic development of the country. Over the year, foreign direct investment has helped the economics of the country to make further improvement in their status. This trend has manifested itself in last 25 years any form of foreign investment brings capital, knowledge and technological research in the economy. It has been observed that the economically developing as well as underdeveloped countries are dependent on economically developed countries for financial assistance that would help them to achieve economically developed countries for financial assistance on their part can help these countries financially by investing in these countries.

India's Experience

Till 1991, India had followed a cautious approach regarding FDI policy due to 'import-substitution strategy and self reliance, FDI through foreign collaboration was welcomed in the areas of high technology and high priority Public sector only. Government established special

Economic Zones(SEZs) designed selective liberal policy and provided incentives for promoting FDI in this zones with a view to promote exports. As india continued to be highly protective, these measures did not add substantially to export competitiveness. Since 24th july 1991, there has been a sea change in India's approach to foreign investment when it began structural economic reforms encompassing almost all the sectors of the economy,

There are two routes by which there is inflow of FDI in india

1. Automatic route

By these route fdi is allowed without any prior approval by govt. or reserve bank of india .the host co are only required to notify the concerned regional office of the RBI within in 30 days of receipt of inward remittances and file the required documents with that office within 30 days of issuance of shares to goreign investors.In the post liberalization era , India is known to have attracted a large amount of foreign direct investment.

2. Government Route

Under this route the proposals are considered in a time bound and transparent manner by the Foreign investment promotion board (FIPB). Approvals of proposals involving foreign investment and foreign technical collaboration are also granted in the recommendations of the FIPB.

Investment proposal falling under the automatic route and matters related to FEMA (Foregin Exchange management Act) are dealt with by RBI while the Government handles investment through approval and issue that relate to FDI to FDI policy through its three institutions.

1. Foreign investment Promotion board (FITB)

2. Secretariat for Industrial Assitance (SIA)

3. Foregin Investment Implementation Authority (FIIA)

	City	Industry	Reasons
1	Bangalore	IT Sector	Infrastructure and competent workforce
2	Delhi	Service industry, Consulting	Being capital, better Facillities
3	Pune	IT sector, Software	Better Facillities and workforce
4	Mumbai	Service Manufacturing, Energy	Sitting up of SEZ, financial capital
5	Chennai	Automotive sector	Goverments policies
6	Hyderabad	IT Sector	SEZ
7	Kolkata	IT and Software	SEZ and better infrastructure
8	Ahmedabad	Exports and jewellery	Sabarmati Riverfront development project
9	Nagpur	Power distribution	Public transport
10	Jaipur	Traditional and Hand made jewellery	Local cottage industries

Conclusion :-

To examine and analysis of FDI we concluded on this pepar that the most atractives sectors of FDI under make in India are Automobiles , Aviation, Biotechnology , Chemicals, Construction, Defence, Manufacturing, Electrica machinery, Electronic System, Information Technolgy, Media and Entertainment , imining Pharmaceuticals,

Railway space and astronomy , Thermal power 100% FDI is how permitted in all the sectors except for space(74%), defence(49%) and media (26%)

After initiation of programme , India would emerge as the top destination globally for foreign investments.

Reference

1.GUHA Rameshchandra (2014),'Idiocracy trends in indian environment ' Economic and political weekly .vol.23 no.49 , new dehli
ISSN-2349-8846

2.Naidu gurappa (2006),"globalisation and its impact on indian society"the indian journal of political science, vol. 6 no. 1 kolkatta
ISSN. 2454-1365

3. Sing rajendra (2015),'Impact of new economic policy on indian economy " Imperial journal of interdisciplinary research . bangluru
ISSN.2454-13864

4 Tantri,Malini L. (2011) "Trade performance of SEZs in India.A Disaggregated level Analysis" Margin The journal of Applied Economic Research, volume 5
ISSN 267-292

5 Global Investment Trends monitor ,A report by UNCTAD (2011)

6 Sectoral FDI inflows into India, JBM&SSR, Vol 4, No1, Jan (2015)

7. Effects of Foreign Direct Investment (FDI) in the india economy
A working paper World Bank.

1

Rituals of Kashmiri Pundits in Kashmir under the Dogra rule

Shiraz Akhter
Ph.D (Scholar)
Department of History
Faculty of Social Science
Barkatullah University, Bhopal (M.P.)
Research Centre Govt. Hamidia Arts & Commerce College
Bhopal

Abstract:

The customs and the ritual ceremonies connected with birth, marriage and death in the Hindu and Muslim community of the valley are quite elaborate. The people of that period have much resemblance in dress, social custom and ritual ceremonies. The present work is the study of rituals of Kashmiri Pundits (Hindus) in Kashmir.

Key words: Pundits, Shiv, Rituals, Vivah.

Introduction:

The family lives of the Hindus were regulated by an elaborate rites and rituals which began with the birth and to continue to be observed till the death of a person. The birth of a male child in a Pundit society

was generally hailed with joy. While that of girl evoked little or no pleasure as there was a custom of Dowry. A Hindu child is ushered in the world on a soft straw bed of the darb or koin grass known as 'Hur'. While the family astrologer used to recite Sanskrit Mantras.

The hair cutting or shaving of head ceremony performed when a boy was about three years old. A small Hawn (yagya) is performed and boys head is sheaved leaving only a choti (small collection of hair) at the top. The sacred thread ceremony or Yougneepaveet is one of the most important ceremonies in the life of a Pundit boy in which he is given the sacred thread and became a true Brahmin. The Vivah (marriage ceremony) of Hindu began with Garnavi or house cleaning.

It is an important event in the Hindu boys's life in which professional match maker (Manzimyur) are called in.

In the horoscopes are found to be favorable, the girl's parents sent to the boy's parents a little salt and sugar and sometimes a few rupees as a token of agreement. Most of the ceremonies connected with death of a Kashmiri Pundits are very elaborate the dying man's placed on a straw bed of koin grass on clean place of the earth.

Salt rice and money are given on his behalf to the poor and Mantras are recited for him. When he breaths his last a lamp was kept lighted by his head. Near it is placed a tray full of sesame with a coin.

Shradh ceremony: the deadbody is washed with warm water and is

wrapped in white shroud known as Kafan. The body is then placed on a plank made up of wood and is carried on the shoulders of four men. The men who accompany it, continued to recite the words, Shiv, Shiv Shembo (God of Peace) forgive our sins. Before the cremation takes place the relatives of the deceased used to see him in a cremation ground and the ceremony is called 'Ant Darshan'.

After the dead body is consumed by the fire, the men with the funeral procession came back and washed themselves in the river, burn a little fire on river bank and turn round it seven times and go to their houses.

¹² Somnath Pundit, Kashrien Batan Hind Rasam te Rewaj, deptt. Of Kashmiri, Kashmir university, J&K. p. 161.

¹³ New Kashmir through the ages, edited by Suresh K. Sharma and Usha Sharma, Deep and Deep pub. Dehli, p. 249.

¹⁴ Tyndale Biscoe, Kashmir in sun light and shade, Gulshan pub. (Srg) J&K p. 152.

¹⁵ Somnath Pundit, Kashrien Batan Hind Rasam te Rewaj, deptt. Of Kashmiri, Kashmir university, J&K. p. 165.

¹⁶ Tyndale Biscoe, Kashmir in sun light and shade, Gulshan pub. (Srg) J&K p. 152.

Conclusion

The rituals or ceremonies are maximum same in Kashmir valley, the reciting Mantras either in Hindu religion or in Muslim is same, the difference only is Hindus recites their Mantras in Sanskrit language, and Muslim in Arabic language both the communities are doing same thing but doing it differently.

References

1. Pearce Gervis, this is Kashmir, publication Ali Mohmmad &

- sons (sgr) J&K,.1954.
2. G.M. Rabani, Ancient Kashmir, A Historical Perspective. Gulshan Publication (sgr) J&K. 1981.
 3. Suneethi Bakshi, Kashmir the history and Pundit women's struggle for the identity, Vitasta Pub., pvt. Ltd. New Delhi, 2009.
 4. Walter Lawrence the Kashmir Gazetteer, Shubi pub. New Delhi vol 2, 1999.
 5. Kashmir through the ages, edited by Suresh K. Sharma and Usha Sharma, Deep and Deep pub. New Dehli, 1998.
 6. P.N.K Bamzai socio economic history of Kashmir (1846-1952) Gulshan pub. Sgr, J&K,2007.
 7. Tyndale Biscoe, Kashmir in sun light and shade, Gulshan pub. (Sgr) J&K.
 8. Somnath Pundit, Kashrien Batan Hind Rasam te Rewaj, deptt. Of Kashmiri, Kashmir university, sgr J&K. 1983.

